सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2019 - 20

ब्रेल

CC

ब्रेल

स्वावलम्बन
Swavlamban

CC

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

वार्षिक रिपोर्ट

2019–20

विषय सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	6
2.	सिंहावलोकन	9
3.	सांविधिक संरचना	14
4.	राष्ट्रीय नीति, 2006, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "अधिकारों को साकार करने के लिए" इंचियोन कार्यनीति	18
5.	सांविधिक निकाय एवं उनकी गतिविधियां 5.1 भारतीय पुनर्वास परिषद 5.2 मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन 5.3 राष्ट्रीय न्यास	21-37
6.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम 6.1 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम 6.2 नेशनल हैंडिकैप्ड फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन	38-48
7.	राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र	49-87
8.	विभाग की योजनाएं	88-145
8.1	दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना	88
8.2	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)	92
8.3	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना	99
8.3.1	दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन	101
8.3.2	कौशल विकास का घटक	103
8.3.3	सुगम्य भारत अभियान	112
8.3.4	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र	123
8.3.5	जागरूकता सृजन और प्रचार योजना	125

8.3.6	दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों तथा मामलों पर अनुसंधान	127
8.3.7	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र	128
8.3.8	निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन योजना	130
8.3.9	केंद्रीय तथा राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदात्ताओं के प्रमुख पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं जागरूकता	131
8.3.10	समेकित क्षेत्रीय केन्द्र	132
8.4	छात्रवृत्ति योजनाएं	133-139
8.5	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधियां	139
8.6	"ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन हेतु सहायता" की योजना	141
8.7	भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर	144
8.8	राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर	144
8.9	देश के पांच क्षेत्रों में बधिर छात्रों के लिए कॉलेज	145
9	दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	147
10	विभाग की नयी पहलें और विशेष उपलब्धियां	150

विषय सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ
1.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित कार्य	152
2.	जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या	154
3.	अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजना के ढांचे के ब्यौरें	155
4.	सफलता की कहानियां	157-171
5.	राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रो द्वारा चलाए जा रहे दीर्घावधि पाठ्यक्रमों का विवरण (एक या एक वर्ष से अधिक अवधि)	172
6.	पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2019 के अनुसार) के दौरान आयोजित किए गए शिविर, उपयोग की गयी निधियों और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का एडिप–राज्य–वार विवरण	175
7.	एडिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 के दौरान (10.01.2020 तक) विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थानों/ सीआरसी/ एलिम्को/ राज्य निगमों/डीडीआरसी/एनजीओ/ डीडीआरसी) को एडिप योजना के तहत जारी की गई सहायता अनुदान	177
8.	एडिप योजना के अंतर्गत माननीय सांसदों तथा अन्य अधिकारिगण से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्त वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान आयोजित की गई विशेष शिविरों का विवरण	179-181
9.	पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (31.12.2019 तक) के दौरान एडिप योजना के तहत गैर–सरकारी संगठनों/वीओं/डीडीआरसी और राज्य निगमों आदि को एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए जारी किया गया सहायता अनुदान।	183-185
10.	वर्ष 2019–20 के दौरान सिपडा योजना के तहत बाधामुक्त वातावरण के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया सहायता अनुदान	186
11.	वर्ष 2019–20 के दौरान सिपडा योजना के तहत बाधामुक्त वातावरण के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया सहायता अनुदान	187
12.	योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों को जारी किया गया सहायता अनुदान (बाधामुक्त वातावरण, सुगम्य भारत अभियान, समेकित पुनर्वास केन्द्रों के लिए सहायता, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों, दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण	188

	कार्यक्रम और दिव्यांगजनों की पहचान तथा सर्वेक्षण/सर्वसुलभ पहचान पत्र)	
13.	13 (क) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए प्रस्तावों और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	192
	13 (ख) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में डीडीआरएस के तहत जारी की गई राज्यवार निधियां	194
	13 (ग) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में डीडीआरएस के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या	196
14.	14 (क) डीडीआरएस के तहत अनुदान हेतु स्वीकार्य पद	198
	14 (ख) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में सहायता प्रदत्त तथा डीडीआरसी की राज्यवार संख्या और उन्हें जारी की गई राशि	199
15.	वर्ष 2019 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची	201
16.	दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने की तुलनात्मक राज्य–वार स्थिति	203
17.	शब्दावली	204
18.	दिव्यांगजनों के साथ बेहतर संवाद हेतु मार्गदर्शिका	205

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। दिनांक 08.12.2014 को इस विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। विभाग दिव्यांगता से संबंधित मामलों में विभिन्नों स्टेकहोल्डरों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के बीच नजदीकी समन्वय करने के साथ, दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1.2. विभाग को आबंटित कार्य

1.2.1 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली के अनुसार विभाग के लिए आबंटित कार्य **अनुबंध–1 (पृष्ठ संख्या..152)** पर दिए गए हैं। विभाग को मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है।

1.2.2 **उद्देश्य (विजन)** : एक ऐसा समावेशी समाज बनाना जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

1.2.3 **मिशनः** अपने विभिन्न अधिनियमों /संस्थाओं /संगठनों तथा पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त करना और एक ऐसा समर्थकारी वातावरण स्थापित करना जो ऐसे व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे ताकि वे उपयोगी सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन गुजार सकें।

1.2.4 **उद्देश्यः** अपने उद्देश्य (विजन) को पूरा करने एवं मिशन को सफल बनाने के लिए, विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयास करता है–

(क) पुनर्वास के लिए नीचे निम्नलिखित उपाय करना–

(i) शारीरिक पुनर्वास, जिसमें शीघ्र निदान तथा उपाय, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों के अधिप्रापण में सहायता शामिल है;

(ii) व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षणिक पुनर्वास;

(iii) आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक सशक्तिकरण;

(ख) पुनर्वास व्यावसायिकों/कर्मियों को तैयार करना।

(ग) आंतरिक कार्य–दक्षता/संवेदनात्मकता/सेवा प्रदायगी में सुधार; और

(घ) समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता पैदा करने के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन।

1.3 विभाग की मुख्य विशेषताएं

(i) **सतत विकास लक्ष्य** : भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और सतत विकास लक्ष्य का एक समर्थक है। विभाग ने अपने नवीनतम कानून नामतः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, जिसे 19.04.2017 को लागू किया गया था, को यूआरसीआरपीडी के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप अपने राष्ट्रीय कानून को संरेखित किया है।

(ii) **समावेशन एवं बाधामुक्त वातावरण** : समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए एक बाधामुक्त वातावरण के निर्माण पर अपना अधिकतम ध्यान केंद्रित किया है, मुख्यतः निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और आईसीटी इको सिस्टम में केंद्रित किया है। इसके लिए, विभाग ने एक ओर दिव्यांगजनों को सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा और दूसरी ओर सार्वजनिक भवनों, परिवहन और आईसीटी को सुगम्य बनाया।

(iii) **सामाजिक मॉडल** : दिव्यांगता के भार को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय हेतु पहले ही दिव्यांगता को चिन्हित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जोखिम वाले मामलों का पहले ही चिन्हित करना तथा और जीवन के प्रथम स्तर पर उपयुक्त पुनर्वासन करने से दिव्यांगता की गंभीरता को कम करता है तथा परिवार और समाज पर भार को कम करेगा। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, विभाग ने 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में पूर्व चिन्हित और उपायकेंद्रों की स्थापना का पहल किया है। ये केंद्र दिव्यांग बच्चों को उत्साह से स्कूल जाने में बढ़ावा देने में भी मदद करेंगे।

(iv) दिव्यांगजनों का पुनर्वास : पूर्व वर्षों में, दिव्यांगजनों के पुनर्वासन का केंद्र बिंदु अधिक या कम शारीरिक दिव्यांगता केंद्रित था। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विभाग ने सभी 21 श्रेणी के दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु अपने केंद्र बिंदु को बौद्धिक, विकासात्मक और मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वासन पर विशेष महत्व देते हुए पुनः स्थापित किया है।

(v) दिव्यांगता–केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तनः विभाग मानसिक–सामाजिक दिव्यांगता (मानसिक रोग) के व्यापकता में वृद्धि से चिंतित था। सक्रिय उपचार के अलावा, मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सामाजिक मुख्य विचारधारा में पुनः एकीकृत करने के लिए अक्सर पुनर्वासन की आवश्यकता होती है। इस विचार पर ध्यान देने के लिए, विभाग ने मध्य प्रदेश, सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह संस्थान मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति, जो सफलतापूर्वक उपचारित किए गए हैं, को मुख्याधारा पर लाने के लिए पुनर्वासन प्रोटोकॉल आधारित समुदाय का विकास करने के अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की ओर कार्य करने का लक्ष्य रखता है। तब से एनआईएमएचआर इस रिपोर्ट किए जा रहे वर्ष से कार्यात्मक है।

(vi) **संस्कृति, मनोरंजन, अवकाश और खेल गतिविधियाँ** : विभाग ने यह स्वीकृत किया है कि दिव्यांगजनों के लिए समर्थकारी वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है ताकि वे जीवन के प्रत्येक कदम पर, खेल सहित, श्रेष्ठ होने में समर्थ हों, इस उद्देश्य से कि खेल गतिविधियों में, दोनों स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दिव्यांगजनों को भाग लेने में बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक सैंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें इनडोर और आउटडोर खेल हेतु विश्वस्तरीय सुविधाएं होगी तथा लगभग 300 दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं होगी।

1.4 **दिव्य कला शक्ति** : यदि उपयुक्त अवसर तथा वातावरण का निर्माण हो तो दिव्यांगजन सभी क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा, खेल, साहित्य, संस्कृति हो, में श्रेष्ठ हो सकते हैं, दिव्यांगजनों की अंदर के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से, विभाग ने दिल्ली में अप्रैल और जुलाई, 2019 में दो सांस्कृतिक कार्यक्रम "दिव्य कला शक्तिः दिव्यांगता में क्षमता का दर्शन" का आयोजन किया।

1.5 चुनौतियां

दिव्यांगजनों के प्रति सामान्य जनता की समझ में एक अभिवृत्तिक परिवर्तन लाना विभाग का एक सबसे बड़ी चुनौती रहा है। अतः जागरूकता पैदा करना सामान्य जनता की सोच को बदलने केवल मानसिकता को बदलने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों में उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है की दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण बनाने के निर्माण हेतु अभिकल्पना, योजना और निष्पादन स्तर पर सुगम्यता मानकों की संस्कृति का आत्मसात करें। दिव्यांगजनों के लिए समर्थक वातावरण के निर्माण के लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूल संसाधनों का प्रयोग करना राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए एक चुनौती रही है।

1.6 अभिकथन

वर्ष 2019–20 के लिए विभाग की रिपोर्ट में कानून, नियमावली और विनियमन, संस्थागत और कार्यक्रम आधारित सहायता के माध्यम से दिव्यांगता और पुनर्वास के क्षेत्र में प्रगति शामिल है। राज्य सरकारें, नागरिक समाज संगठन, दिव्यांगजन और अन्य हितधारक इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हैं।

> "आशावाद विश्वास है जिससे उपलब्धि प्राप्त होती है ....
>
> आशा और विश्वास के बिना
>
> कुछ नहीं किया जा सकता ....."
>
> हेलन किलर

अध्याय 2
सिंहावलोकन

2.1 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है)। कुल दिव्यांगजनों में से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें दृष्टि, श्रवण, वाक और गतिविषयक दिव्यांगताएं, मानसिक रूग्णता, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगताएं), बहु–दिव्यांगताएं तथा अन्य दिव्यांगताएं शामिल हैं।

2.1.1 दिव्यांगता के प्रकार

यद्यपि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, दिव्यांगजनों की राज्यवार संख्या का विवरण **अनुबंध–2 (पृष्ठ सं.154)** पर दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार, उनकी संख्या का विवरण निचे दिया गया है–

दिव्यांगजनों की श्रेणी–वार संख्याः जनगणनाः 2011 के अनुसार			
दिव्यांगता का प्रकार	व्यक्ति	पुरुष	महिला
	1	2	3
देखने में	50,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	50,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	19,98,692	11,22,987	8,75,705
चलने में	54,36,826	33,70,501	20,66,325
मानसिक मंदता	15,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक रूग्णता	7,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	49,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु दिव्यांगता	21,16,698	11,62,712	9,53,986
कुल	**2,68,14,994**	**1,49,885,93(55.89)**	**11,8264,01(44.11)**

2.1.2 आवासीय क्षेत्र से दिव्यांगजनों का वर्गीकरण नीचे दिये अनुसार है:–

आवासीय क्षेत्र से दिव्यांगजनों की जनसंख्या भारत, 2011*			
निवास	व्यक्ति	पुरूष	महिला
शहरी	8,178,636 (30.51%)	4,578,034	3,600,602
ग्रामीण	18,631,921 (69.49%)	10,408,168	8,223,753
कुल	**2,68,10,557**	**1,49,86,202**	**1,18,24,355**

*स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय

2.1.3 दिव्यांगजनों का शैक्षणिक स्तर नीचे दिए अनुसार है :–

शैक्षणिक स्तर	व्यक्ति	पुरुष	महिला
साक्षर	**1,21,96,641**	**56,40,240**	**65,56,401**
निरक्षर	**1,46,18,353**	**9,34,835**	**52,70,000**
(i) साक्षर परंतु प्राथमिक से नीचे	28,40,345	17,06,441	11,33,904
(ii) प्राथमिक परंतु मिडिल से नीचे	35,54,858	21,95,933	13,58,925
(iii) मिडिल परंतु मैट्रिक / माध्यमिक से नीचे	24,48,070	16,16,539	8,31,531
(iv) मैट्रिक/माध्यमिक परंतु स्नातक से नीचे	34,48,650	23,30,080	11,18,570
(v) स्नातक और उससे ऊपर	12,46,857	8,39,702	4,07,155
कुल	**2,68,14,994**	**1,49,88,593**	**1,18,26,401**

*स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय

2.2 दिव्यांगजनों की कार्य करने की स्थिति

जनगणना 2011 के अनुसार, लगभग 36 प्रतिशत दिव्यांजन कार्य कर रहें हैं (पुरुष–47 प्रतिशत तथा स्त्री–23 प्रतिशत) दिव्यांगता युक्त श्रमिकों में से 31 प्रतिशत कृषि संबंधी मजदूर हैं। 15–59 वर्ष के आयु के समूह के दिव्यांगजन जनसंख्या 50 प्रतिषत कार्य कर रहे हैं जबकि 14 वर्ष से कम आयु समूह के दिव्यांगता युक्त बच्चों के 4 प्रतिशत कार्य कर रहे है।

2.3 भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना, 2021 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और वे जनगणना, 2021 में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में शामिल दिव्यांगजनों की सभी 21 श्रेणियों के आंकड़ें प्राप्त करने के मानदंडों को संशोधित कर रहे हैं। विभाग ने इस संबंध में अपने विचार पहले ही भारत के रजिस्ट्रार जनरल को दे दिए हैं।

2.4 वर्ष 2019–20 के दौरान विभाग की मुख्य गतिविधियां :

(क) 24.1.2019 को 'राष्ट्रीय बालिका दिवस 'के अवसर पर, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी ने राष्ट्रीय दृष्टि बाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून में इको टूरिज्म गार्डन का उद्घाटन किया।

(ख) माननीय उपराष्ट्रपति ने 21 फरवरी, 2019 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी 'गरिमापूर्ण उपस्थिति में कौशल विकास, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण नेल्लोर के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र के नए रूप से निर्मित भवन का उद्घाटन किया।

(ग) माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी द्वारा 22 फरवरी, 2019 को सिकंदराबाद स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी) के दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र के नए रूप से निर्मित भवन का उद्घाटन किया गया।

(घ) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (आईएएलआरटीसी), नई दिल्ली ने 27.02. 2019 को भारतीय अंतरराष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में 3000 शब्दों के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के दूसरे चरण का प्रमोचन किया। इस प्रमोचन के दौरान माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मंत्री जी मुख्य अतिथि थे।

(ड़) डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में 1 मार्च, 2019 को दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के संशोधित मानदंडों के बारे में संवेदीनशील बनाने के लिए दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि थे। राज्य एवं जिला कल्याण और दिव्यांगता अधिकारीगण दिव्यांगता आयुक्तों तथा देश के 600 गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित थे।

(च) विभाग ने भारत भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष 18 अप्रैल, 2019 की राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में 'दिव्य कला शक्ति : दिव्यांगता में कला का दर्शन' पर एक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। इस सांस्कृतिक शाम को राजदूतों, उच्च आयुक्तों, विदेशी दूतावासों के राजनयिकों, सचिवों स्कूल प्रधानाचार्यों, दिव्यांग क्षेत्र के मुख्य एनजीओ, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों तथा राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। राज्यभर से प्रतिभापूर्ण नवयुवक दिव्यांग कलाकारों को बुलाया गया था जिन्होंने अपनी संगीत–गीत था वाद्य संगीत तथा एकल या सामूहिक नृत्य शैली–शास्त्रीय, लोक संगीत और आधुनिक में अपनी सामर्थ्य की निपुण प्रदर्शन से पूर्णरूप से भरे हुए ऑडिटोरियम को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन कलाकारों ने अपनी दिव्यांगता के बावजूद चाहे वह शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक या बहु दिव्यांगता हो, अपने प्रदर्शन में श्रेष्ठ रहे।

(छ) इस अवसर पर, राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र की पूर्ण रूप से दिव्यांगजन के लिए सुगम्य घोषित किया गया।

(ज) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई (एनआईईपीएमडी) तथा मिनेसोटा विश्वविद्यालय, यू.एस. ने 31 मई – 1 जून, 2019 के दौरान संयुक्त रूप से "एन्हेंसिंग आउटकम्स इन, इन्क्लूसिव एजुकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स" राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

(झ) राष्ट्रीय दृष्टि बाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीवीडी), देहरादून ने संकल्पना निर्माण परिसर के लिए श्रव्यता निविष्टि सहित संस्थान का 3 डी नक्शे का अभिकल्पन और विकास किया है, जिससे दृष्टि बाधित दिव्यांगजन को सूचना का प्रचार किया जा सके। यह नक्शा दृष्टि बाधित व्यक्तियों को पूरे संस्थान का एक स्पर्शनीय रूप प्रदान देगा।

(ञ) 6–8 जून, 2019 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेनटीना में आयोजित वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन में माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में चार सदस्यों की प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे। सम्मेलन का उद्देश्य दिव्यांगजन का पूर्ण समावेशन तथा उनके अधिकारों, स्वतंत्रता और मानव सम्मान की गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए विश्व के सहयोग को सुदृढ़ बनाना है।

(ट) दिव्यांगजन अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर राज्य दलों का वार्षिक सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) का आयोजन 11 से 13 जून, 2019 को न्यूयॉर्क में हुआ जिसमें सचिव, (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की अध्यक्षता में दो सदस्य प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र निकाय के समक्ष, उन्होंने अपने कथन में, दिव्यांगजन के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए .पहलों पर विशेष ध्यान दिया तथा आम चुनाव 2019 के दौरान सुगम्य मतदान वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशेष उपायों पर विश्व निकाय का ध्यान आकर्षित किया, जिसकी भली–भांति प्रशंसा की गई।

ढ)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 23 जुलाई, 2019 को बालयोगी समागार, संसद पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली में देश के विभिन्न भाग से दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए "दिव्य कला शक्ति : दिव्यांगता में क्षमता का दर्शन" एक सास्कृतिक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह का आयोजन भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय उप राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, माननीय मंत्री परिषद, दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण तथा भारत सरकार के सचिवों की गरिमापूर्ण उपस्थिति में हुआ।

(ड़) 2–3 सितम्बर, 2019 के दौरान दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति की 22 वीं सत्र की 485 वीं तथा 486 वीं बैठक में सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की भारतीय प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थी। सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ने यूएनसीआरजीडी के तहत बाध्यता के अनुरूप दिव्यांगजन समावेश और सशक्तिकरण के लिए हाल ही में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न पहलों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमन, सुगम्य भारत अभियान के प्रमोचन, मानसिक–सामाजिक दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वासन संस्थान (एनआईएमएचआर) की स्थापना, दिव्यांग खेल हेतु केंद्र की स्थापना, सहायक यंत्रों तथा सहायक उपकरणों के वितरण में उपलब्धियों, आदि पर संयुक्त राष्ट्र समिति का ध्यान आकर्षित किया।

(ढ़) माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 19.09.2019 को किसान भवन, नई दिल्ली में दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुछ राज्य सरकारों के मंत्रीगण तथा अन्य प्रतिनिधि मंडल के सदस्यगण उपस्थित थे। इस बैठक में 7 मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वियन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वासन संस्थान (एनआईएमएचआर) की स्थापित करना, दिव्यांगता खेलों के लिए केंद्र, सुगम्य भारत अभियान, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) सामाजिक सुरक्षा उपाय तथा पूर्व चिन्हित एवं उपाय शामिल थे।

(ण) अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्पादों को बेंचने के लिए एक प्रयास के रूप में भारत में दिव्यागजन द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 4 से 16 सितम्बर, 2019 को थेस्सालोनिकी, हैंडिकैप्ड फाइनैंस एंड डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) ने भाग लिया।

(त) माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 26.10.2019 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान का दौरा किया। उन्होंने बाह्य रोगी कई बच्चों और उनके माता–पिता से, पुनर्वास के दिव्यांगता तथा संस्थान के संकाय सदस्यों से बातचीत की तथा उन्हें दीपावली के शुभ अवसर पर बधाईयां दी। माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण भेंट के रूप में दिए गए और मिठाई दी गई। इस अवसर पर श्री थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के संघ मंत्री, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थिति थे। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगता संस्थान, कोलकाता का भी दौरा किया।

(थ) भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली ने भारतीय संकेत भाषा के शिक्षण में डिप्लोमा (डीटीआईएसएल) नामक एक नए आरसीआई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया है।

2.5 बजट आबंटन और व्यय

2 फरवरी, 2020 के अनुसार वर्ष 2019–20 के लिए विभाग का बजट आकलन 120490 करोड़ रू./–; संशोधित आकलन 1100.00 करोड़ रू./– तथा वास्तविक व्यय 618.48 करोड़ रू./– है।

वर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक व्यय
2018-2019	1070.00	1070.00	1017.56
2019-2020	1204.90	1100.00	618.48 (4.02.2020 की स्थिति के अनुसार)

(आंकड़े करोड़ों में)

अध्याय 3
सांविधिक ढांचा

3.1 संबद्ध संवैधानिक प्रावधान

3.1.1 भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की **स्वतंत्रता**; प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** को सुनिश्चित करता है।

3.1.2 संविधान का भाग –III सभी नागरिकों (और कुछ मामलों में गैर नागरिकों के लिए भी) के लिए छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं: समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध हैं, तथापि संविधान के इस भाग में ऐसे व्यक्तियों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

3.1.3 संविधान के भाग–IV में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं। यद्यपि ये लागू नहीं कराए जा सकते हैं, तथापि इन्हें देश के प्रशासन में मौलिक घोषित किया गया है। इन सिद्धांतों से राज्य की नीति का अनिवार्य आधार होना अपेक्षित है। ये वास्तव में भविष्य की विधायिकाओं और कार्यपालिकाओं के मार्गदर्शन के लिए उन्हें दिए गए अनुदेशों के स्वरूप हैं। दिव्यांगता के मामलों से संदर्भित 41 नीचे दिये अनुसार हैः–

"अनुच्छेद 41: कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

"राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की परिसीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और दिव्यांगता तथा अन्य अपात्र आवश्यकता के मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।"

3.1.4 इसके अलावा, अनुच्छेद 243–छ की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243–ब की 12वीं अनुसूची, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, में समाज के अन्य कमजोर वर्गों में दिव्यांगजनों का कल्याण और उनके हितों का संरक्षण शामिल है। उक्त अनुसूचियों के संबंधित उद्धरण नीचे प्रस्तुत हैं :

अनुच्छेद 243 छ की 11वीं अनुसूचीः "दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण"" (प्रविष्टि सं 26)।

अनुच्छेद–243 ब की 12वीं अनुसूचीः' "दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण" ' (प्रविष्टि सं 09)।

3.2 विभाग द्वारा अभिशासित विधान

विभाग दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं और दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को शासित करने वाले निम्नलिखित विधायनों को कार्यान्वित करता है :–

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

(ii) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999.

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

3.2.1 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद को आर सी आई अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित और इसको मॉनीटर करती है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है।

उक्त अधिनियम के अनुसार, इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(i) शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।

(ii) भारत में पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों हेतु विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना।

(iii) भारत के बाहर के संस्थानों की अर्हताओं के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना

(iv) परीक्षाओं में निरीक्षण करना।

(v) पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों का पंजीकरण।

(vi) पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और व्यावसायिक आचारसंहिता को निर्धारित करना।

3.2.2 राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999, संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रत रूप से और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवारों में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) ऐसे दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तैयार करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्य जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के आनुषंगिक हो।

3.2.3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी, 2016)

सरकार ने संसद द्वारा दिसंबर, 2016 में यथा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया।

3.2.3.1 19 अप्रैल, 2017 से यह अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम निम्ननुसार 5 श्रेणियों में व्यापक रूप से वर्गीकृत विभिन्न विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं अभिज्ञात की गई हैं:

1. शारीरिक दिव्यांगता :

(क) गतिवियक दिव्यांगता सहित, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, पेशीयदुष्पोषण, तेजाबी आक्रमण पीड़ित

(ख) दृष्टि दिव्यांगता (अंधता और निम्न दृष्टि)
(ग) श्रवण दिव्यांगता (बधिर और ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति)
(घ) वाक और भाषा दिव्यांगता

2. बौद्धिक दिव्यांगता सहित, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, स्वापरायण सपैक्ट्रम विकार

3. मानसिक मंदता (मानसिक रूग्णता) :

4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता :

(क) गंभीर तंत्रिका संबंधी दशाएं :

- पार्किंसन रोग
- बहु–स्केलेरोसिक

(ख) रक्त विकार जैसे कि :

- हेमोफीलिया
- थेलेसीमिया
- सिक्कल कोशिका रोग

5. बहु–दिव्यांगता :

3.2.3.2 यह अधिनियम 19 अप्रैल, 2017 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के विचार से सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) इसने दिनांक 15 जून, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली अधिसूचित की। इन नियमों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने एवं इसे प्रदान करने की प्रविधि, समान अवसर नीति के प्रकाशन की रीति, राष्ट्रीय निधि के उपयोग एवं प्रबंधन के तरीके आदि को निर्दिष्ट करने के साथ–साथ निर्मित वातावरण, यात्री बस परिवहन और वेबसाइटों के लिए सुगम्यता मानकों का प्रावधान किया गया है।

(ii) **इसने दिनांक 04 जनवरी, 2018 को किसी व्यक्ति में विशिष्ट दिव्यांगता की सीमा के मूल्यांकन के लिए दिशा–निदेश अधिसूचित किए।** इन दिशा–निदेशों में मूल्यांकन की विस्तृत प्रक्रिया के साथ–साथ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को निर्दिष्ट करते हुए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को 15 जनवरी, 2018 को परिपत्र जारी किया।

(iv) विभाग ने आकलन बोर्ड द्वारा उच्च सहायता आवश्यकताओं की मांग करने वाले बैंचमार्क दिव्यांगजनों के आकलन के लिए नियमों को निर्दिष्ट करने के लिए ओर साथ ही ऐसे बोर्ड की संरचना के लिए दिनांक 08 मार्च, 2019 को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली को अधिसूचित किया है।

(v) समय–समय पर राज्यों को अधिनियम की धारा 101 के संदर्भ में नियम तैयार करने के लिए सलाह दी जाती है। समीक्षा अवधि के दौरान, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उक्त अधिनियम के तहत नियमावली अधिसूचित की।

(vi) विभाग ने दिनांक 08.11.2017 की अधिसूचना द्वारा दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का दो बार अधिवेशन हुआ ; एक बार 13.02.2018 को तथा तीसरी बार 05.10.2018 को। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विविध मामलों जैसे कि समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक उपाय, सुगम्यता (उच्चतम न्यायालय के राजीव रतूड़ी मामले से संबंधित मामले के कारण सामने आए) पर विचार विमर्श किया तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इसके प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया। सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर सटीक रूप यथावत् विचार किया।

3.4 नई पहलें

विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों को चिन्हित करने की समीक्षा के लिए सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक समिति का पहले ही गठन किया है। समिति के अधीन पांच उप–समितियों का गठन किया है, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, गतिविषयक दिव्यांगता,मानसिक–सामाजिक/बौद्धिकता/ऑटिज्म/विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता तथा बहु दिव्यांगता के श्रेणी में प्रत्येक के लिए एक समिति/उप समितियों ने अपना रिपोर्ट जमा कर दिया है। दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण की अध्यक्षता में आयोजित अपनी अंतिम बैठक में इन उप समितियों की सिफारिश को स्वीकार किया है तथा राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के साथ सहयोग में दिव्यांगजन के लिए आरक्षित करने के लिए चिन्हित पदों की एक संकलन सूची तैयार की जा रही है।

राष्ट्रीय नीति, 2006, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "अधिकार को वास्तविक रूप प्रदान करना" की इंचियोन कार्यनीति

4.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006

दिव्यांगजन देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास उपाय उपलब्ध हों तो उनमें से अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी जी सकते हैं। इस बारे में सरकार ने, उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूरी भागीदारी प्रदान कर सके, दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार और प्रकाशित की है। समाज में दिव्यांगजन के अधिकार के संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी के लिए ऐसे लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नए वातावरण के निर्माण को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजन के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति तैयार किया गया।

4.1.1 दिव्यांगता रोकथाम और पुनर्वास उपायों पर केन्द्रित इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैः

i) दिव्यांगता रोकथाम
ii) पुनर्वास उपाय

क. शारीरिक पुनर्वास कार्यनीतिः

क) शीघ्र निदान और उपाय
ख) काउंसलिंग (परामर्श) एवं चिकित्सा पुनर्वास
ग) सहायक यंत्र
घ) पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास

ख. दिव्यांगजनों की शिक्षा

ग. दिव्यांगजनों का आर्थिक पुनर्वास

क) सरकारी प्रतिष्ठानों में नियोजन
ख) निजी क्षेत्र में पारिश्रमिक आधारित रोजगार
ग) स्व–रोजगार

III. दिव्यांग महिलाओं के लिए प्रावधान

IV. दिव्यांग बच्चों के लिए प्रावधान

V. बाधामुक्त वातावरण

VI. दिव्यांगता प्रमाणपत्र का निर्गमन

VII. सामाजिक सुरक्षा

VIII. गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहन

IX. दिव्यांगजनों से संबंधित नियमित सूचनाओं का संकलन

X. अनुसंधान

XI. खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन

XII. दिव्यांगजनों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों में संशोधन

तदनुसार, इस नीति के अंतर्गत प्रमुख उपाय क्षेत्र हैं: रोकथाम, शीघ्र निदान, और उपाय, पुनर्वास कार्यक्रम; मानव संसाधन विकास; दिव्यांगजनों की शिक्षा; नियोजन; बाधारहित वातावरण; सामाजिक संरक्षण ; अनुसंधान; खेल; मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां।

4.1.2 राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया हैं :

i) नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग है।

ii) स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधित्व वाली दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करती है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की समिति होती है।

iii) नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास; शहरी विकास; युवा कार्य एवं खेलकूद; रेलवे; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन; श्रम; पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों और प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता; माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग; सार्वजनिक उपक्रम; राजस्व; सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागों की भी पहचान की गई है।

iv) पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण से संबद्ध हैं। स्थानीय स्तर के मामलों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में इनसे अहम भूमिका निभाया जाना अपेक्षित है।

v) दिव्यांगजनों के .लिए, केन्द्र स्तर पर मुख्य आयुक्त एवं राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त, अपनी संबंधित सांविधिक जिम्मेवारियों के अलावा राष्ट्रीय नीति के कार्यान्चायन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

विभाग ने उक्त नीति की समीक्षा करने और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, यूएनसीआरपीडी के प्रावधानों और दिव्यांगता प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए एक नई नीति दस्तावेज का सुझाव देने के लिए के लिए सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है ।

4.2 दिव्यांगनजों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन, 2006 (यूएनसीआरपीडी)

4.2.1 यह संधिपत्र 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और 30 मार्च 2007 को राष्ट्र पक्षों द्वारा हस्ताक्षर हेतु रखा गया। इस संधिपत्र के अंगीकरण ने पूरे विश्व में अपने अधिकारों की मांग करने और अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए राज्य, निजी

और सिविल सोसाइटियों की एजेंसियों को जवाबदेह बनाने में वास्तव में दिव्यांगजनों को सशक्त किया है।

4.2.2 भारत कुछ चुनिंदा राष्ट्रों में से एक है, जिसने इस संधिपत्र की अभिपुष्टि की है। 30 मार्च, 2007 को भारत द्वारा संधिपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने और बाद में इसकी अभिपुष्टि किए जाने के परिणामस्वरूप देश में यह कानून 3 मई, 2008 से प्रभावी हो गया। यह संधिपत्र प्रत्येक राष्ट्र पक्ष पर निम्नलिखित तीन दायित्व नियत करता है:

(i) संधिपत्र के प्रावधानों का कार्यान्वयन;
(ii). देश के कानूनों को संधिपत्र के अनुकूल बनाना और
(iii). राष्ट्र रिपोर्ट तैयार करना

4.2.3 सरकार ने नवम्बर 2015 में अपनी प्रथम देशीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो दिव्यांगजन अधिकार पर सम्मेलन हेतु संयुक्त राष्ट्र समिति की जाँच के अधीन है।

4.2.4 सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण ने न्यूयार्क में जून, 2017 को आयोजित दिव्यांगजन अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक में भाग लिया। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में की गई प्रगति से संयुक्त राष्ट्र संस्था को सूचित कर दिया गया था। 02–03 सितम्बर, 2019 को जिनेवा स्थित यूएनएआरसी मुख्यालय में दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में प्रथम कंट्री रिपोर्ट पर विचार किया है। सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त राष्ट्र समिति के समक्ष दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 के माध्यम से दिव्यांगजन के अधिकारों को संरक्षित करने के संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों तथा सरकार के योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट किया। संयुक्त राष्ट्र समिति ने अधिनियम तथा दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए देश के परिदृश्य में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय भी सिफारिश की है। संयुक्त राष्ट्र समिति के सिफारिश के अनुसार अगली रिपोर्ट 2025 में देय है।

4.3 इंचियोन कार्यनीति

दिव्यांगजन के एशियन एवं पैसिफिक डेकेड 2013–2022 के संबंध में दिसम्बर 18–19, 2019 में ग्वांग्जोऊ में बीजिंग घोषणा (27 नवम्बर–1 दिसम्बर, 2017 तक बीजिंग में आयोजित) के कार्यान्वयन की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला दिव्यांगजन के लिए इंचियोन कार्यनीति के 10 लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एशिया पैक्षिपिक क्षेत्र में उत्तम व्यवहारों को साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है। संयुक्त सचिव, डीईजीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल कार्यशाला में उपस्थित थे। भाग लेने वाले देशों ने क्षेत्र में दिव्यांगजन के लिए प्रमाणित और गतिक डेटाबेस के प्रचार हेतु यूडीआईडी परियोजना की प्रशंसा की।

विभाग के अधीन सांविधिक निकाय

5.1 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों तथा कर्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियंत्रण और मॉनिटरिंग करता है, पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देता है, तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करता है। इसे और अधिक व्यापक आधारित बनाने के लिए 2000 में (2000 का संख्या 38) संसद द्वारा अधिनियम को संशोधित किया गया।

5.1.1 परिषद के मुख्य क्रियाकलाप (2019- 20)

i. 1 फरवरी, 2019 से एआईओएटी- 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा 15 अप्रैल, 2019 (मध्य रात्रि 12:00 बजे) तक इसके लिए अंतिम तिथि थी। देशभर के 94 परीक्षा केंद्रों में 8 मई तथा 9 मई, 2019 को 60,086 अभ्यर्थियों के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई तथा इसका परिणाम 25 जुलाई, 2019 को घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त, परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में अर्हक अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान, एआईओएटी-2019 के माध्यम से 12,944 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की सूची की सॉफ्ट प्रति संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों को एनरोलमेंट नंबर जारी करने की आगे की कार्रवाई के लिए भेजी गई है। पुनर्वास (एनबीईआर) में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप तथा मॉनिटरिंग के लिए परिषद द्वारा संविदा के आधार पर स्टाफ को नियुक्त किया गया है।

ii. आरसीआई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले उम्मीदवारों की गैर-उपस्थिति की प्रथा को रोकने के लिए और पूरे सत्र में प्रशिक्षण संस्थानों में योग्य संकायों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, परिषद ने छात्रों और साथ ही कोर संकाय और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों की सटीक उपस्थिति को दर्ज करने के लिए बायो-मेट्रिक अटेंडेंस (बीएएस मशीन) को स्थापित करने के लिए सलाह दी है। तिथि के अनुसार, 118 संस्थानों ने बीएएस मशीन स्थापित की है। बाकी संस्थानों को बीएएस मशीन की स्थापना में तेजी लाने के लिए कहा जा रहा है।

iii. आर सी आई एवं नोसाल इन्स्टिट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा 6 महीने की समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) पाठ्यक्रम का सह-डिजाइन: भारत में विकलांगता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त विकास को शामिल करने के लिए 22 नवंबर, 2018 को भारत सरकार और समाज सेवा विभाग, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। उपरोक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार, डीईपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में मानव संसाधन को विकास करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और नोसाल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के सहयोग से डब्ल्यूएचओ-सीबीआर दिशानिर्देश 2010 के अनुसार एक सीबीआईडी कार्यक्रम को विकासित करने की पहल की है।

iv. डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई ने आरसीआई को इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सीबीआईडी कोर्स को सह-डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तदनुसार, परिषद ने स्थानीय ग्रामीण स्तर पर दिव्यांगता को जवाब देने के लिए भारत भर के कर्मियों से लैस करने के लिए एक नवीन, साक्ष्य-आधारित और सर्वसम्मति पर आधारित समुदाय आधारित विकलांगता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर एक अवधारणा नोट विकसित की है, जिसके लिए विशेषज्ञों को भारतीय संदर्भ में सीबीआईडी पाठ्यक्रम को सह-डिजाइन करने का कार्य सौंपा गया है।

v. सीबीआईडी पाठ्यक्रम को सह-डिजाइन करने के लिए एक रोडमैप और कार्यनीति तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक 4 नवंबर, 2019 को आरसीआई में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, पाठ्यक्रम को सह-डिजाइन करने के लिए आरसीआई के प्रस्ताव और सीबीआईडी कार्यकर्ताओं की भूमिका और जिम्मेदारियों को विकसित किया गया था। इसके बाद, ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग में सीबीआईडी पाठ्यक्रम को सह-डिजाइन करने के लिए एक कार्यनीति योजना कार्रवाई पर चर्चा करने तथा उसे तैयार करने के लिए 5 फरवरी, 2019 को डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई द्वारा एक अर्ध-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई और भारत सरकार की अध्यक्षता के अधीन किया गया। इस कार्यशाला में के साथ डीईपीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सदस्य सचिव- आरसीआई, ऑस्ट्रेलियाई सरकार और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न के प्रतिनिधि के साथ दिव्यांगता क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी शामिल थे।

vi. कार्यशाला के दौरान, भारत में सीबीआर पाठ्यक्रम के विकासात्मक उपलब्धियां, आरसीआई के अनुमोदित सीबीआर पाठ्यक्रम की स्थिति, डब्ल्यूएचओ-सीबीआर दिशानिर्देशों के अनुरूप आरसीआई के डीसीबीआर पाठ्यक्रम के घटकों की तुलना, सीबीआईडी पाठ्यक्रम के सह-डिजाइन के लिए आरसीआई का प्रस्ताव, सीबीआईडी कर्मियों की भूमिका, सीबीआईडी कर्मियों के लिए अनुकूलन, रोजगार के अवसर, पाठ्यक्रम की दृश्यता और सलाहकार / संदर्भ समूह की भूमिका पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि पहले चरण में सीबीआईडी पर 6 महीने के आमने-सामने पाठ्यक्रम को आरसीआई द्वारा नोसाल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ डिसएबिलिटी स्टडीज, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से सह-डिजाइन किया जाएगा।

vii. नोसाल ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ ने डेल्फी सर्वेक्षण में भाग लेने और सीबीआईडी पाठ्यक्रम हेतु एक सक्षम आधारित पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने हेतु अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों के लिए एक प्रश्नावली विकसित की है। सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए सभी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने हेतु भारत के 95 विशेषज्ञों की एक सूची आरसीआई द्वारा नोसाल संस्थान को उपलब्ध कराई गई। डेल्फी सर्वेक्षण में 03 राउंड शामिल थे, सभी 03 राउंड को पूरा किया गया और सर्वेक्षण में 75 विशेषज्ञों ने भाग लिया।

viii. डेल्फी सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि मेलबर्न विश्वविद्यालय भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ प्रस्तावित सीबीआईडी पाठ्यक्रम के लिए सक्षमता आधारित पाठ्यक्रम ढांचे को अंतिम रूप देगा। तदनुसार, 13-17 अप्रैल, 2019 को नोसाल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, मेलबर्न में मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा सीबीआईडी पर पाठ्यक्रम को सह-डिजाइन करने के लिए 05 दिनों का तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

ix. डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई, भारत सरकार ने अपने दिनांक 29 मार्च, 2019 के पत्र सं. 13-03 / 2018-डीडी-III के माध्यम से मेलबर्न में उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डॉ. सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए नामित किया जिसमें गैर-आधिकारिक विशेषज्ञ डॉ. भूषणपुनी, डॉ. सारा वर्गीज, श्री कार्मो नोरोन्हा और श्री पंकजमारू शामिल हैं। प्रोफसर लिंडसे गेल और

प्रोफसर नाथन विल्स की पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में, सभी विशेषज्ञों ने भारतीय संदर्भ में सीबीआईडी पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं सहित डेल्फी सर्वेक्षण के परिणाम पर विचार-विमर्श किया। इसके बाद, सीबीआईडी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए मसौदा सक्षमता आधारित पाठ्यक्रम ढांचा विकसित किया गया, जिसमें 06 पैरामीटर्स शामिल थे यानी ढांचे का ज्ञापन; मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण; हस्तक्षेप और सेवा का कार्यान्वयन; सामुदायिक व्यस्तता और नेटवर्किंग; दृष्टिकोण और व्यवहार; सीखने के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने वाली चिंतनशील प्रथा; और दक्षता संकेतक और गुणवत्ता मानदंड।

x. कार्यशालाओं की सिफारिशों के आधार पर परिषद द्वारा उचित कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजे एंड ई को पांच दिवसीय कार्यशाला की अंतिम कार्यवाही सौंपी गई।

xi. सीबीआईडी कार्यक्रम के सह-डिजाइन के लिए तकनीकी समूह की अगली बैठक परिषद द्वारा 14 जून, 2019 को सम्मेलन कक्ष, आरसीआई, नई दिल्ली में आयोजित की गई। डॉ. सुबोध कुमार, सदस्य सचिव और आरसीआई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौ विशेषज्ञों ने भाग लिया। मीटिंग के दौरान सीबीआईडी पाठ्यक्रम को रोलआउट करने के लिए सक्षमता आधारित पाठ्यक्रम ढांचा और अन्य तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया गया। कार्यवृत्त तैयार किए गए और इन्हें सभी विशेषज्ञों को परिचालित किया गया।

xii. सीबीआईडी कार्यक्रम के लिए विषय-सूची और संसाधन सामग्री विकसित करने के लिए परिषद द्वारा 16-21 सितंबर, 2019 से छह दिनों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। श्रीमती शकुंतला डी. गामलिन, आईएएस, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी(दिव्यांगजन), एमएसजे एंड ई, भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया तथा इस कार्यशाला के दौरान अध्यक्ष, आर.सी.आई. श्रीमती तारिका रॉय, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन), डॉ. सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई भी उपस्थित थे। बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के उन्नीस विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, समावेशी सामुदायिक विकास के लिए सीबीआईडी कार्यक्रम और सत्र योजनाओं के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। कार्यशाला की कार्यवाही तैयार की गई और सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन) द्वारा अनुमोदित की गई। अनुसूचित के लिए सीखने की सामग्री के विकास के लिए विशेषज्ञों की अगली बैठक 17 जनवरी, 2020 को आयोजित की गई। छह महीने के सीबीआईडी कार्यक्रम का पाठ्यक्रम और सत्र योजनाओं का विकास किया गया।

5.1.2 विशेषज्ञों की समिति की बैठक

निम्नलिखित के उद्देश्य से दो दिवसीय विशेषज्ञ की समिति की बैठक

क. कुछ आरसीआई, पाठ्यक्रमों के अभिसरण तथा नए पाठ्यक्रमों के विकास पर विचार करना और

ख. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के परिप्रेक्ष्य से शिक्षकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु संरचना, सामग्री और मानदंड विकसित करने हेतु श्रीमती शकुंतला डी. गामलिन, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा अध्यक्ष, आर सी आई की अध्यक्षता में 3-4 जुलाई 2019 को आरसीआई में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांगता क्षेत्र, राष्ट्रीय संस्थानों, एमएचआरडी, एनआईईपीए, एनसीटीई, एनसीईआरटी से विशेषज्ञ उपस्थित थे। आरसीआई के कुछ पाठ्यक्रमों के अभिसरण के विभिन्न पहलुओं पर गहन रूप से विचार-विमर्श करने

के बाद आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 47 को ध्यान में रखते हुए सेवाकालीन शिक्षकों के लिए अल्पकालिक संवेदीकरण कार्यक्रम को तैयार किया गया।

परिषद ने 10 अगस्त, 2019 को आरसीआई में श्री के.वी.एस.राव, निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता के अधीन संस्थानों के आकलन हेतु पाठ्यक्रमों के अनुमोदन और प्रारूपों के सरलीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। सुझावों को दिशानिर्देशों और सामान्य संयुक्त आकलन रिपोर्ट के प्रारूप में शामिल किया गया।

विशेषज्ञों के दौरे पर तथा मॉडल भर्ती नियमों के संशोधन के लिए मानक प्रारूप के विकास के लिए 5-6 सितंबर, 2019 को आरसीआई में श्रीमती शकुंतला डी. गामलिन, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता और अध्यक्ष आरसीआई के अधीन दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया।

डीईपीडब्ल्यूडी के दिनांक 30/08/2019 के पत्र संख्या 5-13/2019-डीडी-III के माध्यम से गठित समिति के अनुसार श्रीमती अलका गुप्ता की अध्यक्षता के अधीन 20 सितंबर, 2019 को समावेशन शिक्षा हेतु शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रणाली का सुझाव देने के लिए कार्य बल के बैठक का आयोजन किया गया। अवलोकनार्थ कार्यरत डीईपीडब्ल्यूडी को भेजा गया। डीईपीडब्ल्यूडी के निर्देश अनुसार 30 जनवरी, 2020 को पांच दिवसीय सेवाकालीन प्रणाली हेतु सीखने की सामग्रियों के विकास के लिए विशेषज्ञों की अगली बैठक आयोजित की जाएगी।

5.1.3 राष्ट्रीय कार्यशाला

हाल ही के विधानों के संगम पर राष्ट्रीय कार्यशाला; आरसीआई द्वारा एनआईईपीएमडी, चेन्नई के सहयोग से 6-7 जून, 2019 को गुवाहाटी विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम, गुवाहाटी, असम में मानव संसाधन के विकास में आरसीआई की भूमिका का आयोजन किया गया, जिसमें 100 वरिष्ठ पुनर्वास व्यावसायिक शामिल थे, इनमें राज्य तथा केंद्र विश्वविद्यालय के 06 कुलपति, 19 राज्यों के सभी आरसीआई के विशेषज्ञ समितियों को प्रतिनिधित्व करते हुए, राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशकों ने भी भाग लिया। भारत भर के व्यावसायिक को की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम की नई सोच को दर्शाते हुए, एक अभिसरण तथा आकांक्षात्मक दस्तावेज पर चर्चा करने, विवाद करने तथा सुपुर्द करने हेतु इन्होंने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 को ध्यान में रखते हुए एक समकालीन कार्य योजना तथा आरसीआई के परिदृश्य और मिशन का विकास किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री जिष्णुबरुआ, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, असम सरकार द्वारा किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, परिषद ने 3-5 दिनों के दौरान की 828 सीआरआई कार्यक्रमों को अनुमोदित किया है तथा इसके कुल लाभार्थियों की संख्या 25055 है। वर्ष के दौरान, 443 कार्यशाला/सम्मेलन/संगोष्ठियों को भी अनुमोदित किया गया तथा लाभार्थियों की संख्या 35280 है। 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 के दौरान, निरंतर पुनर्वास शिक्षा (आरसीआई) कार्यक्रमों की स्थिति, स्वीकृत कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन तथा इनके लाभार्थी निम्नानुसार हैं-

	2019		2019	
माह	सीआरई कार्यक्रम	लाभार्थियों की संख्या	कार्यशाला / सम्मेलन / सेमिनार	लाभार्थियों की संख्या
जनवरी, 2019	36	1,080	16	1,250
फरवरी, 2019	31	930	21	1,725
मार्च, 2019	71	2,130	9	680
अप्रैल,2019	45	1,350	18	1,375
मई, 2019	179	5,340	192	14,090
जून, 2019	193	5,790	29	2,540
जुलाई, 2019	52	1,560	26	2,360
अगस्त, 2019	36	1,100	16	1,430
सितम्बर,2019	43	1,290	37	3,140
अक्तूबर, 2019	28	825	22	2,010
नवंबर, 2019	61	1,990	25	1,940
दिसंबर, 2019	53	1,670	32	2,740
कुल	**828**	**25,055**	**443**	**35,280**

5-6 मार्च, 2019 को एनआईईपीएमडी के सहयोग से राज्य स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

आरसीआई द्वारा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नात्कोत्तर, एमफिल तथा पीएचडी स्तर के अनुमोदित पाठ्यक्रम को चलाने के लिए 629 संस्थानों तथा 14 राज्य ओपन/ओपन विश्वविद्यालय को अनुमोदन दिया गया है।

केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में 4949 व्यावसायिकों तथा 6110 कर्मियों को पंजीकृत किया गया है तथा 13 दिसंबर, 2019 के अनुसार सीआरआर का कुल संचयन 1,47,133 है।

आरसीआई की जैडसीसी, उत्तरी अंचल-III द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यशाला

5.1.5 जिला शिक्षा प्रकोष्ठ (सैल)

परिषद् द्वारा जिला शिक्षा की स्थापना मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए की गयी। तदनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ पठन प्रणाली के माध्यम से बी.एड. विशेष शिक्षा (एच आई, वीआई एवं एमआर) के आयोजन के लिए वर्ष 2000 में आरसीआई एवं मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। अभी तक परिषद् ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के साथ उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में बी.एड. विशेष शिक्षा इडी–ओडी एल पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए 14 राज्यों/केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया :-

परिषद ने प्रति बैच प्रति पाठ्यक्रम में 30 भर्तियों के साथ दो शैक्षणिक सत्रों अर्थात 2019-21 एवं 2020-22 के लिए ओडीएल प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातकोत्तर, विशेष शिक्षा (एच आई और आईडी) को प्रारंभ करने के लिए एनएसओयू, कोलकाता को अनुमोदन दिया है।

क्र.सं.	यूनिवर्सिटी
1.	मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश
2.	उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश
3.	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता, पश्चित बंगाल
4.	डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात
5.	नार्थ–ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलौंग, मेघालय
6.	तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, चैन्नई, तमिलनाडु
7.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना
8.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक
9.	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान

10.	उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखंड
11.	डॉ. शंकुन्तला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
12.	अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडिस, एनएच–52, जिला नामोसाई, अरुणाचल प्रदेश–792103
13.	दी आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, कमलघाट, त्रिपुरा
14.	कृष्ण कांत हैंडकी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, गुवाहटी, असम

5.2 दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी)

5.2.1. सिंहावलोकनः

दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त की स्थापना पूर्ववर्ती निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 (1) के अंतर्गत की गयी है। मुख्य आयुक्त को दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्तों के कार्य का समन्वय, केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग की मानीटरिंग और दिव्यांगों के अधिकारों तथा उन्हें प्रदान की गयी सुविधाओं के संरक्षण के लिए उपाय करने के कार्य सौंपे गए हैं।

मुख्य आयुक्त अपनी स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर अथवा अन्यथा दिव्यांगजनों के अधिकारों का वंचन अथवा दिव्यांगजनों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए या जारी किए गए नियमों, उप नियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशा–निर्देशों या अनुदेशों इत्यादि के कार्यान्वयन नहीं करने से संबंधी शिकायतों की जांच करते हैं और संबंधित प्राधिकारियों से मामले को उठाते हैं। दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त इस तरह की किसी भी गैर अनुपालन की अपनी ओर से भी नोटिस ले सकते हैं और संबंधित प्राधिकारी के साथ मामले को उठा सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को अपना कार्य प्रभावी ढ़ंग से करने में सक्षम बनाने के लिए एक सिविल कोर्ट की कतिपय शक्तियां दी गयी है।

5.2.2 स्वतः संज्ञान में लिए गए मामलेः

सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय अधिनियम के विविध प्रावधानों जैसे रोजगार प्रवेश, प्रेस, मीडिया में रिपोर्ट की गयी दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव की घटनाओं का स्वतः संज्ञान ले सकता है तथा संबंधित प्राधिकरण के समक्ष मामले को प्रस्तुत कर सकता है। यह सक्रिय पहल से न केवल दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा हुई है अपितु इसके विभिन्न स्टेकहोल्डरों को संवेदी बनाया है और उनमें जागरूकता का सृजन भी किया गया है। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यालय एक अर्ध न्यायिक सांविधिक निकाय है, जिससे मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को दिव्यांगजन के अधिकारों के कल्याण और संरक्षण के लिए, दिव्यांगजन के अधिकार से वंचित करने तथा कानूनी नियमों के कार्यान्वयन ना करने आदि से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए एक सिविल न्यायालय के कुछ अधिकार सौपे गए हैं।

(1) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 75 के तहत मुख्य आयुक्त-

क. स्वयं या अन्यथा, किसी भी कानून या नीति, कार्यक्रम तथा कार्यवाहियों के प्रावधान का पता लगाएंगे, जो इस अधिनियम के विरुद्ध है तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय सिफारिश करेंगे।

ख. स्वयं या अन्यथा, दिव्यांगजन के अधिकारों की कमियों कथा ऐसे मामलों के लिए जिसमें केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है, के संबंध में उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा का जांच करेंगे तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष मामले को ले जाएंगे।

ग. दिव्यांगजन के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा उपलब्ध सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सिफारिश करेंगे।

घ. दिव्यांगजन के अधिकारों के उपभोग को रोकने वाले कारकों की समीक्षा करेंगे तथा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सिफारिश करेंगे।

ङ. दिव्यांग जनों के अधिकारों पर अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों तथा संधियों का अध्ययन करेंगे तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे।

च. दिव्यांगजन के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे तथा उसका प्रचार करेंगे।

छ. दिव्यांगजन के अधिकारों की जागरूकता का प्रचार करेंगे तथा उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध शिक्षाओं का प्रचार करेंगे।

ज. इस अधिनियम और दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए योजनाओं कार्यक्रमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन का मॉनिटरिंग करेंगे।

झ. दिव्यांगजन के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा सुपुर्द की गई निधियों के प्रयोग का मॉनिटरिंग करेंगे।

ञ. केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य क्रियाकलापों का निष्पादन करेंगे।

(2). मुख्य आयुक्त इस अधिनियम के तहत अपने क्रियाकलापों के निष्पादन के दौरान किसी भी मामले पर आयुक्तों से परामर्श करेंगे।

(3). दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी 77 के अनुसार मुख्य आयुक्त की शक्तियां निम्नानुसार है-

(1). मुख्य आयुक्त को इस अधिनियम के तहत अपनी क्रियाकलापों के निष्पादन के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक विवाद के दौरान सिविल कार्यवाहीसंहिता, 1908 के तहत न्यायालय में दिए गए अनुसार एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होंगी नामत

क. गवाहों को बुलाना तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना

ख. किसी भी दस्तावेजों का पता लगाना तथा समक्ष रखने का अनुरोध करना

ग. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या प्रतिलिपि को पुनः मांगना

घ. शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना तथा

ङ. गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा हेतु कमीशनजारी करना।

4. मुख्य आयुक्त के समक्ष प्रत्यक्ष कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 तथा 228 के अधीन एक न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 चौथा अध्याय XXVI के उद्देश्य के लिए एक सिविल न्यायलय के रूप में माना जाएगा।

5.2.3 राष्ट्रीय समीक्षा बैठक-

आयुक्तों के कार्य के समन्वय तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के कार्यान्वयन की वस्तुस्थिति की समीक्षा के लिए सीसीपीडी कार्यालय द्वारा वार्षिक रूप से राज्य आयुक्तों की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है। राज्य आयुक्तों ने अपने कार्य तथा उनके द्वारा की गयी पहल एवं वर्ष के दौरान दिव्यांगता क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का विवरण प्रदान किया। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन की 17वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन 23 – 24 जनवरी, 2020 को, नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक में 14 राज्य आयुक्तों तथा राज्य आयुक्तों/राज्य सरकारों के 18 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सीसीपीडी के कार्यालय का एक केस लॉ रिपोटर, 2017 प्रारंभ किया गया।

23-24 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में राज्यों/संघ शासित आयुक्तों की 17वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, माननीय सचिव- सह मुख्य आयुक्त श्रीमती शकुंतला डौले गामलिन, श्रीमती तारिका रॉय, संयुक्त सचिव डीईपीडब्लूडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

i. संयुक्त मोबाइल न्यायालय- दिव्यांगजन के लिए राज्य आयुक्तों के साथ संयुक्त मोबाइल न्यायालय का संचालन एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है जो विभिन्न प्रकार से दिव्यांग व्यक्तियों को बहुत हद तक उनके द्वार पर न्याय उपलब्ध कराने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही है। प्रत्येक मोबाइल न्यायालय में लगभग 500 से 600 संख्या के लोग आते हैं जिनमें से 60% की शिकायतें अभियोग को उसी स्थान पर निपटाया जाता है तथा शेष को राज्य आयुक्त के कार्यालय में भेज दिया जाता है।

ii. निधियों की मॉनिटरिंग अधिनियम की धारा 75(1) के तहत सीसीपीडी का एक मुख्य क्रियाकलाप दिव्यांगजन के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई निधियों के प्रयोग का मॉनिटरिंग करना है।

iii. राज्य की समीक्षा दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्तोंके कार्य का समन्वय करने के उद्देश्य हेतु तथा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए सीसीपीडी का कार्यालय नियमित अंतराल पर राज्य में राज्य की समीक्षा ओं का आयोजन करता है जिसमें दिव्यांगताओं केतु राज्य आयुक्त संबंधित विभागों जैसे शिक्षा स्वास्थ्य ग्रामीण विकास परिवहन लोक स्वास्थ्य सामाजिक महिला एवं शिशु विकास वित्त उद्योग रोजगारस्थानीय निकायों शहरी विकास आदि के प्रधान सचिवों के साथ बैठकों में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करती है। राज्य समीक्षाओं में आका है कि गैर सरकारी संगठनों तथा सिविल समाज ने मीडिया के माध्यम से जनसमूह के बीच अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता के

निर्माण में अत्यधिक रूप से प्रभावी कार्य किया है।राज्यों के मुख्य सचिवों को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देशिका दी गई है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में शामिल सरकारी अधिकारियों की सुग्राहीकरण में भी यह सहायक है।

iv. सार्वजनिक भवनों भवनों स्थानों की लेखा परीक्षा में अधिगम सीसीपीडी कार्यालय ने सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी कार्यालय भवनों अस्पतालों स्टेडियमों बाजारों रेलवे स्टेशनों हवाई अड्डा बस स्टॉप धार्मिक स्थानों आदि में उनकी सुगम नेता हेतु लेखा परीक्षा करने का पहल किया है तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि दिए गए समय अवधि में अपेक्षित संशोधन किए गए हैं।

v. शिकायतों का निवारण आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 75 के अधीन सीसीपीडी दिव्यांगजन को उपलब्ध अधिकारों तथा सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए तथा उनके अधिकारों से वंचितकरने के संबंध में उनके शिकायतों के निवारण तथा उनके कल्याण के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए कानून नियमों उप नियमों के कार्यान्वयन न करने के संबंध में उत्तरदायी है। सीसीपीडी का एक केंद्रीय बिंदु दिव्यांगजन को न्याय दिलाने के लिए है जब भी कोई सरकारी निकाय या स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिव्यांगजन को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है तो भारी संख्या में दिव्यांगजन सीसीपीडी कार्यालय से संपर्क करते हैं।

vi. सितंबर 1998 से उनके प्रारंभ करने से अब तक सीसीपीडी कार्यालय में 37906 मामले पंजीकृत हुए हैं तथा जनवरी 20 20 के अंत तक 36380 मामलों को निपटाया गया है। वर्ष 2019 जनवरी दिसंबर के दौरान 115 मामले निपटाए गए उपरोक्त बताए गए मामलों शिकायतों में सीसीपीडी की सिफारिशें मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है वर्ष 2019 के दौरान जनवरी तक कुल 686 मामले दर्ज किए गए तथा 750 मामलों को निपटाया गया है सीसीपीडी के अधिकतम आदेशों से दिव्यांग ता ग्रस्त व्यक्ति शिकायत कर्ताओं को लाभ हुआ है कई आदेशों से मौजूदा नीतियों को बनाने समीक्षा करने में सहायता प्राप्त हुई है जिससे दिव्यांगजन को लाभ हुआ है।

5.2.4आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 का कार्यान्वयन वर्ष 2019 के दौरान आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं राज्य के मुख्य सचिवों ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के शीघ्र कार्यान्वयन राज्य की सलाहकार बोर्ड के गठन तथा राज्य आयुक्तों के कार्यालयों को सुदृढ़ बनाने और संबंधित राज्योंमें अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने का अनुरोध किया है

उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन के लिए जागरूकता तथा बाधामुक्त वातावरण निर्माण हेतुकेंद्रीय विश्वविद्यालयों अस्पतालों होटलों हवाई अड्डों मुखिया ऑटोमोबाइल कंपनियों को समान अवसर नीतियों की पंजीकरण हेतु तथा शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति हेतु निर्देश दिए गए जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष के दौरान 586 कंपनियों ने अपने समान अवसरों नीतियों को सीसीपीडी कार्यालय के साथ पंजीकृत किया है।

5.3 स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

5.3.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय न्यास, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम, 1999 के एक अधिनियम द्वारा गठित, एक सांविधिक निकाय है।

5.3.1.1 राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के आनुषंगिक हो।

5.3.1.2 राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों–कानूनी और कल्याण के निर्वहन के लिए की गई है। स्थानीय स्तर की समितियों के माध्यम से कानूनी संरक्षकता प्रदान करने के लिए कानूनी कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। योजनाओं के माध्यम से कल्याण कर्त्तव्य का निर्वहन किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आश्रय, देखभाल और सशक्तिकरण शामिल हैं। अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए दिव्यांगजनों के समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और पूरी भागीदारी के लिए राष्ट्रीय न्यास प्रतिबद्ध है।

5.3.1.3 संगठनों का पंजीकरण राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन दिव्यांगजन के माता पिता का संघ दिव्यांगजन का संघ जोऑटिसम प्रमस्तिष्क घात मानसिक मंदता तथा बहुत दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 18601860 का 21 या कंपनी अधिनियम 1956 1956 का 1 की धारा 25 या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम के अधीन और निशक्त अधिनियम 1995या दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत संबंधित राज्य में पहले ही पंजीकृत किए गए हैं वे राष्ट्रीय न्यास में फॉर्म ई,(ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को भरने पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त) उचित रूप से मोहर लगाकर संगठन के शीर्ष से हस्ताक्षर करा कर ऑनलाइन फॉर्म भरने के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकते हैं। न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए न्यास के साथ ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक है।

5.3.1.4 राष्ट्रीय न्यास का कुल पंजीकृत संगठन आर हो 655 है। आर ओ की राज्यवार तथा जिला वार सूची को www.thenationaltrust.gov.inकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

क.स्थानीय स्तर की समिति (एलएलसी)

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13 के तहत देश के प्रत्येक जिले में 3 वर्षों की अवधि या जब तक निम्नलिखित सदस्यों का बोर्ड द्वारा पुनर्गठन किया जाए तब तक एक स्थानीय स्तर की समिति का गठन करना अपेक्षित है-

I. संघ के या राज्य के सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला न्यायाधीश या 1 जिले के एक जिला आयुक्त किरण से कम सरकार ना हो
II. राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत एक संगठन का एक प्रतिनिधि तथा
III. निशक्त अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड ण में परिभाषित एक दिव्यांग व्यक्ति।

स्थानीय स्तर की समिति का क्रियाकलाप छानबीन करना नियुक्त करना मॉनिटरिंग करना तथा कानूनी अभिभावकों को हटाना है।

*अब तक, 688 एलएलसी का गठन देश के सभी जिलों (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) में डीसी/डीएम के साथ अध्यक्ष एलएलसी के रूप में किया गया है। वर्ष 2019–2020 में, 1497 स्वीकृत कानूनी संरक्षक हैं और 3363 सत्यापित हैं (सत्यापित मामले वे स्वीकृत मामले हैं, जहां प्रणाली निर्मित कानूनी संरक्षक प्रमाणपत्र को फिर से हस्ताक्षर और एलएलसी अध्यक्ष के स्टांप के बाद अपलोड किया गया है)।

***अस्वीकरण : उपरोक्त आंकड़ा योजना प्रबंधन प्रणाली से आदिनांक के अनुसार हैं। यह स्थानीय स्तर समिति के निर्णय के अनुसार बदल सकता है।**

ख) कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति

(i) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17 स्थानीय स्तर समिति द्वारा दिए जाने वाले ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगजनों के लिए संरक्षकता पर विस्तृत है। संरक्षकता एक आवश्यकता आधारित सक्षम प्रावधान है।

(ii)एक संरक्षक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह अथवा वह उस व्यक्ति की देखभाल और सुरक्षा करता है जिसके लिए उसे संरक्षक नियुक्त किया जाता है। संरक्षक व्यक्ति और वार्ड की संपत्ति की ओर से सभी कानूनी निर्णय लेता है।

ग) राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी)

राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को लागू करने के लिए, राज्य स्तर पर इसका प्रभावी कार्यान्वयन और संबंधित राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय/संपर्क के लिए, राष्ट्रीय न्यास के एक प्रतिष्ठित पंजीकृत संगठन को राज्य नोडल एजेंसी सेंटर (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास संस्थागत गतिविधियों अर्थात् पंजीकृत संगठनों/स्थानीय स्तर की समिति (एलएलसी) की बैठकों, राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी),

प्रलेखन/रिपोर्टिंग, समन्वयक, के लिए मानदेय विविध गतिविधियों के संचालन के लिए निधियां प्रदान करता है। वर्तमान में देश में 28 एसएनएसी हैं।

वर्ष 2019–2020 के दौरान, एसएनएसी को 50.65 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। सभी राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (एसएनएसी) की व्यापक सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

घ) राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलएलसी)

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार के सचिव दिव्यांगता मामलों की देख–रेख करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं और संबंधित एसएनएसी समिति के संयोजक हैं। अब तक, 29 राज्यों/संघ क्षेत्रों में एसएलसीसी गठित की जा चुकी है।

(ड़) बोर्ड की बैठक

वर्ष के दौरान 31–12–2019 तक बोर्ड की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं और बोर्ड के सभी सदस्यों को कार्यवृत्त जारी किया गया और इसकों अध्यक्ष तथा बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करवाकर कार्यवृत्त पंजिका में चिपका दिया गया है।

क्रम संख्या	बोर्ड की बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख
1	82	24–06–2019
2	83	11–09–2019
3	84	02–12–2019

5.3.2 वर्ष 2019–20 के दौरान शुरू की गई योजनाओं, मुख्य विशेषताओं और नई/संशोधित योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :–

(i) दिशा (0–10 वर्ष की आयु वालों के लिए प्रारम्भिक उपाय और स्कूल तत्परता योजना)

यह राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं वाले 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक प्रारंभिक उपाय और विद्यालय तैयारी योजना है और इसका उद्देश्य उपचारों, प्रशिक्षणों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए प्रारंभिक उपाय करने हेतु दिशा केन्द्रों की स्थापना करना और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। पंजीकृत संगठनों को दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को एक दिन में प्रातः 8 बजे और सायंकाल 6 बजे के बीच में न्यूनतम 4 घंटों के लिए आयु विशिष्ट गतिविधियों सहित दिवसीय देख–भाल की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसमें दिव्यांगजनों के लिए केन्द्र में देखभाल प्रदाता और आया सहित विशेष अनुदेशक अथवा प्रारम्भिक उपाय थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक थेरेपिस्ट और परामर्शदाता होने चाहिए। योजना के तहत, देश में विगत 5 वर्षों के दौरान 2617 के लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 115 दिशा केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं।

इसमें 2019–20 के दौरान 580 लाभार्थियों के लाभ के लिए 29 दिशा केन्द्रों की स्वीकृति शामिल है। योजना के तहत, अब तक, 944.64 लाख रूपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। इसमें, 2019–20 के दौरान जारी किए गए 77.61 लाख रू. शामिल हैं। वर्तमान में, देश में 29 दिशा केन्द्र और 38 दिशा–सह विकास केन्द्र हैं।

(ii) विकास (10 + वर्षीय के लिए दिवस देखभाल योजना)

यह 10 वर्ष और उससे ऊपर की के दिव्यांगजनों के लिए दिवस देखभाल योजना है, मुख्य रूप से अन्तर्वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशलों को बढाने हेतु यह दिवस देखभाल योजना है क्योंकि वे उच्चतर आय वर्गों के संक्रमण काल के स्थिति में होते हैं। जिस समय के दौरान दिव्यांगजन विकास केन्द्र में होंगे, केन्द्र उन्हें दिवस–देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों को उनकी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय प्रदान करने के लिए सहायता करता है। पंजीकृत संगठनों को दिव्यांगजनों को एक दिन में (प्रातः 8 बजे और सांयकाल 6 बजे के बीच में) न्यूनतम 6 घंटों के लिए आयु विशिष्ट गतिविधियों सहित दिवसीय–देखभाल की सुविधा दी जानी चाहिए। दिवसीय देखभाल केन्द्र एक माह में न्यूनतम 21 दिनों के लिए खुला रहना चाहिए।

योजना के तहत, देश में विगत 5 वर्षों के दौरान 4357 लाभार्थियों के लाभ के लिए 124 विकास केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें 2019–20 के दौरान 660 लाभार्थियों के लाभ के लिए तैंतीस विकास केन्द्रों की स्वीकृति शामिल है। योजना के तहत, अब तक, 1552.29 लाख की धनराशि जारी की जा चुकी है। इसमें 2019–20 के दौरान जारी किए गए 112.28 लाख रू. शामिल हैं। वर्तमान में, देश में 38 दिशा–सह विकास केन्द्र हैं।

(iii) दिशा–सह विकास योजना (डे केयर)

पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर, इन पंजीकृत संगठनों को 1 अप्रैल 2018 से विलय की गई दिशा–सह–विकास योजना (डे केयर) आवंटित की गई।

योजना के तहत, 2019–20 के दौरान देश में 1170 लाभार्थियों के लाभ के लिए उनतालीस दिशा–सह–विकास केन्द्र हैं। योजना के तहत, अब तक 550.48 रू. की धनराशि जारी की गई है। इसमें 2019–20 के दौरान जारी किए गए 255.13 लाख रू. शामिल है। वर्तमान में, देश में 38 दिशा–सह विकास केन्द्र हैं।

(iv) समर्थ (राहत देखभाल योजना)

समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथों या परित्यक्तों, संकट में फँसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत शामिल की गई चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक दिव्यांगता वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एंव निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित दिव्यांगों को राहत (रैस्पाईट) गृह प्रदान करना है। यह परिवार के सदस्यों के लिए भी अवसरों के सृजन का उद्देश्य रखती है ताकि उन्हें अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राहत समय मिल सके। इस योजना का उद्देश्य सभी आयु वर्गों के लिए, व्यावसायिक चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा वाली सामूहिक गृह सुविधा प्रदान करने हेतु समर्थ केन्द्रों की स्थापना करना है।

योजना के तहत, देश में विगत 5 वर्षों के दौरान 1461 लाभार्थियों के लाभ के लिए 45 समर्थ केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 2019–20 के दौरान 111 लाभार्थियों के लाभ के लिए 8 समर्थ केन्द्रों की स्वीकृति शामिल है। योजना के तहत, अब तक, 765.44 लाख रू. की धनराशि जारी की जा चुकी है। इसमें 2019–20 के दौरान जारी किए गए 577.70 रू. शामिल है। वर्तमान में, देश में 8 समर्थ केन्द्र और 12 समर्थ–सह घरौंदा केन्द्र हैं।

(v) **घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)**

घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिश्चित गृह और जीवनभर न्यूनतम देखभाल सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है। योजना देशभर में सुनिश्चित गृह व्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना की स्थापना करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान करती है, स्वतंत्र और गौरवपूर्ण सहायता प्राप्त रहन–सहन को प्रोत्साहित करती है तथा चिरस्थायी आधार पर देख–भाल सेवाएं उपलब्ध कराती है।

योजना के तहत, देश में विगत 5 विगत वर्षों के दौरान 1000 लाभार्थियों के लाभ के लिए 50 घरौंदा केन्द्रों को स्वीकृत किया गया है। इसमें 2019–20 के दौरान 285 लाभार्थियों के लाभ के लिए 19 घरौंदा केन्द्रों की स्वीकृति शामिल हैं। योजना के लाभ के लिए 19 घरौंदा केन्द्रों की स्वीकृत शामिल हैं। योजना के तहत, अब तक, 1102.00 लाख रू. की धनराशि जारी की जा चुकी है। इसमें 2019–20 के दौरान जारी किए गए 114.15 लाख रू. शामिल हैं। वर्तमान में, देश में 19 घरौंदा केन्द्र और 12 समर्थ–सह घरौंदा केन्द्र है।

(vi) समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय)

पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई सहमति और योजना की नियमावली पर आधारित, इन क्षेत्रीय कार्यालयों को 01 अप्रैल, 2018 से विलय की गई समर्थ–सह घरौंदा योजना (आवासीय) आवंटित की गई थी।

योजना के तहत, देश में 2019–20 के दौरान 179 लाभार्थियों के लाभ के लिए 12 समर्थ–सह घरौंदा केन्द्र केन्द्र हैं। योजना के तहत, अब तक, 156.70 लाख रू. की धनराशि जारी की गई है। इसमें, 2019–20 के दौरान जारी किए गए 85.80 लाख रू. शामिल है। वर्तमान में, देश में 12 समर्थ–सह घरौंदा केन्द्र हैं।

(vii) **सहयोगी (देखभाल सहयोगी प्रशिक्षण योजना)**

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को, जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है, पर्याप्त और पोषणपूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए देखभाल सहयोगियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और इनका एक कुशल कार्यबल बनाने हेतु देखभाल सहयोगी (देखभालकर्ता) प्रकोष्ठों (सीएसी) की स्थापना करना है। यह अभिभावकों को, यदि वे चाहें, देखभाल करने के कार्य में प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करती है। यह योजना ऐसे देखभालकर्ताओं को बनाने के लिए, जो दिव्यांगजनों के परिवारों तथा दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने वाली अन्य संस्थाओं (गैर–सरकारी संगठनों, कार्य केन्द्रों इत्यादि) दोनों के साथ कार्य कर सकने लायक हों, प्राथमिक और उच्च दो स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण का विकल्प प्रदान करेगी।

योजना के तहत, सहयोगी योजना के तहत स्थापित किए गए 56 देखभाल प्रदाता प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें देश में विगत 5 वर्षों के दौरान 1762 देख–भाल प्रदाता प्रशिक्षित किए गए। योजना के तहत, अब तक 179.81 लाख रू. की धनराशि जारी की गई है। वर्तमान में देश में 56 सहयोगी केन्द्र है।

(vii) प्रेरणा (विपणन सहायता)

प्रेरणा, राष्ट्रीय न्यास की विपणन सहायता योजना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में शामिल किए गए दिव्यांगजनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के लिए व्यवहार्य और बड़े पैमाने पर चैनल का सृजन करना है। इस योजना व्यवहार्य और बड़े पैमाने पर चैनल का सृजन करना है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के बेचने के लिए प्रतियोगिताओं जैसे कि प्रदर्शनी, मेलों, उत्सवों आदि में भाग लेने के लिए निधियां उपलब्ध कराना है। योजना में पंजीकृत संगठनों को (आरओ) को दिव्यांगजनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के व्यापार के आधार पर प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) द्वारा तैयार किया किए गए उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए पंजीकृत संगठनों को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरीय समारोहों जैसे कि उत्सवों, प्रदर्शनियों, मेलों आदि में प्रतिभागिता के लिए वित्तपोषित करेगा। तथापि, इन कार्य स्थलों के अधिनियम कम से कम 51 प्रतिशत कर्मचारी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में शामिल किए दिव्यांगजन होने चाहिए। **बोर्ड के निर्णय के आधार पर, समीक्षा संशोधन के अधीन है।**

(ix) सम्भव (सहायक यंत्र और उपकरण)

यह देश के 5 मिलियन से अधिक आबादी (2011 जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक शहर में सहायक यंत्र, साफ्टवेयर और उपकरणों को दिखाने और प्रदर्शन के प्रावधान के साथ तैयार किए गए सहायक उपकरणों को अन्य रूप में व्यावस्थित और संग्रह करने के लिए एक–एक अतिरिक्त संसाधन केन्द्र स्थापित करने की योजना है। योजना में राष्ट्रीय न्यास की वेबसाईट पर सम्भव केन्द्र में उपलब्ध सहायक यंत्रों और उपकरणों के संबंधित सूचना का रख–रखाव भी शामिल है। इन केन्द्रों का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगताओं से ग्रस्त दिव्यांगजनों के हित और सशक्तिकरण के लिए सूचना और सहायक यंत्रों, उपकरणों, साफ्टवेयर आदि के लिए आसान पहुँच को उपलब्ध कराना है। **बोर्ड के निर्णय के अनुसार योजना संशोधन के अधीन है।**

(x) बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक इंटरऐक्शन (अंतःक्रिया) और अभिनव परियोजना योजना)

यह स्कीम राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों को ऐसी गतिविधियां शुरू करने में मदद करेगी जो राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगताओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर केन्द्रित हों। योजना का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, संवेदीकरण, दिव्यांगजनों का सामाजिक एकीकरण और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। **राष्ट्रीय न्यास प्रतिवर्ष प्रत्येक पंजीकृत संगठन के लिए अधिकतम 4 समारोहों को को समारोहों को प्रायोजित करेगा। प्रत्येक पंजीकृत संगठन को एक वर्ष में या तो समुदाय, शैक्षिक संस्थानों या चिकित्सा संस्थानों के लिए कम से कम एक समारोह को संचालित करना चाहिए।**

योजना के तहत, देश में विगत 5 वर्षों के दौरान, 126 पंजीकृत संगठनों को स्वीकृति दी गई थी। योजना के तहत, अब तक, 84.22 लाख रू. की धनराशि जारी की गई है। इसमें 2019–20 के दौरान जारी किए गए 0.90 लाख रू. शामिल हैं।

(xi) "निरामय" – स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा

योजना स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए वहनीय स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए है। नामांकित लाभार्थी 1.0 लाख रू. तक का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करते हैं।

पीडब्ल्यूडी श्रेणी	नमांकन शुल्क (रू. में)	नवीकरण शुल्क (रू. में)
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)	रू.250/-	रू.50/-
गैर बी.पी.एल.	रू.500/-	रू.250/-
दिव्यांगजनों कानूनी अभिभावक के साथ (प्राकृतिक माता–पिता के अलावा)	निःशुल्क	निःशुल्क

वर्ष 2019–2020 के दौरान 74497 लाभार्थियों को नामांकित्र किया गया है। कुल 9688 दावों का निपटारा किया गया है। योजना के तहत कुल व्यय रु .757.05 लाख है। वर्तमान में, अप्रैल, 2015 से मैसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

5.3.3 1 अप्रैल 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजनाओं की संरचना का विवरण

20 मार्च, 2018 को आयोजित राष्ट्रीय न्यास बोर्ड की 77 वीं बैठक में अनुमोदित किए गए अनुसार, राष्ट्रीय न्यास ने 1 अप्रैल 2018 से संशोधित योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है।

इसका विवरण अनुबंध –3 (पृष्ठ संख्या 155) पर हैं

एक पंजीकृत संगठन द्वारा कई योजनाओं के कार्यान्चयन के मामले में, दिशा और विकास नामक दो योजनाओं को दिशा–सह–विकास नामक से एक ही योजना के रूप में विलय कर दिया जाएगा। इसी तरह, समर्थ और घरौंदा को समर्थ–सह–घरौंदा नामक एक ही योजना में विलय किया जाएगा किसी भी स्थिति में, पंजीकृत संगठनों को एक समय में एक से अधिक योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी।

5.3.4. राष्ट्रीय न्यास वार्षिक आम बैठक 2019

राष्ट्रीय न्यास की 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन 11 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में सुश्री शकुंतला डी. गामलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

अध्याय 6

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)

6.1 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)

6.1.1 निगमित रूपरेखा

एलिम्को एक अनुसूची "ग" लघुरत्न श्रेणी–II केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य के लिए नही) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप), के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

6.1.2. उद्देश्य

देश के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास उपकरणों के संवर्धन, प्रोत्साहन तथा उपलब्धता बढाने, प्रयोग, आपूर्ति तथा वितरण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास उपकरणों के निर्माण द्वारा उन्हें अधिकतम लाभान्वित करना है।

निगम का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है और इसका मुख्य जोर उचित मूल्य पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराना है। इस निगम ने वर्ष 1976 में कृत्रिम सहायक यंत्रों का निर्माण शुरू किया था। वर्तमान में, इसके भुवनेश्वर (ओडिशा), जबलपुर (मध्य प्रदेश), बैंगलुरू (कर्नाटक), चानालोन (पंजाब) एवं उज्जैन (मध्य प्रदेश) में पाँच सहायक उत्पादन केन्द्र हैं। निमग के नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एवं हैदराबाद में चार विपणन केन्द्र तथा गुवाहटी में एक आउटरीच केन्द्र हैं।

निगम एकमात्र विनिर्माण कंपनी है जो पूरे देश में सभी प्रकार की दिव्यांगताओं की सेवा के लिए एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का उत्पादन करती है।

6.1.3. वित्तीय विशिष्टताएं

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 31 दिसंबर, 2019 तक निगम ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के 217.14 करोड़ रूपए की तुलना में 314.87 करोड़ रूपए (बिक्री के आंकड़े अनंतिम) का कारोबार हासिल किया है। पिछले वर्ष 47.28 करोड़ (अधिशेष अनंतिम आंकड़े) के अधिशेष की तुलना में वर्ष 2018–19 में 75.29 रुपये अर्जित किए है।

इसी प्रकार पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में उत्पादन का मूल्य 225.35 करोड़ रु (उत्पादन आंकड़े) वर्ष 2018–19 में 318.65 करोड रू. का उत्पादन हुआ।

6.1.4. निगम की वास्तविक कार्यक्षमता दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े

क्र.सं.	वास्तविक प्रदर्शन (महत्वपूर्ण उत्पाद का वास्तविक प्रदर्शन)	उत्पादन (संख्या में)		बिक्री (संख्या में)	
		2018-19	2019-20 (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार अनंतिम आंकड़े)	2018-19	2019-20 (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार अनंतिम आंकड़े)
(i)	ट्राईसाइकिल	66480	49799	86823	50610

(ii)	व्हील चेयर	81462	53776	75473	54932
(iii)	बैसाखियां	82671	60907	86900	46133
(iv)	श्रवण यंत्र	155472	79969	156183	82886

विवरण	2019-20 के बिक्री आंकड़े (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार अनंतिम)	2018-19 के बिक्री (लेखा परीक्षित)
जीआईए से जुटाए गए संसाधन	117.02	217.21
जीआईए के अलावा जुटाए गए संसाधन	100.12	124.66
कुल	**217.14**	**341.87**

6.1.5. एडिप शिविर

निगम ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में 30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 232 शिविरों के माध्यम से एडिप योजना के अंतर्गत 1,86,008 लाभार्थियों (उपकरण–वार) पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2019–20 में 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार एडिप योजना के अंतर्गत 93 शिविरों (अनंतिम) के माध्यम से 47459 लाभार्थियों (अनंतिम) को सेवाएं प्रदान की गई है।

6.1.6. एडिप–सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिविर

एडिप–एसएसए योजना के अंतर्गत, निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 (30.12.2019 की स्थिति के अनुसार) में 06–14 वर्षों के आयु वर्ग में विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए आयोजित 562 शिविरों (अनंतिम) में 55035 लाभार्थियों (अनंतिम) पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 में 06–14 वर्षों के आयु वर्ग में विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए आयोजित 649 शिविरों में 71671 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई।

6.1.7. एलिम्को के नए उत्पादों का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	एलिम्को के नए उत्पाद	विवरण
1	एलिम्को नी कैंप (23 का आरएल) : नी कैंप घुटने के जोड़ के सामने लगाते हैं। यह कमजोर या अस्थिर घुटने के लिए चिकित्सीय सहायता में मदद करता है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी है। यह घुटने को गर्म और चुस्त रखता है और गतिशीलता और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। यह मुलायम कपड़ों और चौड़े हिस्सों से बना है, जो पहनने में आसान है और अच्छी पकड़ प्रदान करता है।	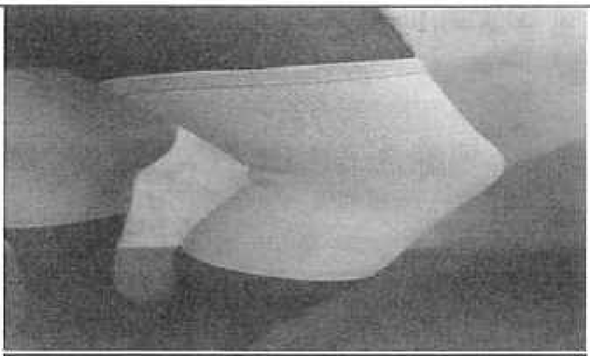

2	आटोमेटिक हैंड (पुयू 1 एफ 18): **हल्के वजन वाले स्वचालित हाथ को ऊपर की कोहनी और नीचे कोहनी के विच्छेदन के लिए विकसित किया जाता है ताकि वे दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे कि कलम पकड़ना, पीने के पानी का गिलास लेने और अन्य सामान्य दैनिक** कार्य कर सकें।	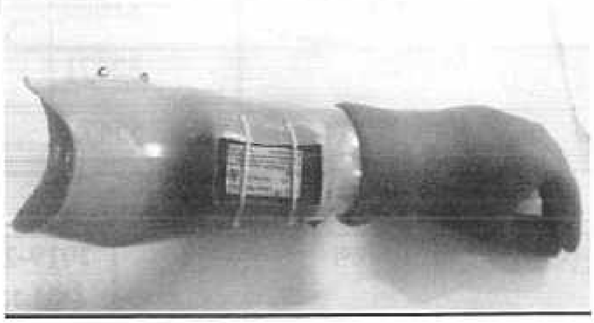
3	मोटरयुक्त ट्राईसाइकिल (टीडी 2 ए 65000) प्रोडक्ट के साथ नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं जिनके लाभ को नीचे सूचीबद्ध किया गया है : (i) डिस्क ब्रेक ऑन रियर व्हील : प्रभावी ब्रेकिंग जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसे वर्ष भर सभी प्रकार के क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जा सके। (ii) रिवर्स ड्राइव : यह लाभार्थियों को बिना किसी व्यक्ति की सहायता के लिए जिसे कभी–कभी पाना कठिन होता है, जब भी अपेक्षित हो, अपने वाहन को रिवर्स करने में सहायता प्रदान करता है।	 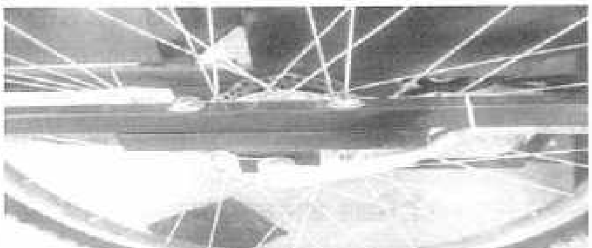

6.1.8. राष्ट्रीय वयोश्री योजना

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) को देशभर के विभिन्न जिलों/स्थानों में स्थित राष्ट्रीय वयोश्री योजना के निष्पादन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

31.12.2019 तक 122 जिलों में कुल 127 वितरण शिविरों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिसमें कुल 122417 लाभार्थियों को अनंतिम रूप से (उपकरण वार) सहायक यंत्र एवं सहायक लिविंग उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, 31 मार्च, 2019 तक 61 जिलों में कुल 64 वितरण शिविरों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिसमें कुल 191809 लाभार्थियों को अनंतिम रूप से (उपकरण वार) सहायक यंत्र एवं सहायक लिविंग उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

6.1.9. औद्योगिक संबंध

निगम में औद्योगिक संबंध का परिदृश्य शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और रोचक रहा है। निगम मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए परामर्शक दृष्किोण के माध्यम से अपने प्रबंधन में सहभागी प्रथा को बढ़ावा दे रही है। निगम ने वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध प्रणाली की किसी भी प्रकार के कारण एक भी व्यक्ति को नहीं खोया है।

6.1.10. गुणवत्ता मानक/आई एस आई मार्किंग

भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 2016 में बीहाइंड दी ईयर हियरिंग एड्स को आई एस आई मार्किंग लाइसेंस प्रदान किया है। तब से उत्पादकों की 17 श्रेणियों पर आई एस आई मार्किंग के लिए निगम को बी आई एस द्वारा दिए गए लाईसेंस को रखता है तथा वार्षिक आधार पर सभी लाईसेंसों का नवीनीकरण किया जाता है। उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, निगम ने विनिर्देशों और रेखाचित्रों को संशोधन करके, जहां भी लागू हो, आई एस आई चिन्हित सामग्री का उपयोग करना प्रारंभ किया है।

6.1.12. शिविर के झलक के चित्र

13.12.2019 को हरदोई, उत्तर प्रदेश में एडिप योजना के तहत एक मेगा वितरण शिविर में हियरिंग उपकरणों का वितरण करते हुए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता संघ मंत्री।

01.12.2019 को सहारनपुर जिला, उत्तर प्रदेश में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में ट्राइसाइकिल वितरण करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले

25.10.2019 को गांधीनगर, गुजरात में एडिप योजना तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित एक मेगा विवरण शिविर में मोटरयुक्त ट्राईसाईकिल वितरित करते हुए माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह

17.09.2019 को जयपुर, राजस्थान में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित एक मेगा वितरण शिविर में सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरण वितरित करते हुए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय मंत्री तथा अन्य अधिकारितागण।

6.2 नेशनल हैंडीकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी)

नेशनल हैंडीकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी, 1997 में की गई थी। यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह पूर्णतया भारत सरकार स्वामित्व अधीन है तथा इसकी 499.50 (चार सौ निनयानवे और पचास लाख रू. केवल) करोड़ रूपए की अधिकृत शेयर पूंजी है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

6.2.1. मुख्य उद्देश्य

(i) दिव्यांगजन के लाभ /आर्थिक पुनर्वास के लिए स्व–रोजगार और अन्य उपक्रमों को बढ़ावा देना।

(ii) ऐसी आय और/या आर्थिक मानदंडों जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हो, के अध्यधीन सहायता करना। जो आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं और

परियोजनाओं माध्यम से दिव्यांगजनों या दिव्यांगजनों के समूहों को ऋण और अग्रिम राशि द्वारा की जा सकती है।

(iii) स्नातक और उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए सामान्य /व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा को जारी रखने के लिए दिव्यांगजनों को ऋण देना।

(iv) उत्पादन इकाइयों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए दिव्यांगजन के तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन में सहायता करना।

(v) दिव्यांगजनों के लिए समाज में समावेशन और आरामदायक जीवन जीने की सुविधा।

(vi) उनकी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए दिव्यांगजनों के उचित पुनर्वास/उत्थान के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी, सामान्य सुविधा केंद्र और अन्य ढांचागत गतिविधियाँ स्थापित करना।

(vii) दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और पुनः वित्तपोषण करने के माध्यम से उन्हें वाणिज्यक निधियन प्राप्त करने के माध्यम से उनके विकास के प्रबंधन करने के लिए राज्य स्तर के संगठनों की सहायता करना।

(viii) राज्य सरकारों द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों, साझेदार बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों, जिनके द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए निधि चेनेलाईजिंग एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

(ix) स्व–नियोजित व्यक्तियों /यक्तियों के समूह या पंजीकृत कारखानों/कंपनियों/दिव्यांगजनों की सहकारी समितियों को उनके तैयार माल के विपणन में सहायता करने और कच्चे माल की खरीद में सहायता करना।

6.2.2 गतिविधियां/कार्य

(i) क्रेडिट आधारित गतिविधियाः एनएचएफडीसी 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाले और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को आय बढ़ाने इकाई स्थापित करने के लिए सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(क) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण सहायता, ब्याज–दर और पुनर्भुगतान अवधि विस्तार विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	योजना	अधिकतम ऋण (रू. लाख में)	लाभार्थियों द्वारा देय ब्याज दर	ऋण चुकाने हेतु अधिकतम अवधि
1	दिव्यांगजन स्वाबलंबन योजना	50.00	5-9% p.a. #	10 वर्ष
2	विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना प्रति सदस्य 60000 रू. की दर पर ऋण किसी भी उदेश्य हेतु पीडब्ल्यूडी और	प्रति पीडब्ल्यूडी 60000 रू.	महिलाओं के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक पुरुषों के लिए 13 प्रतिशत वार्षिक	3 वर्ष

	एसएचजी के माध्यम से उच्चतर शिक्षा			

(ख) दिव्यांगजन स्वाबलम्बन योजना के तहत दिव्यांग महिलाओं/ओएच के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगजन को 50000/–रू. तक के स्वरोजगार ऋण में 1 प्रतिशत ब्याज दर की छूट दी गई है। एनएचएफडीसी द्वारा इस छूट को वहन किया जाता है।

(ii) गैर क्रेडिट आधारित गतिविधियाँ :

एनएचएफडीसी अपने जनादेश को प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों के हित में धन प्रदान करता है और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। ये हैं :

क) कौशल प्रशिक्षण :

i) कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए सहायता :

एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों को पारंपरिक और तकनीकी व्यवसायों और उद्यमिता के क्षेत्र में उचित तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सक्षम और आत्म–निर्भर बनाने के लिए 18–50 वर्ष की आयु के बीच के दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पैनल में शामिल किए गए प्रशिक्षण भागीदारों/प्रतिष्ठित संस्थानों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएफडीसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान आम मानदंडों के अनुसार स्टाईपेंड भी प्रदान करता है।

कौशल प्रशिक्षण के लिए व्यापक पात्रता मानदंड

एनएचएफडीसी योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की आयु 15–50 वर्ष होनी चाहिए।

ख) जागरूकता सृजन और विपणन सहायता

i) जागरूकता सृजन :

एनएचएफडीसी, एनएचएफडीसी योजनाओं के प्रचार/जागरूकता सृजन के लिए प्रति वर्ष रु. 50,000 /– (केवल रुपये पचास हजार) तक की राशि या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पिछले वित्त वर्ष से बिलकुल पहले संवितरित राशि के 0.10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, के व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। कार्यान्वयन एजेंसियां पूर्व अनुमोदन लेंगी और प्रतिपूर्ति के लिए एनएचएफडीसी को प्रचार सामग्री की प्रतिलिपि के साथ बिल प्रस्तुत करेंगी।

ii) विपणन सहायता :

सुरजकुंड मेला, आईआईटीएफ और दिल्ली हाट जैसी विभिन्न प्रदर्शनियों में अपने तैयार माल के विपणन में स्व–नियोजित दिव्यांगजनों की सहायता करना। एनएचएफडीसी बड़े प्रतिष्ठित संगठनों के साथ टाई–अप के माध्यम से उनके व्यापार की पहुंच बढ़ाने के लिए बाजार उपायों में पीडब्ल्यूडी को भी सुविधा प्रदान करता है।

6.2.3 प्रदर्शन और उपलब्धियां

1997–1998 से 2019–2020 तक (31 दिसंबर, 2019 तक) ऋण योजनाओं के तहत एनएचएफडीसी की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	वित्त वर्ष	जारी की गई राशि (रू. करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
i)	1997-1998	0.26	11
ii)	1998-1999	0.93	230
iii)	1999-2000	5.76	1,164
iv)	2000-2001	11.81	2,645
v)	2001-2002	12.84	2,933
vi)	2002-2003	18.41	4,498
vii)	2003-2004	26.82	5,565
viii)	2004-2005	17.69	3,282
ix)	2005-2006	23.44	4,765
x)	2006-2007	26.09	4,831
xi)	2007-2008	28.30	5,498
xii)	2008-2009	30.28	5,950
xiii)	2009-2010	30.80	6,032
xiv)	2010-2011	31.84	6,356
xv)	2011-2012	50.86	10,625
xvi)	2012-2013	69.59	13,296
xvii)	2013-2014	75.87	13,312
xviii)	2014-2015	101.49	14,703
xix)	2015-2016	131.08	20,552
xx)	2016-2017	107.51	16,101
xxi)	2017-2018	90.14	11,767
xxii)	2018-2019	95.98	11,221
xxiii)	2019-2020 (31दिसम्बर, 2019 तक)	61.43	6,041
	कुल	**1,049.22**	**171,378**

6.2.3.1 ऋण सहायता के संबंध में

6.2.3.2 दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के संबंध में

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रू. करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2006-2007	0.03	100
2	2007-2008	0.17	238
3	2008-2009	0.23	258

4	2009-2010	0.43	625
5	2010-2011	0.15	190
6	2011-2012	0.41	709
7	2012-2013	0.86	1,061
8	2013-2014	4.22	4,889
9	2014-2015	11.55	10,908
10	2015-2016	28.16	17,638
11	2016-2017	22.03	18,930
12	2017-2018	2.09	1,500
13	2018-2019	35.53	15,786
14	2019-20 (31दिसम्बर, 2019 तक)	6.40	3,990
	कुल	**112.26**	**76,822**

6.2.3.3 पहल :

निगम ने आउटरीच का विस्तार करने के लिए कुछ पहल की है। ये इस प्रकार हैं :

(क) दिव्यांगजन स्वाबलंबन योजना

क) समामेलन ऋण योजनाएँ :

एनएचएफडीसी ने अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने और आउटरीच का विस्तार करने के लिए अपनी योजनाओं और दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा की है। एनएचएफडीसी ने ऋण आधारित वित्त पोषण के लिए नई दिशानिर्देशों को शामिल किया और सभी मौजूदा ऋण योजनाओं (स्व–रोजगार और शिक्षा ऋण योजना) को एक एकल ऋण योजना में शामिल किया, जिसे दिव्यांगजन स्वाबलम्बन योजना के रूप में जाना गया है ताकि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके और दिव्यांगजनों तक पहुंच बनाई जा सके।

ख) अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि :

ऋण सहायता की अधिकतम सीमा को.25.00 लाख से बढ़ाकर 50.00 लाख रू. कर दिया गया।

ग) शिक्षा ऋण सीमा में वृद्धि :

शिक्षा के लिए ऋण सहायता की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रू. कर दिया गया।

घ) शिक्षा ऋण चुकौती अवधि में वृद्धि :

शिक्षा ऋण के लिए चुकौती अवधि को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया था।

ङ.) मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि :

मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए ऋण सहायता की ऊपरी सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50.00 लाख रुपये कर दी गई।

च) उपयोग अवधि में वृद्धि :

एनएचएफडीसी ने उपयोग की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। कार्यान्वयन एजेंसियां निधियों के जारी होने के 120 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में इन निधियों का उपयोग प्रस्तुत करेंगी।

छ) एससीए को शक्ति का प्रत्यायोजन :

लाभार्थी को ऋण स्वीकृत करने के लिए **एससीए** की शक्ति को प्रति परियोजना 10 लाख से बढ़ाकर 50.0 लाख रू. कर दिया गया है। इस प्रकार, अब **एससीए** प्रत्यायोजित शक्ति के तहत अग्रिम धनराशि में से 50.00 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत और जारी कर सकते हैं।

ज) गतिविधियों /क्षेत्र का विस्तार :

निगम पारंपरिक रूप से आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। हालाँकि, ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहाँ गतिविधि लक्षित जनसंख्या के सशक्तिकरण में मदद करती है और अप्रत्यक्ष रूप से उसके परिवार के आय सृजन में मदद करती है।

अब दिव्यांगजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय सृजन में योगदान देने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करने या अपने सशक्तिकरण की समग्र प्रक्रिया में पीडब्ल्यूडी की मदद करने के लिए ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं जैसे कि पीने के पानी की सुविधा और स्वच्छता सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए वॉश (डब्ल्यूएएसएच) ऋण जिसमें निर्माण/घर के शौचालय और पानी के सुधार का नवीनीकरण/जल सुधार, बायोगैस संयंत्र, आवास, सौर पैनल, सहायक उपकरण आदि शामिल हैं।

(ख) एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र

एनएचएफडीसी ने (अत्याधुनिक) वहनीय माइक्रो कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की संकल्पना की है, जो कौशल प्रशिक्षण में गुणवत्ता के मुद्दे की देखभाल करने के लिए क्षेत्र में विशिष्ट विभिन्न ट्रेडों में सभी कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ फिट किए जाएंगे। केंद्र समान रूप से डिजाइन, और सुगम्य होंगे और गुणवत्ता समर्थन सुविधाओं (शौचालय, आदि) से युक्त होंगे और किसी भी स्थान के लिए लक्षित प्रशिक्षण ट्रेडों के लिए आवश्यक मशीनरी/उपकरण /गैजेट्स से लैस होंगे।

एनएचएफडीसी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को स्वामित्व और संचालन में रुचि रखने वाले दिव्यांगजन और इस तरह के कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए अपेक्षित स्थान/ भूमि (या तो स्वयं /पट्टे पर) की व्यवस्था है, जिसे रियायती ऋण और प्रशिक्षण अनुदान के माध्यम से एनएचएफडीसी द्वारा सहायता दी जाएगी। यह अनुमान लगाया गया है कि 30X10 फीट (लगभग) का एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र एक वर्ष में कम से कम 100 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे केंद्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन होगा।

(ग) एनएचएफडीसी फाउंडेशन का निर्माण

निगम ने एनएचएफडीसी फाउंडेशन का निर्माण किया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के लिए सहायता समर्थन शामिल है। फाउंडेशन दिव्यांगजनों, वृद्ध व्यक्तियों, अस्थायी दिव्यांगजनों, महिलाओं, बच्चों आदि सहित समाज के जरूरतमंद वर्गों की बेहतरी के लिए भी कार्य करेगा।

(घ) आय सृजन ऋण के लिए वाहन स्वामित्व

एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले/वाणिज्यिक वाहनों और फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच सहयोग की व्यवस्था करके दिव्यांगजन के लिए नियमित आय स्ट्रीम प्रदान करता है। इस मॉडल में, एनएचएफडीसी की चैनलाईजिंग एजेंसी या एनएचएफडीसी द्वारा वाणिज्यिक वाहन लगाए जाने के लिए दिव्यांगजन को वाहन ऋण प्रदान किया जाता है।

पीडब्ल्यूडी (वाहन मालिक) अपने ऋण के पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त किराया भाड़े के लिए एनएचएफडीसी फाउंडेशन के लिए लंबी अवधि के अनुबंध के आधार पर वाहन प्रदान कर सकता है और अपने लिए एक न्यूनतम जीवन पोषण भत्ता प्रदान कर सकता है।

वर्ष	वित्त परिव्यय / उपलब्धि (रू. करोड़ में)			वास्तविक उपलब्धियां	
	बी ई	आर ई	वास्तविक व्यय	सहायता प्रदत्त एजीओ की संख्या	*लाभार्थियों की संख्या
2016-17	30.00		107.51	3	16,101
2017-18	32.74	शून्य	90.14	3	11,797
2018-19	38.48	21.68	95.98	1	11,221
2019-20 (31.12.2019 तक)	99.50	शून्य	61.43	शून्य	6,041

* लाभार्थियों की संख्या केवल गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से सहायता करने वालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुल लाभार्थियों को परिलक्षित किया गया है, जिनके लाभ ऋण सहायता संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान निगम द्वारा जारी की गई थी।

राष्ट्रीय संस्थान एवं समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी)

7.1 प्राक्कथन

7.1.1 दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल नौ राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्त निकाय हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। ये नौ राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित हैं:–

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

(ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा

(iii) राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता, प. बंगाल

(iv) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, उत्तराखंड

(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई, महाराष्ट्र

(vi) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना

(vii) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगताग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चैन्नई, तमिलनाडु

(viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

(ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पूनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सिहोर, मध्य प्रदेश

7.2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), वर्ष 1960 में स्थापित हुआ है वह गतिविषयक दिव्यांगजनों जैसे पोलियो माइलिटिस, सेरेब्रल पाल्सी, अभिघातजन्य विकृति, मस्तिष्क घात के मामले आदि के पुनर्वास के लिए समर्पित है, ।

7.2.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य

(i) फिजियोथैरेपिस्टो, व्यावसायिक थैरापिस्ट, प्रोस्थैटिक्स और आर्थोटिक्स तथा अन्य ऐसे व्यावसायिकों, जो दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है, प्रशिक्षण शुरू करना।

(ii) मानसिक मंदता वाले अथवा बिना मानसिक मंदता वाले अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य–समायोजक और इसी तरह की अन्य पुनर्वास सेवाएं, जिन्हे सोसाइटी उपयुक्त समझती है, प्रदान करना।

(iii) ऐसे सहायक यंत्र और उपकरण, जिनकी दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए जरूरत पड़ती है, उनका निर्माण शुरू करना और वितरण करना।

(iv) ऐसी अन्य सेवाएं जो दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं, प्रदान करना।

(v) दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए अधिकाधिक प्रभावी तकनीकों के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान को शुरू करना, प्रायोजित करना और उन्हें बढ़ाना।

(vi) अनुसंधान और ऐसी अन्य गतिविधियां जिन्हें दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजायन किया जा सकता है, उनके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

(vii) ऐसे प्रकाशनों, जिन्हें उपयुक्त समझा जा सकता है, को शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।

7.3. पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूआईपीपीडी), नई दिल्ली

वर्ष 1960 में स्थापित पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन) पोलियो माइलाइटिस, प्रमस्तिकघात, तरूमेटिक डीफोरमिटी, मस्तिष्क आघात मामले आदि जैसे गतिशीलता दिव्यांगताओं से ग्रस्त लोगों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।

7.3.1 लक्ष्य और उद्देश्य

(i) फिजियोथैरेपिस्ट, व्यावसायिक थैरापिस्ट, प्रोस्थैटिक्स और आर्थोटिक्स तथा अन्य ऐसे व्यावसायिकों, जो दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है, प्रशिक्षण शुरू करना।

(ii) मानसिक मंदता वाले अथवा बिना मानसिक मंदता वाले अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य–समायोजक और इसी तरह की अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।

(iii) ऐसे सहायक यंत्र और उपकरण, जिनकी दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए जरूरत पड़ती है, उनका निर्माण शुरू करना और वितरण करना।

(iv) सम्मेलन, संगोष्ठी, परिचर्चा के आयोजन सहित ऐसी अन्य सेवाएं, जो दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं, प्रदान करना।

(v) दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए अधिकाधिक प्रभावी तकनीकों के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान को शुरू करना, प्रायोजित करना अथवा उन्हें बढ़ाना।

(vi) अनुसंधान अथवा ऐसी अन्य गतिविधियां, जिन्हें दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजायन किया जा सकता है, उनके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

(vii) ऐसे प्रकाशनों, जिन्हें उपयुक्त समझा जा सकता है, को शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।

(viii) ऐसे अन्य अन्य काम, जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो सकते हैं, करना।

7.2.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) चिकित्सा तैयारी और रेफरल
(ii) विशिष्ट क्लिनिकल सेवाएं
(iii) वाह्य रोगी आयुर्वेदिक क्लिनिक
(iv) अत्याधुनिक उपकरण और जिम सहित फिजियोथैरेपी
(v) व्यावसायिक थैरेपी
(vi) संवेदी अनुकूलन थैरेपी

(vii) मॉडल समेकित स्कूल

(viii) प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स

(ix) वाक् एवं भाषा तैयारी

(x) मनोवैज्ञानिक तैयारी

(xi) मार्गदर्शन और परामर्श

(xii) स्वतंत्र जीवन यापन प्रशिक्षण (एडीएल) इकाई

(xiii) सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण

7.2.3 मानव संसाधन विकास

7.2.3.1 पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, संस्थान प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स में स्नातकोत्तर (एमपीओ) स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम : फिजिकल थैरेपी (बीपीटी), व्यावसायिक थैरेपी (बीओटी) प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स (बीपीओ) प्रत्येक में 04 वर्ष 06 माह की अवधि का पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहा है। ये पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। संस्थान प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स में मास्टर (एमपीओ) कार्यक्रम भी चला रहा है।

7.2.3.2 क्षेत्रीय केन्द्र/सेटेलाइट केन्द्र/ समेकित क्षेत्रीय केन्द्र : संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान सिकन्दराबाद के परिसर में अपनी दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र (एसआरसी), सीमापुरी और नरेला, नई दिल्ली में, नीलीखेड़ी, करनाल, हरियाणा में और टोंक, राजस्थान में सेटेलाइट केन्द्रों की स्थापना की है। संस्थान दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), की सुविधा प्रदान करता है।

7.2.4 नई पहलें और कार्यक्रम

पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूआईपीपीडी), नई दिल्ली भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा 26 अक्टूबर, 2019 को दीपावली त्योहार के अवसर पर संस्थान में लाने तथा उनके द्वारा दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण और अन्य चिकित्सीय उपकरणों को उपहार स्वरूप देने के लिए गौरवान्वित हुआ। उनके साथ माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत और मंत्रालय के अधिकारी भी थे। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने संस्थान के रोगियों, उनके माता–पिता और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने मस्तिष्क पक्षाघात, ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पाइन बिफिडा और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों की पहचान वाले बच्चों को सहायक यंत्र और अन्य चिकित्सीय उपकरण प्रस्तुत किए थे।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने संस्थान द्वारा दिव्यांगजन को प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की। उन्होंने संस्थान के कर्मचारियों को दिव्यांगता के क्षेत्र में निस्वार्थ रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूआईपीपीडी), द्वारा निष्पादित कार्यकलापों की झलक

दिनांक 27.11.2019 को विश्व सांस्कृतिक दिवस पर तैयारी करता हुआ पीडीयूआईपीपीडी का स्टाफ

कार्यक्रम–दिव्यांग कला शक्ति

स्वच्छ भारत मिशन के अवसर पर एमआईपी, स्कूल, पीडीयूएनआईपीपीडी द्वारा सतर्कता सप्ताह स्वच्छता रेली

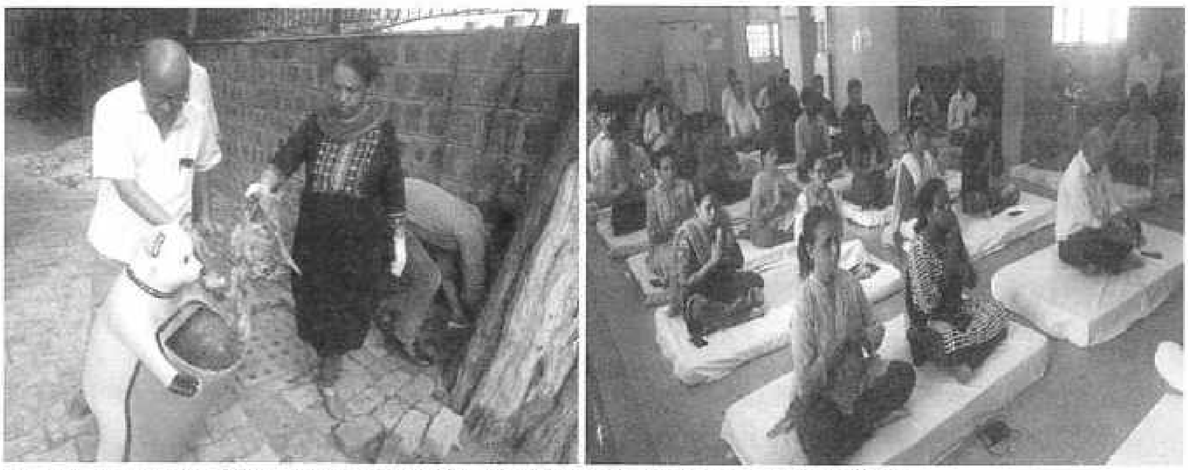

21 जून, 2019 भारत मिशन स्वच्छ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान

7.4 स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) पिछले 43 वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा करता आ रहा है। यह 1975 में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर की एक सहायक इकाई के रूप में राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक संस्थान

(एनआईपीओटी) के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईपीओटी को 22 फरवरी, 1984 को समुदाय आधारित पुनर्वास और मानव संसाधन विकास पर जोर देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (पहले का कल्याण मंत्रालय), के भारत सरकार के अन्तर्गत रखा गया था। तब से लेकर, यह इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। इसका नाम 1984 में एनआईपीओटी से बदलकर एनआईटीएआर कर दिया गया और बाद में वर्ष 2004 में इसका नाम (एसवीएनआईआरटीएआर) कर दिया गया।

7.3.1 **लक्ष्य और उद्देश्य :**

(i) यह दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रास्थेटिस्टों, आर्थोटिस्टों, फीजियोथैरेपिस्टों, व्यावसायिक थैरेपिस्टों, बहुउद्देश्य पुनर्वास थैरेपिस्टो और अन्य पुनर्वास कार्मिकों जैसे पुनर्वास कार्मिकों के लिए दीर्घकालीन, अल्पकालीन प्रशिक्षण का दायित्व उठाता है।

(ii) सहायक यंत्रों और उपकरणों के डिजायन किए गए नमूनों का प्रचार करना, वितरण करना और निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना।

(iii) गतिशील दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवा वितरण कार्यक्रमों के मॉडलों का विकास।

(iv) शारीरिक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्लेसमेंट (नियोजन) और पुनर्वास।

(v) भारत और विदेश में दिव्यांगता और पुनर्वास पर प्रलेख और प्रसार सेवा।

(vi) शोध– अस्थि रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए गतिशील सहायक उपकरणों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए बॉयो मेडिकल इंजीनियरिंग पर शोध गतिविधियों को संचालित करना और समन्वय करना अथवा उपयुक्त सर्जिकल अथवा चिकित्सा प्रक्रियाओं संबंधी शोध करना तथा नए सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए शोध करना।

(vii) विस्तार और आउटरीच सेवाएं।

(viii) भारत और विदेश में पुनर्वास के क्षेत्र में किसी अन्य कार्रवाई को शुरू करना।

7.3.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) सुधारात्मक सर्जरियां

(ii) 100 बिस्तरों वाला अस्पताल

(iii) विभिन्न प्रकार की चलन दिव्यांगताओं वाले रोगियों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करना

(iv) सामाजिक कार्य

(v) वाक् एवं श्रवण

(vi) स्थानीय प्रशासन/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर बहुत से मूल्यांकन शिविरों और सर्जिकल शिविरों को आयोजित करना

(vii) थैरेप्यूटिक पुनर्वास सेवाएं (फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थैरेपी)

(viii) प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक उपकरणों का निर्माण और फिटमेंट

7.3.3 सीएडी/कैम ऑपरेंडी की रिपोर्ट :

संस्थान नाल्को, भुवनेश्वर से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में प्राप्त एक 7 एक्सिस रॉडिन 4 डी रोबोटिक सिस्टम (सीएडी /सीएएम) संचालित करता है। यह प्रणाली का उपयोग विभिन्न स्पाइन विकारों के लिए प्रोस्थेटिक सॉकेट और स्पानल ब्रेसिस के उत्पादन हेतु किया जाता है। संस्थान इस प्रणाली का उपयोग अपने छात्रों के साथ–साथ बाहरी छात्रों के लिए भी कर रहा है, जो स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

संयुक्त सचिव, डॉ. प्रबोध सेठ द्वारा दिनांक 10.10.2019 को किया गया दौरा

श्री अमरेश प्रसाद गौड़ को बधाई दी गई, जिन्होंने 03.12.2019 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर वैश्विक आईटी चुनौती में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता।

संयुक्त सचिव, श्रीमती तारिका रॉय, डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा 20.12.2019 को दौरा।

7.4 राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी) कोलकाता

तत्कालीन सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनएक स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 1978 में राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), पहले का राष्ट्रीय अस्थिरोग ग्रस्त संस्थान (एनआईओएच), की कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई थी। एनआईएलडी दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करता है और उन्हें अपने गैर–दिव्यांग मित्र समूह के साथ एक समान अधार पर पुनर्वास, प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के माध्यम से जीवन जीने के लिए अपने अधिकारों को अनुभव करने में सक्षम बनाता है।

7.4.1 लक्ष्य और उद्देश्य :

- समन्वय अथवा गतिशीलता की समस्या सहित अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान को संचालित/प्रायोजित समन्वयन करना अथवा सब्सिडी देना है।
- बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में सहायक यन्त्रों के प्रभावी मूल्यांकन और मानकीकरण अथवा उपयुक्त सर्जिकल अथवा चिकित्सा प्रक्रिया अथवा नए सहायक उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान शुरू करना, प्रायोजित करना, समन्वयन करना अथवा सब्सिडी देना।
- प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं अथवा ऐसे अन्य कार्मिकों, जिन्हें संस्थान द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण को बढ़ावा देने अथवा अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझा जाता है, के प्रशिक्षण को शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।
- अस्थिरोग ग्रस्त व्यक्ति की थैरेपी अथवा शिक्षा पुनर्वास के किसी भी पक्ष को बढ़ावा देने के लिए डिजायन किए गए किसी अथवा सभी सहायक उपकरणों का वितरण करना, बढ़ावा देना अथवा निर्माण के लिए सब्सिडी देना।

प्रदत्त सेवाएं

(i) मानव संसाधन विकास (डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के 10 विभिन्न पाठ्यक्रम)

(ii) अनुसंधान और विकास

(iii) शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास

(iv) आउटडोर सेवाएं

(v) पैथोलॉजिकल अनुमान

(vi) रेडियोलॉजी

(vii) सुधारात्मक सर्जरी

(viii) उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराना

(ix) फिजियोथैरेपी

(x) ऑक्यूपेशनल थैरेपी

(xi) प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स

(xii) संस्थान और शिविरों के माध्यम से एडिप योजना का कार्यान्वयन करना

(xiii) विशेष शिक्षा परामर्श (काउंसलिंग)

(xiv) श्रवण मूल्यांकन

(xv) पुस्तकालय प्रलेखीकरण और सूचना का प्रसार

(xvi) छात्रों का प्लेसमेंट (नियोजन)

(xvii) ऑक्यूपेशनल परामर्श (काउंसलिंग) और निर्देशन

(xviii) आर्थिक पुनर्वास

(xix) दिव्यांगजनों के लिए रेलवे किराया छूट

(xx) प्रशिक्षण सहभागियों के सहयोग से विकास

(xxi) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मानीटरिंग

(xxii) जागरूकता सृजन

(xxiii) प्रदर्शनी

(xxiv) अन्य गतिविधियाँ (जन सूचना अधिकार का उत्तर देना, भारत सरकार के अनुदेश के अनुसार, विशेष दिवसों / सप्ताह का अनुपालन)

7.4.3 क्षेत्रीय केन्द्र और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

संस्थान के देहरादून में क्षेत्रीय अध्याय और आइजॉल में क्षेत्रीय केन्द्र है जो पटना, त्रिपुरा और नाहरलागुन के दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए एक समेकित क्षेत्रीय केन्द्र के कार्यों को समन्वित भी करता है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति 1 अक्तूबर, 2019 को एनआईएलडी, कोलकाता निदेशक को ई–रिक्शा की चाबी सौंपते हुए

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्तूबर, 2019 को संयुक्त सचिव के साथ एनआईएलडी, कोलकाता की मल्टीसेंसरी इंटिग्रेशन यूनिट में विचार–विमर्श

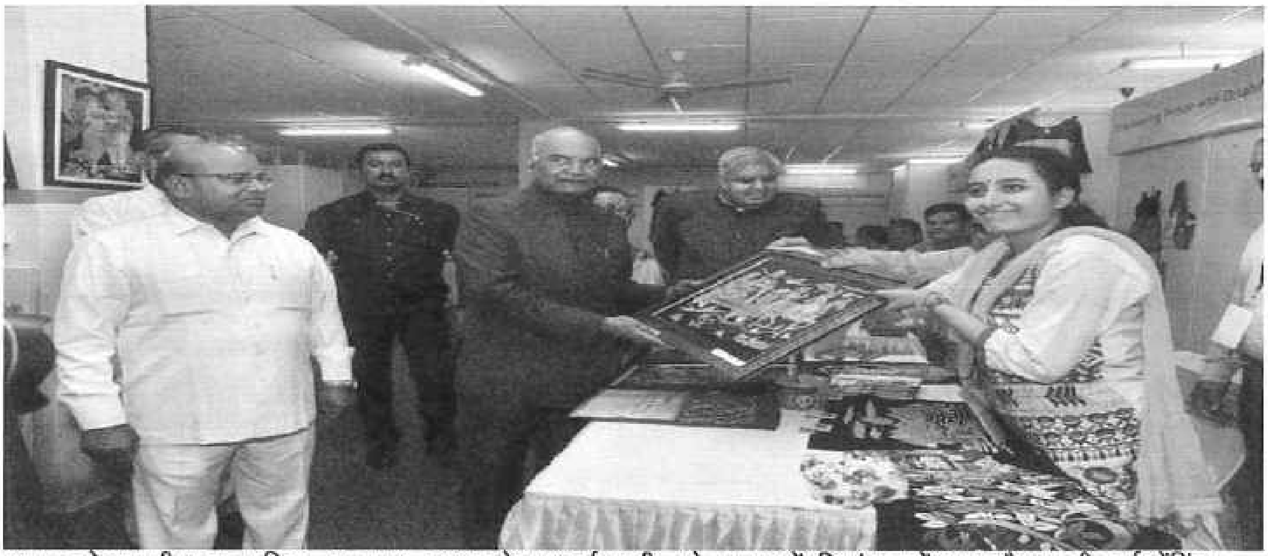

भारत के माननीय राष्ट्रपति 1 अक्तूबर, 2019 को एनआईएलडी, कोलकाता में दिव्यांगजनों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग प्राप्त करते हुए

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की रोगियों के साथ बातचीत–30.01.2019

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग -30.09.2019

7.5 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून की स्थापना वर्ष 1979 में हुई। यह दृष्टि दिव्यांगजनों को सामुदायिक जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग लेने के मुख्य उद्देश्य के साथ दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान है।

7.6.1 लक्ष्य और उद्देश्य

संगम ज्ञापन (एमओए) में यथा उल्लिखित एनआईईपीवीडी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

(i) शिक्षकों, ओ एंड एम प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित करना और प्रायोजित करना और समाज के मुख्य धारा के संस्थानों के फील्ड अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण करना।

(ii) दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के विभिन्न आयामों में अनुसंधान का संचालन, प्रायोजन, समन्वय और/या सब्सिडी देना।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं और ऐसे अन्य कार्मिक, जो भी आवश्यक समझे जाएं, सहित विभिन्न विशिष्ट व्यावसायिकों का प्रशिक्षण शुरू करना अथवा प्रायोजित करना।

(iv) न्यूनतम मानक और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य पुनर्वास सेवाओं के मॉडल तैयार करना और विकसित करना।

7.5.2 मानव संसाधन विकास और सशक्तिकरण कार्यक्रम

7.5.2.1 दीर्घ अवधि वाले चार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है:

(i) एम.एड. विशेष शिक्षा (VI)

(ii) पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

iii) बी.एड. विशेष शिक्षा (VI)

(iv) विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (VI),

7.5.2.2 ब्रेल विकास इकाई गारो, खासी, भूटिया, लेपचा और नागा और कश्मीरी भाषाओं के लिए ब्रेल कोड को तैयार करने में पूरी तरह से सफल रही है।

7.5.2.3 दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए मॉडल स्कूल 1959 से चल रहा है और यह प्री–स्कूल स्तर से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा प्रदान करता है।

7.5.2.4 वयस्क दृष्टिहीन के लिए प्रशिक्षण केंद्र (टीसीएबी) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्लेसमेंट यूनिट ने 5850 उम्मीदवारों को प्रायोजित किया, जिनमें से 82 दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को सफलतापूर्वक नौकरियों में रखा गया।

7.5.2.5 ब्रेल उपकरणों का विनिर्माण – ब्रेल उपकरणों के विनिर्माण के लिए कार्यशाला 1952 से चल रही है। कार्यशाला विभिन्न प्रकार के लेखन, कंप्यूटिंग, मनोरंजन, गतिशीलता, खेल और मनोरंजन उपकरणों का निर्माण कर रही है।

7.5.2.6 दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा को ब्रेल बुक्स, टॉकिंग बुक्स, लार्ज प्रिंट बुक्स और विशेष सहायक यंत्रों और उपकरणों तक आसानी से पहुँच प्रदान करने और असेवित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए, देश के विभिन्न में 105 लाइब्रेरी एक्सटेंशन और सेल्स काउंटर्स की स्थापना की है। एक ऑन लाइन ब्रेल लाइब्रेरी–पुस्तकालय वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इस सफल उपक्रम ने भारत सरकार के 'सुगम्य भारत आंदोलन' के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को अलंकृत किया है। इसमें राष्ट्रीय संयुक्त

सूची और सुगम्य पुस्तकों की डिजिटल सामग्री भंडार है। इस ऑनलाइन लाइब्रेरी ने सुलभ स्वरूपों में 3,45,703 शीर्षकों में से 28,730 तक पहुंच प्रदान की है। इसके अलावा, साहित्य के लिए ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने के लिए सुगम्य पुस्तकालय के साथ 79 पुस्तकालयों ने भी पंजीकरण किया है।

7.5.2.7 **संस्थान की केंद्रीय ब्रेल प्रेस** 1951 में स्थापित की गई, क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस, चेन्नई में 2008 में स्थापित की गई, तीन लघु पैमाने की प्रिंटिंग यूनिट, शिलॉन्ग, आइजाल में 2009–10, में स्थापित की गई और 2013 में गुवाहाटी, असम में चौथी स्मॉल स्केल ब्रेल प्रिंटिंग यूनिट स्थापित की गई।

7.5.2.8 लार्ज प्रिंट प्रेस– संस्थान ने 31 मार्च, 2012 को देश के पहले बड़े प्रिंट प्रेस की स्थापना की और दूसरी बड़ी प्रिंट यूनिट भी आरसी, सेंटर चेन्नई में वर्ष 2017 में स्थापित की गई। ये यूनीक विशिष्ट प्रेस बड़े प्रिंट फॉन्ट में स्कूल की पाठय पुस्तकों को निम्न दृष्टिहीन बच्चों तक उपलब्ध कराते हैं।

7.5.2.9 अनुसंधान और विकास– संस्थान 10 अनुसंधान परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

7.5.2.10 क्षेत्रीय केन्द्र और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

संस्थान का एक क्षेत्रीय केन्द्र चेन्नई (तमिलनाडु) में, दो क्षेत्रीय चेप्टर, सिकन्दराबाद (आंध्रप्रदेश) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में है और यह हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर में दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केन्द्र के साथ समन्वित करता है।

ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक सहायता योजना के तहत, संस्थान ने बिहार, मेघालय, मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य में 6 नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना की है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना का प्रस्ताव प्रगति पर है। वर्तमान ब्रेल प्रेसों के आधुनिकीकरण की श्रेणी के तहत, 12 ब्रेल प्रेसों को आधुनिकीकृत और 03 ब्रेल मुद्रण प्रेसों को सवंर्धित किया गया था।

7.5.3 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थानँ (एनआईईपीवीडी) की 2019–20 की महत्वपूर्ण गतिविधिया

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 18 अप्रैल, 2019 को राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजनों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। दृष्टिबाधित के लिए मॉडल स्कूल के दृष्टि बाधित छात्रों और संस्थान के व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षु ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। मॉडल स्कूल के छात्रों ने 23 जुलाई 2019 को संसद भवन, नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम 'दिव्य कला शक्ति – दिव्यांगता में क्षमता का दर्शन।

(ii) जो 30 सितंबर से 7 अक्टूबर 2019 तक आयोजित आईबीएसए एशियाई ब्लाइंड फुटबॉल चौम्पियनशिप, 2019 में भाग लेने के लिए पाटया, थाईलैंड के लिए इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के लिए मॉडल स्कूल फुटबाल खिलाड़ियों : मास्टर सोवेंद्र, मास्टर शिवम नेगी, मास्टर साहिल और मास्टर पंकज राणा जो विशेष शिक्षा और अनुसंधान विभाग के छात्र है, का चयन श्री नरेश नायल की देखरेख में किया गया। भारतीय टीम ने मलेशिया को 2–0 से हराकर टूर्नामेंट में पांचवां स्थान हासिल किया।

मास्टर पंकज राणा ने भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम की कप्तानी की। मैच में मास्टर शिवम नेगी (मॉडल स्कूल स्टूडेंट) द्वारा गोल किए गए।

(iii) श्री नरेश नायल, पी.ई.आई की देखरेख में संस्थान के मॉडल स्कूल के 08 खिलाड़ियों की एक फुटबॉल टीम ने 12–15 अप्रैल, 2019 से आयोजित IV आईबीएफएफ नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट 'में भाग लिया। टीम ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की टीमों के खिलाफ तीन लीग मैच जीते और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कप्तान, मास्टर पंकज राणा ने एक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया और इस टूर्नामेंट में 11 गोल किए और उन्हें गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया।

(iv) संस्थान के सेंट्रल ब्रेल प्रेस ने लोकसभा, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए लोकसभा के 139 निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ब्रेल में 2,89,153 डमी बैलेट पेपर छपवाए। चुनाव 2019. संस्थान ने लोकसभा चुनाव, 2019 में मतदाताओं के लिए जागरूकता पैदा करने में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। संस्थान में एक सुगम्य पोलिंग स्टेशन को विभिन्न दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुसार सभी सुगमता सुविधाओं के साथ बनाया गया था। श्रवण व्यक्तियों को सुनने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए सांकेतिक भाषा में पोस्टर भी प्रदर्शित किए गए थे।

(v) V अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, 21 जून, 2019 को संस्थान के मॉडल स्कूल मैदान में एक समावेशी योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के मुख्य अतिथि और कार्यकारी निदेशक डिजाइन द्वारा योग पर एक पुस्तक– 'सींखे सूर्य नमस्कार' भी जारी की गई। यह पुस्तक विशेष रूप से दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए बहुत उपयोगी होगी।

(vi) 05.08.2019 को संस्थान में श्री प्रेम चंद अग्रवाल, स्पीकर उत्तराखंड विधानसभा द्वारा संस्थान में 108 चंदन (चंदन) वन वाटिका और अशोक वाटिका का उद्घाटन किया गया।

(vii) 13 सितंबर, 2019 को आईआरडीटी, ऑडिटोरियम देहरादून में दो दिवसीय जोनल कोर्स कोऑर्डिनेटर मीट –2019 'का आयोजन किया गया। तारिका राय, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर शोभा बढ़ाई। यह कार्यक्रम एनआईईपीवीडी देहरादून द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया था।

(viii) कुछ अभिलेखीय सामग्री संस्थान के किसी एक स्टोर में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। गांधी जी का चरखा उनमें से एक है। 1.10.2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती की पूर्व संध्या पर इसका अनावरण किया गया।

(ix) संस्थान के सेंट्रल ब्रेल प्रेस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के तहत पहल शुरू की। भारत की। सेंट्रल ब्रेल प्रेस ने नाम प्लेट्स, साइनबोर्ड्स, टेबल टॉप और बैज और साइनेज विकसित किए और ब्रेल के डॉट्स को क्यूआर कोड के साथ सुलभ प्रारूप में और सार्वभौमिक डिजाइन में उभारा।

(x) संस्थान के सेंट्रल ब्रेल प्रेस ने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में नेम प्लेट पर ब्रेल स्टिकर और क्यूआर कोड को सार्वभौमिक डिजाइन में चिपकाकर एक अग्रणी काम

किया। संस्थान द्वारा एमएस जे एंड ई में चल रही उसी कार्य का किया जा रहा है। अब तक, संस्थान ने सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली और दो संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के लिए ब्रेल संकेत दिए हैं। संस्थान को अधिक ब्रेल नाम प्लेट बनाने के लिए मंत्रालय से एक सूची प्राप्त हुई है। प्रक्रिया चल रही है।

(xi) सुलभ कैलेण्डर वुडनैटर को संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें तारीख, दिन और महीना शामिल हैं। डैटर में ब्रेल एम्बोस्ड के साथ उत्कीर्ण सामग्री भी शामिल है। उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल, श्रीमती बेबी रानी मौर्य द्वारा 1 जनवरी, 2020 को सुलभ कैलेंडर और डेटर जारी किया गया।

(xii) संस्थान ने 29 नवंबर से 1 दिसंबर, 2019 तक स्नाहिल संस्था के सहयोग से एक समावेशी कला महोत्सव का आयोजन किया। विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने कला उत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को बढ़ाकर पोषण और प्रदर्शन करके शिक्षा में कला को बढ़ावा देना था। उन्होंने अपने जटिल चित्रों के माध्यम से बेजुबानों के मन को हमेशा के लिए प्रज्वलित करने वाली कहानियों का चित्रण करके संस्थान की दीवारों पर जीवन को सफलतापूर्वक दर्शाया है।

(xiii) एनआईईपीवीडी, देहरादून ने पहली बार विभिन्न –दिव्यांगता दृष्टिकोण में नर्सरी श्रमिकों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित किया। दिव्यांगजन में विपणन कौशल विकसित करने के लिए, 3 से 5 दिसंबर, 2019 तक दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नर्सरी के पौधे और डिस्पोजेबल पेपर उत्पादों की बिक्री के लिए स्टाल का प्रदर्शन किया गया और महीने के दौरान 21,000/– रुपये की बिक्री दर्ज की गई।

(xiv) 17 दिसंबर से 20 दिसंबर, 2019 तक प्रभावी रूप से नई दिल्ली में प्रशिक्षकों (टीओटी) के स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर डिसएबल्स विद डिसेबिलिटीज के अनुरोध पर दिव्यांगजनों के लिए संस्थान के व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग से आईटीएटी प्रशिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई थी। वह एक प्रमाणित मास्टर ट्रेनर है जो प्रशिक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तक्षशिला पोर्टल पर पंजीकृत है और एससीपीडब्ल्यूडी को संसाधन व्यक्तियों के रूप में सहायता प्रदान करता है।

(xv) एनआईईपीवीडी द्वारा दिनांक 30.6.2019 को थ्रिल जोन के सहयोग से विषय–"रन फार इन्क्लूसिव असेप्टेंस" आयोजित की गई थी। यह अपनी तरह का पहला है जिसमें देहरादून के दिव्यांग धावक और गैर–दिव्यांग धावकों के साथ 5 किलोमीटर – 10 किमी के लिए दृष्टि दिव्यांगजन भाग लेते हैं। कर्मचारियों, विशेष शिक्षा और अनुसंधान के छात्रों के साथ–साथ संस्थान के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस आयोजन को सोलो रन, कपल रन और सोलमेट रन सहित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था।

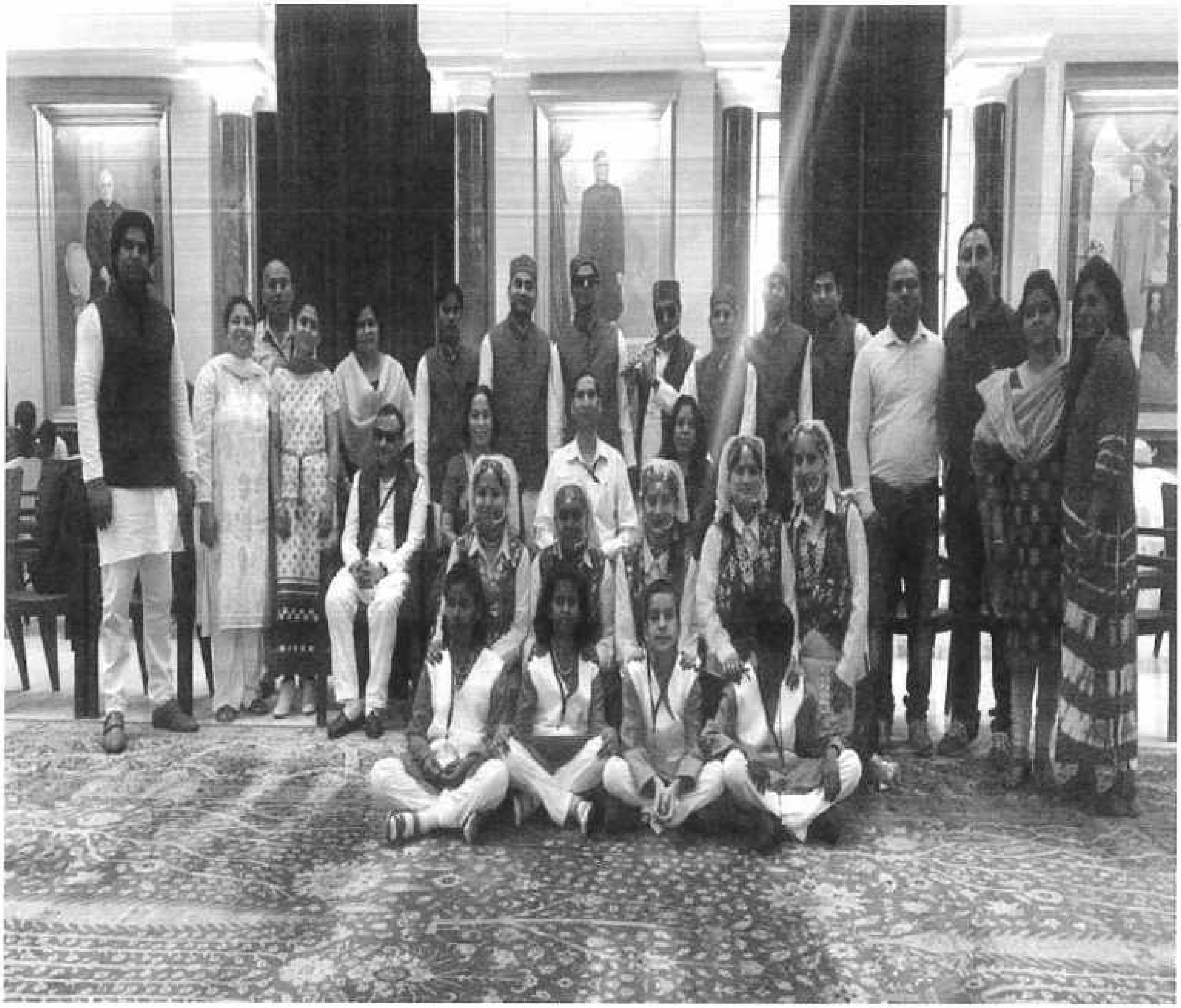

संस्थान मॉडल स्कूल छात्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षुओं ने अप्रैल 18, 2019 को राष्ट्रीय भवन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया

राष्ट्रपति भवन में 23 जुलाई, 2019 को आयोजित समारोह 'दिव्य कला शक्ति' पर माननीय प्रधानमंत्री के साथ उन्मुक्त क्षण

इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने 30 सितंबर से 7 अक्तूबर 2019 तक पट्टया, थाईलैंड में मलेशिया को हराने के पश्चात एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप, 2019 में 5 वां स्थान प्राप्त किया।

उत्तराखंड की माननीय राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य द्वारा एनआईपीवीडी, देहरादून द्वारा बनाए गए सुगम्य कैलेंडर और सुगम्य प्रारूप में डेटर को जारी करना– 6.1.2020

आम चुनाव, 2019–अप्रैल, 2019 के लिए उत्तराखंड, बिहार और राज्यों के लिए संस्थान की केंद्रीय ब्रेल प्रेस में डमी मतदान पत्र के मुद्रण की तैयारी।

संस्थान द्वारा आम चुनाव, 2019 हेतु शुरू किए गए जागरूकता कार्यक्रम—अप्रैल 9–15, 2019

आईआरडीटी ऑडोटोरियम देहरादून में 13 और 14 सितंबर, 2019 को दो दिवसीय क्षेत्रीय पाठ्यक्रम समन्वयक प्रतियोगिता

मुख्य अतिथि श्री प्रेम चंद अग्रवाल, स्पीकर विधायी सभा उत्तराखंड और प्रो. नचिकेता राउत, संस्थान के कार्यकारी निदेशक ने 108–चंदनवन वाटिका का उद्घाटन किया **-5.8.2019**

DOON MONSOON RUN

• A 10km 'Doon Monsoon Run' was organised by National Institute for the Empowerment of Person with Visual Disabilities in Dehradun on Sunday. Nachiketa Rout, director of NIEPVD, flagged off the run in which director general (law and order) Ashok Kumar was the chief guest.

एनआईपीवीडी के स्टॉफ और छात्रों ने दून मानसून रन–2019–जून 30, 2019 में भाग लिया

'आईबीएफएफ नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में संस्थान के मॉडल स्कूल की फुटबॉल टीम पहुची–अप्रैल 12–15, 2019

7.6 अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई

अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) (एवाईजेएनआईएसएचडी (डी)), मुंबई की स्थापना 9 अगस्त, 1983 को की गई थी।

7.6.1 लक्ष्य और उद्देश्य

(i) श्रवण बाधितों के लिए शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में शोध संचालित, प्रायोजित और संयोजन करना।

(ii) श्रवणबाधितों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्योवसायिक परामर्शदातों के प्रशिक्षण का दायित्व लेना अथवा प्रायोजित करना।

(iii) श्रवणबाधितों की शिक्षा, पुनर्वास और रोगोपचार के किसी भी पहलू को बढावा देने के लिए तैयार किए गए किसी एक अथवा सभी सहायक उपकरणों के नमूनों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना अथवा बढ़ावा देना अथवा वितरण करना।

7.6.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) श्रवण, वाक् और भाषा न्यूनता का मूल्यांकन और रोग–निवारण
(ii) हियरिंग एड्स और ईयर मोल्ड का चयन करना और फिट करना
(iii) मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
(iv) शैक्षिक मूल्यांकन सेवाएं
(v) मनोचिकित्सा और व्यवहार चिकित्सा
(vi) माता–पिता का निर्देशन और परामर्श
(vii) प्री–स्कूल
(viii) निर्दिष्ट करना (रेफरल) और जॉच
(ix) आउटरीच और विस्तार सेवाएं
(x) अभिभावक, शिशु कार्यक्रम
(xi) व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट
(xii) वाक् और भाषा रोगोपचार
(xiii) कॉकलियर इंप्लांट
(xiv) टोल फ्री सूचना लाईन

7.6.3 जनशक्ति विकास

(i) संस्थान निम्नलिखित दीर्घावधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है:

(क) डॉक्टिरल

(ख) स्नातकोत्तर

(ग) स्नातक

(घ) शिक्षा (श्रवण बाधित) के क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम,

(ड.) अभिवाक और श्रवण (श्रवणविज्ञान और अभिवाक् भाषा रोगनिदान)

(च) संकेत भाषा दुभाषिया पाठ्यक्रम में डिप्लोमा

(छ) श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग में सर्टिफिकेट कोर्स

(ii) संस्थान और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा लघु अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

7.6.4

एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(क) यूनिवर्सल डिजाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार – 2011

(ख) सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार – 2011

(ग) सुलभ वेबसाइट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार – 2010

(घ) ऑनलाइन श्रवण परीक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार – 2009

(ड.) सीआरओएस हियरिंग एड के विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार – 2002

(च) दिव्यांगजनों के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार – 1996

7.6.5 नई पहलें :

एवाईजेएनआईएसएचडी ने शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध श्रवण मौखिक चिकित्सा (पीजीडीएवीटी) में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया है।

7.6.4 क्षेत्रीय अध्याय और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

संस्थान के कोलकाता, सिकन्दराबाद, जनला तथा नोएडा में चार क्षेत्रीय चेप्टर और दिव्यांगजनों के कौशल विकास एवं पुनर्वास के लिए भोपाल और अहमदाबाद में दो समेकित क्षेत्रीय केन्द्र है।

एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई में 30 सितंबर, 2019 को पहली बार एसोसिएशन ऑफ ओटोलरीन्गोलॉजिस्ट के साथ हाथ मिलाते हुए विश्व बधिर दिवस मनाया गया। इस समारोह का

उद्‌घाटन बॉलीवुड फिल्म निर्देशक और निर्माता श्री मुकेश भट्ट ने किया। इस कार्यशाला के प्रतिभागियों में शामिल थे। ओटोलरींगोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच–लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, टीचर्स ऑफ द डेफ, इंडियन साइन लैंग्वेज (आईएसएल) के दुभाषिए, मीडिया प्रोफेशनल और मुंबई के अन्य सहयोगी पेशेवर।

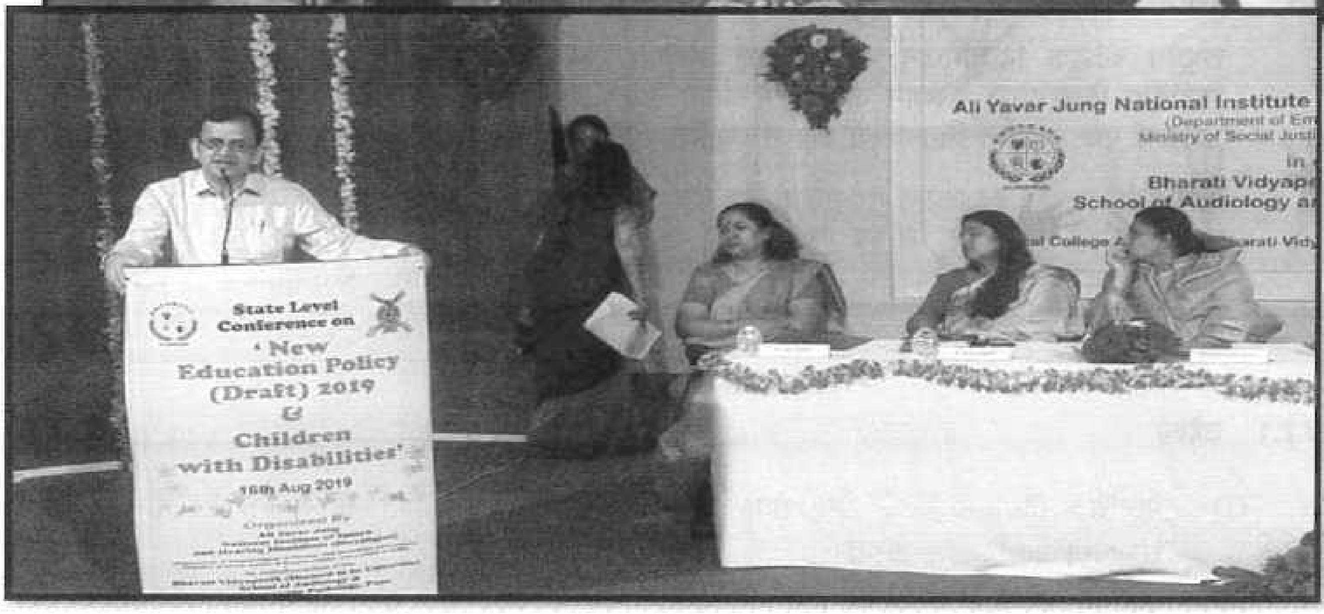

24 सितंबर, 2019 को त्रिपुरा ट्राइबल ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड एनवाईपी, त्रिपुरा में नोआई ऑडिटोरियम, खुमुलुंग, त्रिपुरा के सहयोग से, मुंबई के एवाईजेएनआईएसएचडी द्वारा ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'' पर एक राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला' का आयोजन किया गया।

एवाईजेएनआईएसएचडी ने 16–08–2019 को बीवीडीयू सभागार, पुणे में पुनर्वास पेशेवरों के लिए एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। संगोष्ठी के लिए चयनित विषय 'नई शिक्षा नीति (ड्राफ्ट) 2019, और दिव्यांग बच्चे' थे।

एवाईजेएनआईएसएचडी ने 2 से 5 जनवरी, 2020 के बीच मरगांव, गोवा में आयोजित 7 वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2020 में भाग लिया

7.7 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईपीआईडी) सिकंदराबाद

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), जिसे पूर्व में राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान के रूप में जाना जाता था, एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसे वर्ष 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

एनआईईपीआईडी का अपना मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में है। संस्थान के सात विभाग हैं नामतः एडल्ट इंडिपेन्डेंट लिविंग (स्वतंत्र रूप से प्रौढ़ जीवन–निर्वाह), सामुदायिक पुनर्वास और परियोजना प्रबंधन, पुस्तकालय और सूचना सेवाएं, मेडिकल विज्ञान, थेराप्यूटिक्स पुनर्वास मनोविज्ञान और विशेष शिक्षा, एनआईईपीआईडी के अपने क्षेत्रीय केंद्र है।

7.7.1 उद्देश्य

(i) मानसिक दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु जनसशक्ति का सृजन और मानव संसाधनों का विकास करना।

(ii) देश में मानसिक मंदता के क्षेत्र की पहचान करना, शोध संचालित करना और समन्वय करना।

(iii) भारतीय संस्कृति के अनुरूप मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्तियों की देखभाल और पुनर्वास के उपयुक्त मॉडल विकसित करना।

(iv) मानसिक मंदता के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

(v) मानसिक मंदता के क्षेत्र में प्रलेखीकरण और सूचना केन्द्र के रूप में सेवा करना।

(vi) ग्रामीण और कम आय वाली जरूरतमंद जनता के लिए समुदाय–आधारित पुनर्वास सेवाओं का विकास करना।

(vii) मानसिक मंदता के क्षेत्र में विस्तार और आउचरीच कार्यक्रमों को शुरू करना।

7.7.2 प्रदत्त सेवाएं :

चिकित्सा सेवाएं	विशेष सेवाएं	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
प्राम्भिक तैयारी (उपाय) सेवाएं	पीएमआर इकाई	व्यवहारपरक बदलाव
फिजियोथैरेपी / आर्थोपेडिक्स	विश्राम देखभाल	मता–पिता को परामर्श
बायोकेमिस्ट्री	स्वलीनता	व्यावसायिक मूल्यांकन
वाक् एवं श्रवण सेवाएं	बहु–संवेदी	व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श
बहु–दिव्यांगता	समूह गतिविधि	कार्यस्थल (व्यावसायिक प्रशिक्षण)
पोषण	चल सेवाएं	व्यावसायिक थैरेपी
हायड्रोथैरेपी	योगा	सामुदायिक आउटरीच
स्नायुविज्ञान / दंत संबंधी	विश्राम देखभाल सेवाएं	पूर्वोत्तर गतिविधियां
होमियोपैथी	परिवारिक कुटीर सेवाएं	शिक्षण अधिगम सामग्री का वितरण

7.7.3 क्षेत्रीय केन्द्र और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

एनआईईपीआईडी के नई दिल्ली, नोएडा, कोलकाता और नवी मुम्बई में क्षेत्रीय केन्द्र स्थित हैं। नेल्लौर और देवनगिरि में कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित समेकित क्षेत्रीय केन्द्र एनआईईपीआईडी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

7.7.4 नई पहल / घटनाएँ :

(i) क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता द्वारा 27–28 मई, 2019 तक समावेशी शिक्षा के लिए परिचय और चुनौतियों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 50 पुनर्वास पेशेवर शामिल हुए हैं।

(ii) 26–27 सितंबर, 2019 के दौरान एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद में दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र रूप रहने और आजीविका कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कुल 89 पेशेवरों ने बैठक में भाग लिया और कागजात प्रस्तुत किए।

(iii) 27 वीं राष्ट्रीय माता–पिता बैठक (एनपीएम) का आयोजन 19–20 अक्टूबर, 2019 को अहमदाबाद के पास बावला में किया गया था। एनपीएम का आयोजन एनआईईपीआईडी ने परिवार के सहयोग से आयोजित किया और सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड (एसडब्ल्यूएमआर), अहमदाबाद द्वारा होस्ट किया गया। पूरा कार्यक्रम किंग्स विला रिसॉर्ट्स, बावला, अहमदाबाद और

गुजरात में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का विषय था 'गरिमा और एक उद्देश्य के साथ जीवन जीना'। बौद्धिक दिव्यांगता वाले कुल 284 अभिभावक और उनके बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

(iv) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद और इसके क्षेत्रीय केंद्रों ने वर्ष 2019 के लिए 09–15 अक्टूबर, 2019 से विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया। मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 2019 के लिए विषय है "मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और आत्महत्या की रोकथाम"।

(v) राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा 'इंडिपेंडेंट लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 'पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन पीजे ऑडिटोरियम भारतीय सांख्यिकी संस्थान में 22 – 23 नवंबर 2019 को इसके क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में लगभग 238 प्रतिनिधियों ने भाग लिया

(vi) एनआईईपीआईडी द्वारा अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डरः असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन' पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 16 से 17 नवंबर, 2019 तक एनएमएमसी सेंटर फॉर पीडब्ल्यूडी, नवी मुंबई में किया गया था। लक्षित समूह दिव्यांगजनों के साथ काम करने वाले सभी शिक्षक और पेशेवर थे और भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ पंजीकृत थे। सभी 143 पेशेवरों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। विवरण निम्नानुसार हैं :

क) 86 वीं क्षेत्रीय अभिभावक बैठक 7–8 दिसंबर, 2019 के दौरान मधुबनी, बिहार में परिवार के सहयोग से आयोजित की गई थी। बैठक में कुल दिव्यांग बच्चों के साथ 147 माता–पिता ने भाग लिया।

ख) 28–29 दिसंबर, 2019 के दौरान कोझीकोड, केरल में परिवार के सहयोग से 87 वीं क्षेत्रीय अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 396 अभिभावकों ने अपने दिव्यांग बच्चों के साथ भाग लिया।

(vii) दिव्यांगता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एनआईईपीआईडी और उसके क्षेत्रीय केंद्रों में 3 दिसंबर, 2019 को आम जनता और स्कूली छात्रों के लिए एक खुला दिन आयोजित करके मनाया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

18 अप्रैल, 19, 2019 को राष्ट्रपति भवन में दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान माननीय राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ एसईसी के छात्र

16–11–2019 को सीआरसी, गुवाहाटी सभागार के उद्घाटन के दौरान श्रीमती शकुंतला डौली गामलिन द्वारा दिव्यांगजनों को टीएलएम किट का वितरण

आरसी, कोलकाता द्वारा 22–23 नवंबर, 2019 को संचालित एनआईईपीआईडी के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्रवाई का विमोचन

16–17 जून, 2019 को जम्मू और कश्मीर बारामूला में टीएलएम वितरण शिविर

7.9. राष्ट्रीय बहु दिव्यांगता ग्रस्तजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई

एनआईईपीएमडी की स्थापना मुतुकाडू, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में वर्ष 2005 में बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

7.8.1 लक्ष्य और उद्देश्य:

(i) बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए प्रबंधन, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए मानव संसाधन का विकास।
(ii) बहु दिव्यांगता से जुड़े सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना।
(iii) बहु दिव्यांगता वाले लोगों के विभिन्न समूहों की जरूरतों को पूरा करने और उनके सामाजिक पुनर्वास के लिए बहु विषयक मॉडल और कार्य–नीति विकसित करना।
(iv) बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सेवाएं और आउटरीच कार्यक्रम विकसित करना।

7.9.2 प्रदत्त सेवाएं

(i) चिकित्सा तैयारी और रेफरल
(ii) सुपर स्पेशलिटी क्लिनिकल सेवाएं
(iii) प्रारंभिक तैयारी सेवाएं
(iv) शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास
(v) बाह्य रोगी होम्यौपैथी क्लिनिक
(vi) फिजियोथेरेपी
(vii) व्यावसायिक थैरेपी
(viii) संवेदी एकीकरण थैरेपी
(ix) विशेष स्कूल

(x) प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स
(xi) समावेशी प्रारंभिक विद्यालय
(xii) अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम
(xiii) ऑडियोलॉजिकल मूल्यांकन
(xiv) वाक और भाषा तैयारी
(xv) मनोवैज्ञानिक तैयारी
(xvi) मार्गदर्शन और परामर्श
(xvii) विशेष शिक्षा सेवाएं
(xviii) प्रौढ़ स्वषतंत्र जीवन निर्वाह
(xix) चल सेवाएं
(xx) दिवसीय देखभाल केंद्र
(xxi) व्यावसायिक प्रशिक्षण
(xxii) सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम
(xxiii) सहायक यंत्र और उपकरणों का वितरण
(xxiv) परिवार कुटीर सेवाएँ
(xxv) प्रलेखीकरण और प्रसार सेवाएं
(xxvi) राहत देखभाल सेवाएँ
(xxvii) टोल फ्री हेल्प लाइन

7.8.3 समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 04 समेकित क्षेत्रीय केन्द्र कोझीकोड, गोरखपुर, नागपुर और सिक्किम में एनआईईपीएमडी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

7.8.4 नई पहल और कार्यक्रम

पहल :

अवसंरचना :

(i) परिवार, दिव्यांगजन, आवास, प्रशिक्षण केन्द्रों, परिवार कुटीर सेवाओं और संसाधन केन्द्र के लाभ के लिए 22 करोड़ की लागत से एससी/एसटी भवन (चरण– II) का कार्यक्षेत्र विस्तार।

(ii) सिक्किम, शिलांग और अंडमान और निकोबार द्वीप में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना।

(iii) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय– डीआईपीपी एनआईईपीएमडी के लिए 3.6 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ। एनआईईपीएमडी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पीजी हॉस्टल, पीएचडी यूनिट आदि विकसित करने के ऐिल कैंपस–2 विकसित करने का प्रस्ताव रखा।

(iv) प्रारंभिक उपाय कार्यक्रम पर देश में संसाधन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का मॉडल प्रारंभिक उपाय केंद्र।

(v) आईएसओ प्रमाणनः

(क) एनआईईपीएमडी को एचआरडी गतिविधियों और नैदानिक सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ।

(vi) एचआरडीः

(क) बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स की शुरुआत माह सितंबर, 2019 में हुई थी।

7.8.5 सहयोगात्मक पहल :

(i) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), नई दिल्ली ने 21 दिसंबर 2019 को एनआईपीएमडी "बियोंड मेडिकल डायग्नोसिस : पुनर्वास और बाल यौन शोषण पीड़ितों के पुनर्समेकन पर मनोसामाजिक परिप्रेक्ष्य का एकीकरण पर सम्मेलन का आयोजन किया।

(ii) एनआईपीएमडी ने लियोनार्ड चार्स्शी (यूके) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के साथ मिलकर 13 दिसंबर, 2019 को एनआईईपीएमडी में प्रौद्योगिकी सक्षम आर्थिक समावेशन – संभावनाओं और चुनौतियों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

(iii) 17 अक्टूबर 2019 को एनआईईपीएमडी, चेन्नई में आयोजित "स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2019 : दिव्यांग बच्चों पर प्रकाशन यूनेस्को की रिपोर्ट का राज्य शुभारंभ किया गया। रिपोर्ट का मुख्य फोकस शिक्षा की दिशा में प्रगति की निगरानी करना है। नए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में लक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के निदेशक और यूनेस्को के प्रतिनिधि द्वारा किया गया था। पुस्तक का विमोचन माननीय मंत्री श्री के.पंडराजन, तमिल राजभाषा विभाग और तमिल संस्कृति विभाग, तमिलनाडु सरकार की उपस्थिति में किया गया।

13–15 सितंबर, 2019 के दौरान हैदराबाद में सक्षम एनईसी, 2019 द्वारा आयोजित दिव्यांग सेवा मेले में एनआईईपीएमडी का पुटअप स्टॉल

30 नवंबर, 2019 को चेंगपलेट मेडिकल कॉलेज में एनआईईपीएमडी एक्सटेंशन सेंटर का दौरा करते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती तारिका रॉय।

7.9 भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी)

सरकार ने सितम्बर, 2015 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआटीसी) की स्थापना की है। केन्द्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय संकेत भाषा में शिक्षण और अनुसंधान का संचालन करने के लिए जनशक्ति का विकास करना है। वर्तमान में केन्द्र ए–91, प्रथम तल, नागपाल बिजनेस टावर, ओखला, फेस–11, नई दिल्ली–110020 के परिसर में चल रहा है।

7.9.1 उद्देश्य

केन्द्र के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैः–

(i) द्विभाषिता (अर्थात संकेत भाषा+राइटिंग) सहित भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) में उपयोग, शिक्षण और अनुसंधान करने के लिए जनशक्ति विकसित करना।

(ii) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर श्रवण बाधित छात्रों के लिए एक शैक्षिक मोड के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा दनो। संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य राज्य शिक्षा विभागों के साथ तौर–तरीकों पर कार्य कर करेगा।

(iii) भारत और विदेशों विश्वविद्यालयों में और अन्य शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान करना और भारतीय सांकेतिक भाषा कोष (शब्दावली) का निर्माण सहित आईएसएल का भाषाई रिकार्ड/विश्लेषण बनाना।

(iv) विभिन्न समूहों अर्थात सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, पेशेवरों समुदाय के नेताओं जनता को भारतीय सांकेतिक भाषा को समझने और उपयोग करने के लिए उन्मुख और प्रशिक्षित करना।

(v) भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में बधिरों और अन्य संस्थानों के संगठनों के साथ सहयोग करना।

(vi) दुनिया के अन्य हिस्सों में उपयोग की जाने वाली सांकेतिक भाषा से संबंधित जानकारी एकत्र करना, ताकि भारतीय सांकेतिक भाषा के उन्नयन के लिए उनकी जानकारी का उपयोग किया जा सके।

(vii) वर्तमान में केन्द्र भारतीय सांकेतिक भाषा व्याखा (डीआईएसएलआई) और भारतीय सांकेतिक भाषा टीचिंग डिप्लोमा (डीटीआईएसएल) में डिप्लोका पाठ्यक्रम चलाता है।

(viii) भारतीय सांकेतिक भाषा में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के अतिरिक्त आईएसएलआरटीसी केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारियों, सार्वजनिक इंटरफेस वाले सार्वजनिक उपक्रमों, स्कूली शिक्षकों और इच्छुक व्यक्तियों आदि के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में बुनियादी कौशल पर 15 दिवसीय अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।.

(ix) आईएसएलआरटीसी ने 6000 शब्दों का भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश भी विकसित किया है। आईएसएल शब्दकोश विकसित करने का उद्देश्य श्रवण बाधित और श्रवण समुदायों के बीच संचार बाधाओं को दूर करना है, क्योंकि यह भारतीय सांकेतिक भाषा में अधिक जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित है। आईएसएल शब्दकोश में कानूनी शर्तों, चिकित्सा शर्तों, अकादमिक शर्तों, तकनीकी शर्तों और हर दिन के शब्दों जैसे विभिन्न श्रेणियां शामिल है। शब्दकोश में एक और 4000 शब्दों को जोडने पर कार्य प्रक्रियाधीन है।

एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में 23 सितंबर, 2019 को सांकेतिक भाषा दिवस का आयोजन।

7.10 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) सिहोर, मध्य प्रदेश

मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे 28 मई 2019 को मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। जिसका उद्देश्य एकीकृत बहुविषयक दृष्टिकोण का उपयोग कर मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देने और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों को विकसित करना है। इसे मध्य प्रदेश में भोपाल–सीहोर हाईवे के किनारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 25 एकड़ जमीन के टुकड़े पर स्थापित किया जा रहा है।

वर्तमान में एमआईएचआर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुराने जिला पंचायत भवन, सीहोर में प्रदान किए गए अस्थायी भवन से कार्य कर रहा है। यह पुनर्वास और नैदानिक सेवाएं प्रदान कर रहा है और केयर गिविंग (सीसीसीसीजी) पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है।

7.10.1 संस्थान की गतिविधियां

(i) विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर, एनआईएमएचआर ने विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया।

(ii) 9 अक्टूबर को, एनआईएमएचआर, सीहोर ने भारतीय स्टेट बैंक, सीहोर मुख्य शाखा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उसी दिन राष्ट्रीय रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) सीहोर के कार्यालय में एक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(iii) मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्टूबर) पर, एनआईएमएचआर, सीहोर ने लगभग 120 छात्रों, महिला श्रमिकों, शिक्षकों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों के लिए विभिन्न गतिविधियों की व्यवस्था की।

(iv) एनआईएमएचआर ने 15 अक्टूबर 2019 को सरस्वती विद्या मंदिर, सीहोर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के संबंध में अपने जागरूकता सत्र को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर लगभग 370 छात्र, सभी कर्मचारी सदस्य और शिक्षक उपस्थित थे।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह और दिवस का अवलोकन

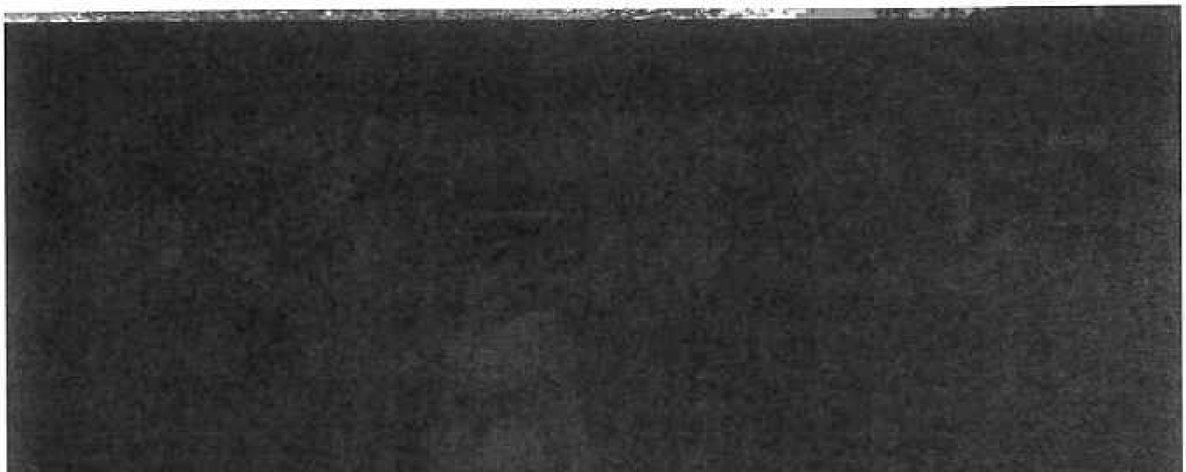

एनआईएमएचआर के अस्थायी भवन में जनरल परामर्श सदस्यों का दौरा

विश्व दिव्यांगता दिवस का अवलोकन

7.10.2 गतिविधियां और जागरूकता

एनआईएमएचआर, सिहोर ने बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर, 2019 को आगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के ऐिल जागरूकता कार्यक्रम सह गतिविधि का आयोजन किया। यह मध्य प्रदेश सरकार के "सहारी" जिले के आगनवाडी के सहयोग से हुआ। इस दौरान करीब 80 आगनवाडी कार्यकर्त्ता, बच्चें और ग्रामीण मौजूद रहे।

19 नवंबर, 19 को एनआईएमएचआर द्वारा गर्भवती महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में जागरूकता पर जागरूकता कार्यक्रम सह स्क्रीनिंग गतिविधि आयोजित की गई थी। इस दौरान करीब 40 आगनवाडी कार्यकर्त्ता, बच्चें, व ग्रामीण मौजूद रहे।

एनआईएमएचआर, सिहोर ने आगनवाडी सुदामनगर, बाडी ग्वाली टोली, वार्ड सं.–12, सिहोर के सहयोग से 14 जनवरी, 2020 को जागरूकता कार्यक्रम सह गतिविधि का आयोजन किया।

7.10.3 संस्थान से संबंधित नई गतिविधियां और तथ्य

एनआईएमएचआर सिहोर ने सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों के लिए 9 जनवरी, 2020 को परीक्षा से संबंधित तनाव और इसके प्रबंधन पर परामर्श सत्र आयोजित किया। इस दौरान करीब 150 छात्र व कर्मचारी मौजूद रहे।

परीक्षा से संबंधित तनाव और उसके प्रबंधन पर काउंसलिंग सत्र 15 जनवरी, 2020 को एक्सीलेंस हायर सेकेंड्री स्कूल सिहोर, मध्य प्रदेश के 10वी. और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में करीब 540 छात्र–छात्राएं मौजूद रहे।

7.11 कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

विभाग ने राष्ट्रीय संस्थानों के विस्तारित शाखाओं के रूप में 20 समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सीआरसी का मूल उद्देश्य सभी श्रेणी के दिव्यांगजनों, प्रशिक्षण पुनर्वास पेशेवरों, कामगारों और कार्यकर्ताओं को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना और दिव्यांगजनों की जरूरतों और अधिकारों के बारे में अभिभावकों और समुदाय के बीच जागरूकता सृजन करना है।

सिपडा (8.3.10) के अंतर्गत 20 सीआरसी का विवरण प्रस्तुत किया गया है। (पृष्ठ सं.189)

7.12 वर्ष 2019–20 के लिए एनआई और सीआरसी द्वारा संचालित दीर्घावधिक पाठ्यक्रम का ब्यौरा अनुबंध–5 (पृष्ठ सं...172) पर है।

विभाग की योजनाएं

सिंहावलोकन

विभाग दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडीएस) के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। योजना के उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बढ़ाने तथा साथ ही उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाने के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास को प्रोत्साहन देना तथा विकास करना है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास की प्रमुख योजनाएं हैं:

8.1 दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

8.1.1 उद्देश्य

(i) डीडीआरएस (दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना) विभाग की एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जो गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित ऐसी परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है जिसका लक्ष्य दिव्यांगजनों को उनकी सर्वोत्कृष्टता, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक उनकी पहुंच बनाए रखना है।

(ii) दिव्यांगजनों के समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्थ वातावरण तैयार करना।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना।

(iv) डीडीआरएस के अंतर्गत 09 मॉडल परियोजना है जिसमें बौद्धिक दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल, दृष्टिबाधित, श्रवण एवं वाक् दिव्यांगता, हॉफ वे होम, सामुदायिक आधारित पुनर्वास इत्यादि शामिल है।

8.1.2 डीडीआरएस के अंतर्गत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियां/घटक

i. कर्मचारियों को मानदेय
ii. लाभार्थियों को परिवहन
iii. लाभार्थियों के लिए छात्रवृत्ति/हॉस्टल रखरखाव
iv. कच्चे सामग्री की लागत
v. आकस्मिक कार्यालय व्यय, बिजली एवं पानी शुल्क का मिलना
vi. किराया

8.1.3 योजना की मोनिटरिंग के लिए प्रक्रिया

(i) उस संगठन को दिए गए पिछले अनुदान के संबंध में केवल उपयोग प्रमाण पत्र होने पर ही अनुदान जारी किया गया।

(ii) संबंधित राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों की मॉनीटरिंग और निरीक्षण करते हैं।

(iii) विभाग अपने राष्ट्रीय संस्थानों और विभाग के अधिकारियों के माध्यम से योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों का समय–समय पर निरीक्षण भी करता है।

(iv) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अन्तर्गत अनुदान सहायता (जीआईए) मांगने वाले गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सभी आवेदन मंत्रालय के ई–अनुदान पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

8.1.4 डीडीआरएस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	वित्तीय आउटले (परिव्यय)/उपलब्धियां (रू. करोड़ में)			वास्तविक उपलब्धियां	
	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	सहायता प्रदत्त एनजीओ की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2016-17	45.00	45.00	45.01	592	32065
2017-18	60.00	60.00	60.00	562	35699
2018-19	70.00	70.00	70.00	543	41803
201-20 (31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)	75.00	105	56.42	274	34075

8.1.5 डीडीआरएस के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्रता एवं शर्तें

(i) संगठन का सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा जन न्यास अधिनियम अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के गैर–लाभकारी कम्पनी के तहत पंजीकृत।

(ii) न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व में हो।

(iii) निःशक्तजन अधिकारी अधिनियम, 1995/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत।

(iv) नीति आयोग पोर्टल, एनजीओ–दर्पण पर पंजीकृत।

(v) उचित प्रकार से गठित की गई प्रबंधन बॉडी, सुविधाएं और परियोजना किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत निकाय को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं चलाने का अनुभव।

8.1.6 संशोधित योजना के प्रावधान

(i) 01 अप्रैल 2018 से कार्यान्वित संशोधित दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) की मुख्य विशेषताएं है। संशोधित डीडीआरएस योजना के तहत मॉडल परियोजनाओं की सूची 18 से घटाकर 9 कर दी गई है। निम्नलिखित नौ आदर्श परियोजनाओं चल रही हैं :—

(क) प्री—स्कूल और प्रारम्भिक तैयारी और प्रशिक्षण के लिए परियोजनाएं —

6 वर्ष की आयु तक के शिशुओं और बच्चों को विशेष स्कूलों में स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना प्रमुख उद्देश्य है और/अथवा नियमित सकूलों में उनको जोड़ना। परियोजना थैरेप्यूटिक सेवाएं, दिवसीय देखभाल और माता—पिता को परामर्श भी उपलब्ध कराती है।

(ख) दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल—

(क) बौद्धिक दिव्यांगता (ख) श्रवण एवं वाक् दिव्यांगता (ग) दृष्टि दिव्यांगता से ग्रस्त दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल। विशेष शिक्षा प्रमुख रूप से सम्प्रेषण कौशल और अन्य संवेदीकरण क्षमताओं के विकास पर जोर देती है और अंतर्वस्तु के साथ दैनिक जीवन कौशल प्राप्त करने से लेकर एकीकरण तक सीखने के नियमित संस्थानों और सामान्य रूप से समाज में भिन्न होती है। अनुदान के तहत आवासीय सुविधाओं को भी कवर किया जा सकता है।

(ग) प्रमस्तिष्कघात ग्रस्त बच्चों के लिए परियोजना —

इस परियोजना का उद्देश्य व्यक्ति की थैरेप्यूटिक जरूरतों को पूरा करने पर अधिकाधिक जोर देने के साथ विशेष स्कूलों के लिए परियोजनाओं के समान है।

(घ) कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों (एलसीपी) के पुनर्वास के लिए परियोजना

इस परियोजना का मूल उद्देश्य कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों को कौशल सिखाकर उन्हें सक्षम बनाना है ताकि उनकी सामाजिक—आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। परियोजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाई और गृह (केवल गंभीर दिव्यांगों के लिए) शामिल किया जा सकता हैं।

(ङ) उपचारित और नियन्त्रित मानसिक रूग्ण व्यक्तियों के लिए मनो सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम -

इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों जिनकी मानसिक अस्पतालों/पागलखानों से रिहाई के बाद पुनर्वास की व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना है जिनकी मानसिक रूग्णता का उपचार और उसे नियन्त्रित किया गया है। परियोजना ऐसे व्यक्तियों को व्याक्तियों को परिवार और समाज से पुनः एकीकरण की सुविधा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, उनकी और उनके परिवारों की काउंसिंल प्रदान करती है। उनकी बीमारी संबंधित चिकित्सीय सलाह/उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि समय—समय पर मनोरोग संबंधित जटिलताओं पर काबू पाया जा सके।

(च) गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम / गृह प्रबंधन कार्यक्रम

इस परियोजना के उद्देश्यों में गृह परिवेश के संदर्भ में गतिशीलता कौशल के लिए मार्गदर्शन और प्रावधान, बुनियादी संप्रेषण कौशल और दैनिक जीवन कौशल का विकास, दिव्यांग बच्चों के परिवारों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण शामिल हैं।

(छ) समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को पुनर्वासित एवं प्रशिक्षित करना ओर साथ ही उन्हें उनके समाज के साथ जोड़ना है। इसका फोकस एक ऐसे वातावरण में जहाँ दिव्यांगजनों के लिए या तो बहुत सीमित सेवाएं उपलब्ध हैं या ये सेवाएं बिल्कुल नहीं हैं, आवश्यतानुरुप सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, दिव्यांगजन, परिवार, समुदाय, और स्वास्थ्य व्यावसायिक, एक गैर संस्थागत विन्यास में, भागीदारी पर है। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश में उपयुक्त हैं।

(ज) कम दृष्टि केंद्रों के लिए परियोजना

ये परियोजनाएं कम दृष्टि वाले लोगों के चिकित्सीय पुनर्वास के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। ये केंद्र पहचान, आकलन, पुनर्वास और परामर्श (काउंसलिंग) सेवाएं प्रदान करते हैं तथा कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन और दृश्य दक्षता में सुधार के माध्यम से उन्हे उनकी अधिकतम कार्यक्षमता प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

(झ) मानव संसाधन विकास के लिए परियोजना

(क) ये परियोजनाएं दिव्यांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, संसाधन केंद्र एवं संसाधनों की नेटवर्किंग विकसित करती हैं।

(ख) योजना के लागत मानदंडों को 2.5 गुना बढ़ाया गया है।

(ग) पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (एनजीओ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के बाद, इस संशोधित योजना के तहत निर्धारित लागत–मानदंडों के आधार पर आकलित 90% राशि की हकदार होंगी। विशेष क्षेत्रों में अवस्थित परियोजनाओं के मामले में संशोधित लागत मानदंडों के आधार पर आकलित राशि का 100% की अनुमत होगा।

विशेष क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

i. 8 उत्तर–पूर्वी राज्य
ii. हिमालय क्षेत्र में राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश)
iii. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) – 106 जिले, और

iv. अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले– 34 जिले

(ii) शहरी क्षेत्रों में भी सहायता अनुदान की कोई टैपरिंग नहीं होगी।

(iii) लाभार्थियों की संख्या :

(क) निरीक्षण की तारीख से पहले पिछले 30 दिनों में से कम से कम 15 दिनों तक संस्थान में उपस्थित रहने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए सहायता अनुदान की गणना की जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण अधिकारी द्वारा ऐसे लाभार्थियों की संख्या निर्दिष्ट की जानी है।

(ख) लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि पर कोई रोक नहीं है बशर्ते अवसंरचना उपलब्ध हो।

(iv) संगठन को मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल (ई–अनुदान) पर अनुदान के लिए आवेदन करना होगा और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पूरा प्रस्ताव अग्रेषित करना होगा। ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट के निरीक्षण और प्रस्तुत करने पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और भारत सरकार को प्रस्ताव अग्रेषित करेगा। यदि राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन 60 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेती है, तो भारत सरकार योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के लिए निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है।

(v) डीडीआरएस के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2018–19 में जारी सहायता अनुदान, सहायता प्रदत्त लाभार्थियों और संगठनों की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध –13 क, 13 ख, एवं 13 ग (पृष्ठ सं......)** पर दिया गया है।

8.2 सहायक यंत्रों सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)

योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थाओं/संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों/भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)/राज्य विकलांग वित्त विकास निगम/अन्य स्थानीय निकाय/एनजीओ) को सहायतानुदान प्रदान करना है ताकि दिव्यांगजनों की अक्षमताओं के प्रभाव को घटाने तथा उसी वक्त उनकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से उनकी भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक साधनों तथा उपकरणों की प्राप्ति में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करने की स्थिति में हो सके। दिव्यांगजनों को उनके स्वतंत्र कार्य करने में सुधार करने और अक्षमता को रोकने तथा माध्यमिक अक्षमता होने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें सहायक उपकरण दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत दिए गए साधन तथा उपकरण का विधिवत

प्रमाणन होना चाहिए। योजना में जब कभी आवश्यक हो, सहायक उपकरण देने से पूर्व सही शल्य चिकित्साओं के आयोजन की भी परिकल्पना की गई है।

8.2.1 लाभ के लिए पात्र व्यक्ति

(i) 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(ii) सभी स्रोतों से मासिक आय 100 प्रतिशत रियायत के लिए 15000/- रू0 प्रतिमाह और 50 प्रतिशत रियायत के लिए 15001/- से 20000/- रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) नए सहायक उपकरण केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 03 वर्ष के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे। तथापि, 12 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए इसकी आपूर्ति 01 वर्ष बाद की जा सकती है।

(iv) अनाथालयों एवं हाफ-वे होमस में रहने वाले लाभार्थियों के आय प्रमाणपत्रों को जिला क्लैक्टर या संबंधित संगठन के मुखिया के प्रमाणन पर स्वीकार किया जा सकता हैं।

8.2.2 सहायक यंत्र/उपकरण की अधिकतम लागत सीमा

(i) सहायक यंत्र एवं उपकरण 10000/- रू0 से अधिक की लागत के नहीं होने चाहिए।

(ii) दिव्यांग छात्र के मामले में, IX कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी के लिए सीमा 12000/- रू0 है।

(iii) बहु दिव्यांगता के मामले में, एक से अधिक सहायक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने के मामले में सीमा व्यक्तिगत मद पर अलग से लागू होगी।

(iv) आय सीमा के अधीन, स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्र, 20,000/- रू0 से ऊपर महंगी लागत वाली मदें, विभाग द्वारा अलग से सूचीबद्ध की जाएंगी। भारत सरकार लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी और शेष राशि पर या तो राज्य सरकार द्वारा या एनजीओ या अन्य किसी अन्य एजेंसी या लाभार्थी द्वारा, मामला दर मामला आधार पर, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ योगदान दिया जाएगा।

(i) एडिप-एसएसए शिविर

सहायक यंत्र एवं उपकरण 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सर्वशिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों को वितरित किए गए। मंत्रालय के साथ करार के अनुसार, एलिम्कों, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा व्यय की 40 प्रतिशत राशि तथा एडिप योजना के अंतर्गत अनुदान के माध्यम से व्यय की 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ii) शिविर गतिविधियों के लिए

योजना के अंतर्गत, जिला वार दिव्यांगता शिविर आयोजित किए गए हैं।

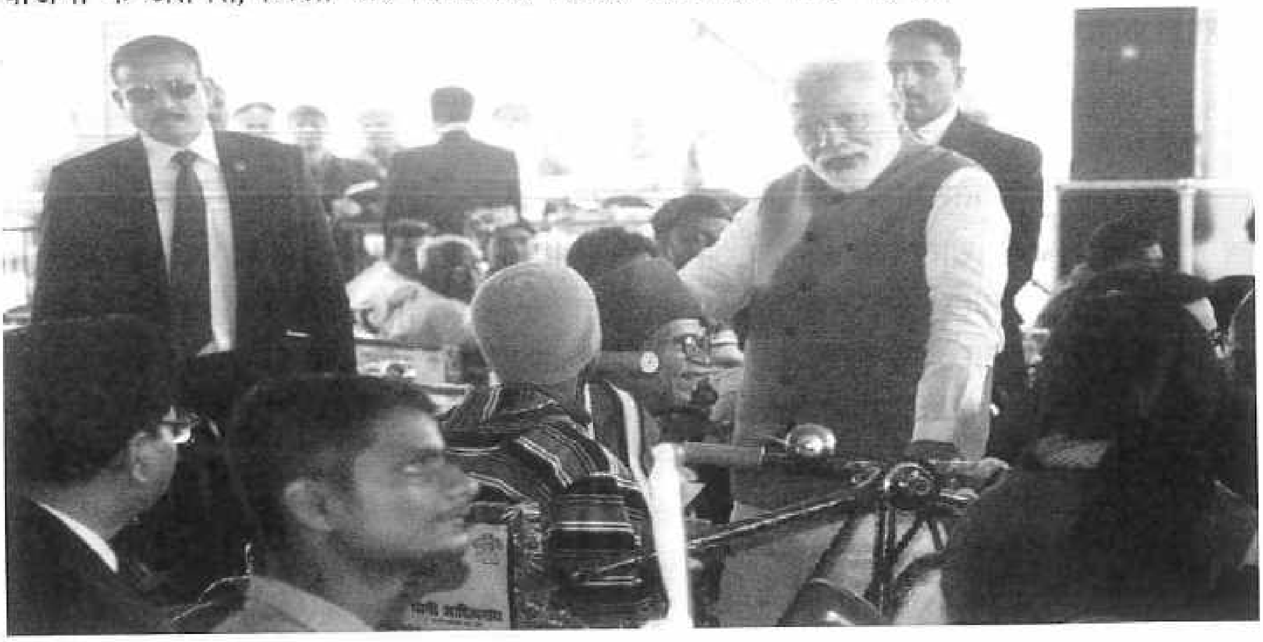

एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 19 फरवरी, 2019 को वाराणसी में आयोजित सहायक यंत्र और उपकरणों के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर।

आयोजित शिविरों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन क्षेत्रो, से कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों की संस्तुति, असेवित क्षेत्रों में दुर्गम कवरेज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उभरती हुई आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर शिविर आयोजित किए जाते है।

(iii) मुख्यालय गतिविधियों के लिए

(क) राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिम्को अथवा उनके संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों में प्रस्ताव देने वाले पात्र लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए एडिप अनुदान देता है।

(ख) कुछ प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के केंद्र/उप–केंद्र हैं जो दिव्यांगजनों के ओपीडी क्रियाकलाप निष्पादित करते हैं तथा सही शल्य चिकित्सा संबंधी आप्रेशन करते हैं। बहुत से दिव्यांगजन सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के लिए अपने केंद्रों/उपकेंद्रों में जाते हैं। अतः, एडिप अनुदान उनके संबंधित मुख्यालय क्रियाकलापों के लिए जारी किए जाते हैं।

(iv) कोकलियर इंप्लांट सर्जरियां

कोलियर इंप्लांट सर्जरियां प्रति यूनिट 6.00 लाख रु की अधिकतम सीमा के साथ दृष्टि बाधिता वाले 500 बच्चों के लिए कोकलियर इंपलांट का प्रावधान है। इसकी परिणति 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जीवन भर राहत प्रदान करने में होगी।

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई मामले में सहायता उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी है। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारत संस्करण और अपनी वेबसाइट www.adipcochlearimplant.in में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों को एवाईजेएनआईएसएचडी, मुम्बई को वेबसाइट पर विज्ञापन/ब्यौरे के आधार पर आवेदन करना पड़ता है। कोकलियर इंप्लांट भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर और नामांकित अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए अनुसार खरीदा जाएगा। सर्जरी अभिज्ञात सरकारी/राज्य सरकार अनुमोदित अस्पतालों में कराई जाएगी। कोकलियर इंपलांट सर्जरी कराने के लिए, मंत्रालय में 186 अस्पतालों (दोनों सरकारी एवं निजी) को अनुमोदित किया है।

(v) मोटरयुक्त तिपहिया तथा व्हीलचेयर का वितरण

एडिप योजना के प्रावधान के अंतर्गत, मोटरयुक्त तिपहियां साइकिल और व्हीलचेयर को गंभीर रूप से दिव्यांग तथा गतिविषयक दिव्यांगताओं जैसे कि क्वाड्रिपलेजिक (एससीआई), मांसपेशीय विकृति, आघात, प्रमास्तिष्क घात, अर्धांगता और अन्य प्रकार की इसी तरह की स्थितियों जिनमें तीन/चार अंग अथवा शरीर का आधा भाग गंभीर रूप से विकृत हो, मोटरयुक्त तिपहियां साइकिल की व्हीलचेयर के लिए दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो। के लिए मोटरयुक्त तिपहिया तथा पहियादार कुर्सियों के लिए रियायत 25,000 रुपए है।

यह रियायत 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 10 वर्ष में एक बार उपलब्ध कराई जाती है।

गंभीर रूप से दिव्यांगजन जो मानसिक रूप से अक्षम हैं, वे मोटरयुक्त तिपहिया व पहियादार कुर्सी के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें इससे गंभीर दुर्घटनाओं/शारीरिक हानि की जोखिम होती है। एलिम्को की मोटरयुक्त तिपहियां साइकिल की वास्तविक लागत लगभग 37,000/–रूपए है। 25,000/–रूपए से अधिक की राशि आवेदक/एमपीएलएडी निधि/एमएलएएलएडी निधि/सीएसआर निधि से पूरी होती है।

8.2.4 योजना के अंतर्गत 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार विगत तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वर्ष की वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

(रू. करोड़ में)

वर्ष	बीई आवंटन	संशोधित अनुमान	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या
2016-17	130.00	170.00	170.00	290,295

2017-18	150.00	200.01	200.01	2,72,731
2018-19	220.00	223.42	216.19	3,00,865
2019-20 (10.01.2020 की स्थिति के अनुसार)	230.00	222.50	149.68	1,27,516

8.2.5. विगत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान आयोजित किए गए राज्यवार शिविरों की संख्या, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त निधियां और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध–6 (पृष्ठ सं 175)** पर है। वर्ष 2019–20 के दौरान राष्ट्रीय संस्थान/एलिम्को/सीआरसी एवं गैर–सरकारी संगठनों को जारी अनुदान सहायता विवरण **अनुबंध–7 (पृष्ठ सं. 177)** पर है। वर्ष 2018–19 (31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित विशेष शिविरों/आयोजित शिविरों का विवरण **अनुबंध–8 (पृष्ठ सं 179–181)** पर है। विगत चार वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/वीओ/राज्य निगम/डीडीआरसी आदि को जारी की गई अनुदान सहायता का विवरण **अनुबंध–9 (पृष्ठ सं.183–185)** पर है। 01.01.2019 से 31.12.2019 तक निजी और स्वैच्छिक संगठन का विवरण आवर्ती/गैर–आवर्ती के रूप मेंएक बार सहायता अनुदान के रूप में दस लाख रूपए से लेकर पचास लाख रूपए से कम प्राप्त किया गया जो **अनुबंध–10 (पृष्ठ सं.186)** पर है।

8.2.6 **पिछले पांच वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) के अंतर्गत विशेष उपलब्धियां**

(i) एडिप योजना के अंतर्गत, पिछले पांच वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान **917.99 करोड़ रूपए** की अनुदान सहायता का उपयोग कर **8805** शिविरों के माध्यम से लगभग **15.03** लाभार्थियों को लाभांवित किया गया।

(ii) एडिप योजना के अंतर्गत सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के वितरण के लिए **33** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में **555** मैगा शिविर/विशेष शिविर आयोजित किए गए, **400.78 करोड़** रूपए की लागत से लगभग **4.88 लाख** दिव्यांगजनों को लाभांवित किया गया।

(iii)इन मेगा शिविरों में से एक शिविर ग्वालियर, में माननीय राष्ट्रपति जी और चार शिविर वाराणसी, नवसारी, वडोदरा एवं राजकोट में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित किए गए।

(iv)पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देशभर के प्राथमिक स्कूलों में एडिप–समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत 5526 शिविरों के माध्यम से 4. 63 लाख विशेष दिव्यांग बच्चों (डीसीडब्ल्यूएसएन) को लगभग 183.06 करोड़

रूपए की लागत से सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए गए।

(v) 31.01.2019 तक देश में 2414 (एडिप योजना के अंतर्गत 1973 और सीएसआर के अंतर्गत 441) कोकलियर इंप्लांट सर्जरियां सफलतापूर्वक आयोजित की गई है।

(vi)पात्र दिव्यांगजनों को 13883 मोटरीकृत ट्राइसाइकिल वितरित की गई है।

एडिप योजना के अंतर्गत 25 अक्टूबर, 2019 को गांधीनगर में आयोजित सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर।

8.2.7 मानीटरिंग तंत्र

योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया है:

(i) विभाग की दिव्यांगता संबंधित योजनाओं (विशेषकर एडिप, डीडीआरएस तथा डीडीआरसी) के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में मानीटरिंग समिति का गठन।

(ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में अधिकारियों को तथा मंत्रालय की दिव्यांगता संबंधी योजनाओं के अंतर्गत गारंटी संगठनों को निरीक्षण, प्रबोधन तथा मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन।

(iii) एडिप योजना के अंतर्गत, किसी विशेष कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसाओं पर

अनुदान जारी किया जाता है। अनुशंसाकर्ता प्राधिकरण संगठन को पिछले अनुदान से सहायताप्राप्त लाभार्थियों की 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत की जांच/प्रतिदर्श जांच भी आयोजित करता है।

(iv) संगठन को उन्हें पिछले अनुदान (एस) के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजना भी अपेक्षित है।

(v) एडिप योजना के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसियों को एक वेबसाइट का रखरखाव करना चाहिए और प्राप्त, प्रयुक्त अनुदानों और फोटो एवं राशन कार्ड संख्या/वोटर आईडी संख्या/आधार संख्या, जो भी मामला हो, के साथ-साथ लाभार्थियों की सूची के ब्यौरें अपलोड किए जाएं। (सरकार के निर्देशों के अनुसार आधार नंबर प्राप्त किया गया है तथापि प्रदर्शित नहीं किया गया है)।

(vi) ई-अनुदान पोर्टल एजीओ के प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्तुत और प्रक्रियाबद्ध करना।

(vii) नीति आयोग पोर्टल पर एजीओ का आवश्यक पंजीकरण करना।

(viii) पीएफएमएस के ईएटी (व्यय अग्रिम अंतरण) मॉड्यूल के माध्यम से सहायता अनुदान का उपयोग।

(ix) जागरूकता सृजन करना, आकलन और फोलाअप कैंप के लिए प्रशासनिक/अतिरिक्त (ओवरहेड) खर्चों के अनुदान सह सहायता के 5 प्रतिशत का प्रयोग कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां करेंगी। मैगा कैंपों के लिए जहां पर लाभार्थियों की संख्या 1000 या इससे अधिक है और इन कैंपो में केबिनेट/राज्य मंत्रियों (एसजेएंडई)/मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, इस योजना के तहत 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय उपलब्ध होगा।

8.2.9 एडिप योजना के अंतर्गत, विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए समकालीन सहायक यंत्र और उपकरणों की दिव्यांगता वार सूची अधिसूचित की है जो विभाग की वेबसाइट (www.disabilityaffairs.gov.in) पर उपलब्ध है। जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगता की संख्या 7 से बढाकर 21 कर दी गई है। विभाग सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त सहायक यंत्र और उपकरणों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में है।

8.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:–

(क) दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण प्रदान करना, जिसमें स्कूल, कालेज, शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय तथा सरकारी भवन, मनोरंजनात्मक क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल आदि शामिल हैं। इसमें रैंपस, रेल्स, लिफ्टस, शौचालयों का व्हीलचेअर प्रयोगकर्त्ताओं के लिए अनुकूलन, ब्रैल संकेतक (साइनेजिज) तथा आडिटरी सिग्नल, टेक्टाइल फलोरिंग, कर्ब कटस, तथा व्हील चेअर प्रयोगकत्तओं की सुगम पहुँच हेत, पेवमैंट पर ढलान बनाना, दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु जैबरा क्रासिंग की सतह पर उत्कीर्णन करना, दृष्टिहीनों अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु रेलवे प्लेटफार्मो पर उत्कीर्णन करना तथा दिव्यांगता के उचित चिन्हों की डिवाइसिंग करना शामिल है।

(ख) भारतीय सरकारी वैबसाइट हेतु एनआईसी तथा प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए केन्द्रीय/राज्य तथा जिला स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाना, जो उनकी वेबसाइट "http:// darpg.nic.in"पर उपलब्ध है।

(ग) दिव्यांगजनों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम।

(घ) निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली की सुगम्यता बढ़ाना। विभाग ने सर्वसुलभ सुगम्यता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अग्रणी अभियान के रूप में "सुगम्य भारत अभियान" की अवधारणा प्रारंभ की जो दिव्यांगजनों को समान अवसर और स्वतंत्र जीवन और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी के लिए पहुँच का लाभ लेने के लिए समर्थ बनाएगा। अभियान में सुगम्यता लेखा परीक्षा का संचालन और निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली तथा आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली में सार्वजनिक स्थानों/अवसंरचना पूर्ण सुगम्य बनाना शामिल करेगा।

(ङ) समेकित पुनर्वास केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों/आऊटरीच केन्द्रों तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की सहायता करना तथा आवश्यकतानुसार नये समेकित विकास केन्द्र और जिला विकास केन्द्र स्थापित करना।

(च) दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्रों, पहचान पत्र और सर्वेक्षण, और सर्वसुलभ (यूनिवर्सल) आईडी जारी करने हेतु शिविरों के आयोजनों में राज्य सरकारों की सहायता करना।

(छ) विभिन्न स्टेकहोल्डरों और अन्य सूचना शिक्षा समुदाय हेतु जागरूकता अभियान और सुग्राहीकरण कार्यक्रम सृजित करना। जागरूकता सृजन और प्रचार योजना का कार्यान्वयन।

(ज) दिव्यांगता मुद्दों एवं काउंसिलिंग पर सूचना का प्रसार करने और सहायक सेवायें प्रदान करने हेतु संसाधन केन्द्र स्थापित करना/सहायता प्रदान करना।

(झ) सुगम्य पुस्तकालयों का, भौतिक और डिजिटल दोनों, और अन्य ज्ञान केन्द्र (नालेज सैंटरों) का संवर्धन करना।

(ञ) दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दे योजना पर अनुसंधान का कार्यान्वयन।

(ट) श्रवण बाधित नवजात शिशुओं की सहायता करने और नियमित स्कूलिंग हेतु तैयार करने के लिये और आवश्यक कौशल प्राप्त करने हेतु युवा बच्चों की सहायता करने हेतु जिला मुख्यालयों/अन्य और जिला चिकित्सा कालेजों वाले अन्य स्थानों पर प्रारंभिक नैदानिक और सहायता केन्द्र स्थापित करना।

(ठ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को संरचात्मक सुविधाओं हेतु विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्तों के कार्यालयों हेतु अनुदान प्रदान करना।

(ड) जहां उपयुक्त सरकारों /स्थानीय अधिकारियों की अपनी जमीन हो वहां दिव्यांगजनों के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों का निर्माण /पार्कों का विकास और मौजूदा पार्कों और अन्य शहरी बुनियादी ढाँचों में बाधामुक्त मानक प्रदान करना।

(ढ) राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेलकूद आयोजनों हेतु सहायता करना।

(ण) नई योजनाओं या परियोजनाओं के तैयार करने के लिए आवश्यक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त करने संबंधित व्यय को पूरा करने हेतु सहायता।

(त) केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य पदधारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण।

(थ) दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में नियोकताओं को प्रोत्साहन।

(द) अधिनियम में निर्दिष्ट किसी ऐसे अन्य कार्यकलाप के लिए वित्तीय सहायता जिसके लिये विभाग की मौजूदा योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध/कवर नहीं कराई जा रही हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (10.01.2020 की स्थिति के अनुसार) के दौरान बजट आवंटन और व्यय:

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बीई आवंटन	आरई आवंटन	जारी की गई राशि
1.	2016-17	193.00	193.00	186.83
2.	2017-18	207.00	273.06	272.24
3.	2018-19	300.00	258.30	260.82
4.	2019-20 (10.01.2020 की स्थिति के अनुसार)	315.00	260.00	90.59

वर्ष 2019—20 के दौरान सिपडा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई अनुदान किए गए सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध—11** पर है।

2019—2020 के दौरान योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए संस्थाओं/संगठनों को अनुबंध के अनुसार अनुदान सहायता जारी की गई है [बाधामुक्त वातावरण, सगुम्य भारत अभियान, सहायता समेकित पुनर्वास केन्द्र (सीआरसी), जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और दिव्यांगजन की पहचान और सर्वेक्षण/सर्वसुलभ पहचान पत्र]। **अनुबंध—12 के अनुसार है।**

8.3.1 दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन

(क) दिव्यांगजनों को इन स्थानों पर सुगम्य माहोल उपलब्ध करवाने के लिए जिसमें विद्यालयों, महा विद्यालयों, आकादमिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों, मनोरंजन संबंधी क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पताल आदि शामिल है। ऐसी कार्यकलापों जिनके लिए सहायतानुदान बाधा मुक्त अभिगम के संबंध में उपलब्ध कराया जाता है, व्यापक है, जिनमें रैम्पस, रेल, लिफ्टें, व्हीलचेयर प्रयोग करने वालों के लिए टॉयलेट प्रयोग करने में आसानी, ब्रेल चिन्ह, दृश्य संबंधी चिन्ह, टेकटाईल फ्लोरिंग, कर्बकटस और स्लोक्स जिन्हें रास्तो में बनाया जाना चाहिए जिससे व्हीलचेयर प्रयोग करने वालों के लिए आसानी रहे, जेबरा क्रोसिंग की सतह पर दृष्टि बाधित अथव कम दृष्टि वाले लोगों के लिए स्पर्शीय पथ दृष्टि बाधित अथव कम दृष्टि वाले लोगों के लिए रेलवे प्लेटफार्म किनारों पर स्पर्शीय पथ, और दिव्यांगता के लिए उपयुक्त चिन्हों आदि को तैयार करना।

(ख) भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (एआर एवं पीजी विभाग) द्वारा जारी भारतीय सरकार के वेबसाइटें, जो उनकी वेबसाइट "http://darpg.nic.in" पर उपलब्ध हैं हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य तथा जिला स्तरों पर पीडब्ल्युडी, सुलभ सरकारी वैबसाइटें बनाना।

(ग) दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम पेश करना।

(घ) एक अच्छे माहोल की सुगम्यता के लिए परिवहन व्यवस्था और सूचना और संचार इको—सिस्टम तक पहुंच बढ़ाना। विभाग ने सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान) की अवधारणा की है, जिससे दिव्यांगजनों को समान अवसर प्राप्त करने

और स्वतंत्र रूप से रहने और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। एक समावेशी समाज इस अभियान में पहुंच–योग्यता ऑडिट का संचालन शामिल होगा और सार्वजनिक स्थानों पर आधारभूत परिवेश, परिवहन, पर्यावरण–व्यवस्था और आईसीटी ईको–सिस्टम में पूरी तरह से पहुंच के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होगा।

(ङ) समेकित पुनर्वास केंद्रों (सीआरसी)/क्षेत्रीय केंद्रों/आउटरीच केंद्रों और जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) को सहायता प्रदान करने के लिए और जब भी आवश्यक हो, नए सीआरसी और डीडीआरसी को स्थापित करने के लिए।

(च) दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के कैंपों को आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना। दिव्यांगजनों की पहचान और सर्वेक्षण/सार्वभौमिक आईडी।

(छ) विभिन्न स्टेकहोल्डरों और अन्य सूचना शिक्षा संचार के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम तैयार करना। जागरूकता सृजन और प्रचार योजना का कार्यान्वयन।

(ज) दिव्यांगता संबंधी मुद्दों, परामर्श और सहायता सेवाओं को प्रदान करने के बारे में जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए संसाधन केंद्र स्थापित/समर्थन करना।

(झ) पुस्तकालयों, भौतिक और डिजिटल दोनों और अन्य ज्ञान केंद्रों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए।

(ञ) दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। 'दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दे योजना पर अनुसंधान' का कार्यान्वयन।

(ट) सरकारी मेडिकल कॉलेजों वाले जिला मुख्यालयों/अन्य स्थानों में शीघ्र निदान और उपाय केन्द्र स्थापित करना जिनका उद्देश्य दृष्टि बाधित, शारीरिक दिव्यांग, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता शिशुओं और युवा बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करना है।

(ठ) दिव्यांगजनों हेतु राज्य आयुक्तों के कार्यालयों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को अनुदान।

(ड) जहां उपयुक्त सरकारों/ स्थानीय प्राधिकरणों के पास स्वयं की भूमि है, वहां दिव्यांगजनों के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों का निर्माण।

(ढ) राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेल आयोजनों को सहायता प्रदान करना।

(ण) दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने के लिए साइट विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए सहायता।

(त) केंद्रीय/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सेवा प्रशिक्षण और उन्हें जागरूक करने के लिए।

(थ) दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन।

(द) अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता जिसके लिए वित्तीय सहायता विभाग की मौजूदा मेस के द्वारा प्रदान/शामिल नहीं की गई है।

(संबंधित प्रभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का विवरण)

8.3.2 कौशल विकास के घटक:

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) हैं (1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिला पीडब्ल्यूडी)। यद्यपि, भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दिव्यांगजनों का है, दिव्यांगजन अधिनियम,1995 के कार्यान्वयन के बावजूद, उनकी सार्थक रोजगार की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई है। सामान्य गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम होने के कारण कुल जनसंख्या में, दिव्यांगजनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अनुपात में है। ग्रामीण दिव्यांगजन कौशल और बाजारों से काफी हद तक अछूते हैं ।

दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों में सुधार करना, दिव्यांग व्यक्तियों, उनके परिवारों के जीवन स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण तत्व है, परन्तु व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त लाभ भी हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ख़राब रोजगार परिणामों से जुड़े व्यक्तियों और समाज के लिए यह महंगा पड़ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार दिव्यांगजनों को अर्थव्यवस्था के बाहर रखना, जीडीपी का लगभग 5% से 7% छोड़ने के बराबर है। व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभों के अतिरिक्त, श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि एक मजबूत आर्थिक अनिवार्यता भी है, जो देश में कुशल श्रम बल की कमी को हल करने में मदद करेगी , साथ ही साथ कल्याण निर्भरता से जुड़े राजकोषीय दबावों को कम करेगी।

8.3.2.1 दिव्यांगजनों के लिए विद्यमान कोशल प्रशिक्षण और रोजगार परिदृश्य नीचे दिए अनुसार हैं : –

(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)।

(ख) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों तथा इसके संबद्ध संगठन यथा, राष्ट्रीय दिव्यांगता वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय न्यास इत्यादि द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(ग) पीएमकेवीवाई के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)।

(घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय दिव्यांगों 24 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों (वीआरसीएच) की देखरेख करता है जिसे अब राष्ट्रीय केरियर सेवा केंद्र (एनसीएससी) कहा जाता है।

(ङ) 10,000 से अधिक आईटीआई और लगभग 1000 रोजगार एक्सचेंज।

(च) तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध सामुदायिक कॉलेजों, आईआईटी और विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

(छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।

(ज) आवास एवं शहरी मंत्रालय का राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।

(झ) अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के व्यावसायिक प्रशिक्षण/ आजीविका कार्यक्रम।

(ञ) व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देने वाले एनजीओ निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संगठन : सीएसआर पहल के तहत, ऐसे कई संगठनों ने अनुकरणीय कार्य किया है।

(ट) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी दिव्यांगजनों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

8.3.2.2 सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी):

विभाग द्वारा 21 मार्च, 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सहयोग से सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी।

योजना निम्नलिखित घटकों के साथ विभाग में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के प्रावधानों के साथ प्रारंभ की गई थी :

क) प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन इकाई

ख) सामग्री जनरेशन इकाई

ग) प्रशिक्षण निगरानी और प्रमाणन इकाई

घ) नियोक्ता कनेक्ट इकाई

ङ) ई–लर्निंग मॉड्यूल, प्रशिक्षण की निगरानी, ई–प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए/ नौकरी पोर्टल के निर्माण और रखरखाव के लिए आईटी यूनिट।

(i) **उद्देश्य और कवरेज:**

(क) दिशानिर्देश 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और जिनके पास इस आशय के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, उनको कवर करेगा।

(ख) महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयास के रूप में, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुल 30% प्रवेश महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) कौशल प्रशिक्षण इस विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, निहित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ii) पात्रता की शर्तें /प्रशिक्षुओं की पात्रता :

(क) भारतीय नागरिकता,

(ख) 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) एवं जिनके पास इस आशय हेतु सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो,

दिव्यांगता को पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1992 की धारा 2(आर) जिसे, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 और/ या किसी भी प्रासंगिक कानून जो लागू हो, उसके तहत लोगों के कल्याण के लिए नेशनल ट्रस्ट के धारा 2 (जे) के साथ पढ़ा जाए, के तहत परिभाषित किया गया है।

(ग) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु कम से कम 15 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(घ) आवेदक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी अन्य कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुआ हो।

(iii) कार्यान्वयन एजेंसियों (प्रशिक्षण प्रदाताओं) की योग्यता:

इस योजना को लागू करने वाले संगठनों/ संस्थानों के द्वारा लागू किया जाएगा, जिन्हें इसके बाद से "प्रशिक्षण भागीदारों" के नाम से संदर्भित किया जाएगा। निम्न वर्गों के संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

क) राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग, या

ख) केंद्रीय / राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों/वैधानिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या

ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान/ सीआरसी/डीडीआरसी/आरसी/आउटरीच केंद्र, या

घ) केन्द्रीय/ राज्य सरकार के विभागों या अधीनस्थ निकायों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,

1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं।

(क) संगठन के पास कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का कम से कम तीन साल का अनुभव हो।

(ख) गैर–सरकारी संगठनों के मामले में, वे नीति आयोग की एनजीओ–भागीदारी (एनजीओ–पीएस) के साथ पंजीकृत होंगे और उन्हें एक यूनिक आईडी प्राप्त होनी चाहिए। गैर–सरकारी संगठन द्वारा अनुदान के लिए आवेदन के समय यूनिक आईडी अनिवार्य रूप से उद्धृत की जानी चाहिए।

(iv) आवेदन और चयन की प्रक्रियाः

चरण – I

इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "प्रशिक्षण भागीदार" के रूप में पंजीकृत होने के लिए अग्रणी समाचार पत्रों में और वेबसाइटों और अन्य मीडिया संगठनों के माध्यम से एक विज्ञापन जारी करके पात्र संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा जो पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, अवसंरचना और उपलब्ध जनशक्ति और अन्य समान प्रासंगिक विचारों के मानदंडों के आधार पर चयन करेंगे। प्रशिक्षण भागीदारों का चयन एक निरंतर प्रक्रिया होगी।

(क) चयन समिति का गठनः प्रशिक्षण भागीदारों का चयन करने के लिए समिति निम्न प्रकार से गठित होगीः

1)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संबंधित संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2)	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (डीईपीडब्लूडी के प्रभारी) या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक (आईएफडी),	सदस्य
3)	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी कम से कम निदेशक /उप सचिव स्तर के अधिकारी।	सदस्य
4)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन	सदस्य
5)	डीईपीडब्लूडी में संबंधित निदेशक /उप सचिव	सदस्य–संयोजक
6)	निम्न में से प्रत्येक संगठन का एक प्रतिनिधि– i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम निगम (एनएसडीसी), ii) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), iii) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई)	सदस्य
7)	पीडब्ल्यूडी के लिए सेक्टर स्किल कौंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
8)	दिव्यांगजनों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न	सदस्य

	एनजीओ के तीन प्रतिनिधि (विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व) चयन समिति की हर बैठक के लिए विभाग द्वारा इन सदस्यों का सह–चयन किया जा सकता है।	

(ख) समिति जब कभी आवश्यक समझे, एक विशेषज्ञ को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

(ग) संगठनों, जिन्होंने प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में नामित किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा है, के चयन के लिए समिति समय–समय पर (प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) बैठक आयोजित करेगी ।

(घ) सेक्टर स्किल काउंसिल के गठन और इसकी पूर्ण संचालन तक समिति विभिन्न कौशल प्रशिक्षण के प्रस्तुत पाठ्यक्रमों को तय/ अनुमोदित करेगी और व्यक्तिगत दौरे और अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रदान किये गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी करेगी।

(ङ) चयन समिति के गैर–सरकारी सदस्य भारत सरकार के निदेशक के समकक्ष अधिकारी को स्वीकृत दरों पर टीए/ डीए के हकदार होंगे।

(च) चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए संगठनों को इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु तीन साल की अवधि के लिए "प्रशिक्षण भागीदारों" के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।

चरण **II**

जो संगठन प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में सूचीबद्ध हैं, वे उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु उनके द्वारा प्रस्तावित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विधिवत अनुशंसित नया विशिष्ट परियोजना आवेदन (दोनों तकनीकी और वित्तीय) सौंपेंगे। आवेदनों की जाँच की जाएगी और चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय अनुदान दिया जायेगा।

(v) **प्रशिक्षण पाठ्यक्रमः**

(क) एमएसडीई ने दिव्यांगजनों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल का गठन किया है।

(ख) जैसे ही सेक्टर स्किल काउंसिल पूरी तरह प्रारंभ हो जायेगी, यह उद्योग और अन्य क्षेत्र के कौशल परिषदों के साथ बातचीत के माध्यम से, दिव्यांगजनों के लिए कार्य भूमिकाएं और ओक्यूपेशनल मानक तय करेगी, जो विभिन्न कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक आधार बन जाएगा।

(ग) जब तक क्षेत्र कौशल परिषद पूरी तरह से चालू होगी, उपर्युक्त संदर्भित समिति, प्रशिक्षण भागीदारों को स्वीकृति देते हुए, दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर भी निर्णय लेगी।

(घ) दिव्यांगजनों से संबंधित भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) और राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) हैं, विभिन्न नौकरियों के लिए समरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाने में समिति के साथ सहयोग करेंगे।

(vi) **निधिकरण मानदंड:**

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–आई दिनांक 15 जुलाई, 2015, समय–समय पर संशोधित रूप में, कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड के रूप में प्रशिक्षण लागत, बोर्डिंग और आवास लागत, परिवहन/ वाहन लागत, तीसरे पक्ष के प्रमाणन लागत, पोस्ट प्लेसमेंट सहयोग आदि सहित पूरे वित्तपोषण मानदंडों के संबंध में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(vii) **प्रशिक्षण की गुणवत्ता निगरानी:**

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करेगा जो सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं पर बाध्यकारी होंगे।

(viii) **अन्य शर्तें:**

(क) कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात प्रशिक्षण प्रदाताओं को, अनुदान सहायता के लिए योजना में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसी एक वेबसाइट रखेगा और प्राप्त अनुदान सहायता, उसके उद्देश्य, कार्यक्रमों का आयोजन और लाभार्थियों की सूची तथा उनकी नौकरी नियुक्तियों के विवरण को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

(ग) विशेष ट्रेडों/ नौकरी भूमिकाओं के लिए लागत मानदंड कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–आई दिनांक 15 जुलाई 2015, समय–समय पर संशोधित, की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित लागत श्रेणी के अनुसार तय किया जाएगा।

(घ) प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में चयनित एनजीओ, नीति आयोग के का.ज्ञा. सं एम–11/16(2)/2015–वीएसी दिनांक 10 सितंबर 2015 द्वारा समय–समय पर संशोधित रूप में अधिसूचित केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के क्रियान्वयन लिए सामान्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(ix) अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण:

कौशल विकास के घटकों का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संचालित अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण होगा, जो कौशल विकास के लिए सामान्य मानदंडों का पालन करेंगे। यदि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सभी कौशल विकास योजनाओं को निधि देने का निर्णय करता है, तो सिपडा योजना के इस घटक को बंद कर दिया जाएगा। विभाग, कौशल विकास पर प्रशिक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में ईआरएनईटी इंडिया द्वारा स्थापित केंद्रों का उपयोग करेगा । एसआईपीडीए के तहत कौशल विकास का कार्यक्रम प्रारंभ होते ही दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत इस विभाग द्वारा वित्तपोषित कौशल विकास का घटक बंद कर दिया जाएगा।

(x) समीक्षा और निगरानी:

दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा एक चयन समिति द्वारा की जाएगी। कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के लिए एमआईएस आधारित निगरानी तंत्र रखा जाएगा।

(xi) योजना का अधिकार क्षेत्र:

दिशानिर्देशों का अधिकार क्षेत्र दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करना है । इस योजना में प्रशिक्षुओं के रोजगार के पहलुओं को शामिल नहीं किया गया है तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कहीं भी रोजगार पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करता है।

(xii) गलत सूचना का प्रस्तुतीकरण:

यदि किसी प्रशिक्षु या प्रशिक्षण सहयोगी ने कोई गलत सूचना/ दस्तावेज प्रस्तुत किया है और इसे झूठ पाया गया है, तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा और उस पर व्यय की गई राशि पर 10 प्रतिशत दंडस्वरूप ब्याज के साथ वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रशिक्षु या प्रशिक्षण संगठन को भी भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(xiii) मुकदमा:

इन दिशानिर्देशों से उत्पन्न मामलों पर किसी भी मुक़दमे पर केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों का एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।

(xiv) दिशानिर्देशों के प्रावधानों में परिवर्तन:

इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को किसी भी समय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के विवेकानुसार बदला जा सकता है।

(xv) दिशानिर्देशों की समीक्षा:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जब आवश्यक हो, अपने विवेक पर, इन दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है।

8.3.2.3 राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति:

(i) परियोजना मॉनिटरिंग इकाई:

कौशल विकास के लिए पीएमयू योजना के अनुसार स्थापित किया गया है और यह वर्तमान में विभाग के एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की देखरेख में कार्य कर रहा है, जिसमें उप सचिव/निदेशक और एएसओ, सलाहकारों के साथ अवर सचिव कंसल्टेंट्स (आईटी के लिए सहित) संबंधित कार्य) और सहायता के लिए उनके नीचे डीईओ की टीम है। शुरुआत से ही, कौशल पीएमयू दिव्यांगजनों की गुणवत्ता कौशल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और उनके रोजगार स्वयं या नौकरी रोजगार या उद्यमिता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

(ii) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस):

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, एमआईएस भी विकसित किया जा रहा है और यह शीघ्र ही कार्यात्मक होगा। यह एम आई एस पोर्टल को एमएसडीई (एसडीएमएस), नीति आयोग के (पीएस) पोर्टल तथा पीएफएमएस पर एकीकृत करने की योजना है। निगरानी उद्देश्य के लिए आधार सक्षम बायो–मेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी अनिवार्य किया गया है।

(iii) केंद्र दिशानिर्देश:

गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए केंद्रों पर पर्याप्त बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने हाल ही में सीसीटीवी, वीसी, एईबीएएस, नौकरी की भूमिका विशिष्ट प्रयोगशालाओं, उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक, प्रशिक्षण केंद्र की अनिवार्य विशेषताओं के रूप में केंद्रीय दिशानिर्देश पेश किए हैं। केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार भौतिक निरीक्षण द्वारा केंद्र का ऑडिट–किसी भी केंद्र में प्रशिक्षण की अनुमति देने से पहले या तो विभाग के अधिकारियों या तृतीय पार्टी एजेंसी द्वारा अनिवार्य किया गया है। चल रहे प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण भी शुरू किया गया है।

(iv) ई–प्रशिक्षण/ई–लर्निंग:

विभाग ई–लर्निंग/प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास पर भी काम कर रहा है और इसके विभिन्न पहलुओं की जांच करने और इसके कार्यान्वयन के लिए तौर–तरीकों का सुझाव देने के लिए अक्टूबर, 2019 में एक समिति का गठन किया गया है।

8.3.2.4 एनएपी के तहत प्रशिक्षण भागीदारः

योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार, गैर–सरकारी संगठनों, निजी प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र/सरकार के बीच विभाग द्वारा कौशल प्रशिक्षण भागीदारों के नेटवर्क द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा निजीक्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के संगठनों को ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में प्रतिष्ठित किया गया हो। प्रशिक्षण भागीदारों का पैनल चयन समिति द्वारा किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। चयन समिति, ने अब तक आयोजित 15 बैठकों में 28 संगठनों और 275 गैर–सरकारी संगठनों को शामिल किया है, जिसमें एनएपी के तहत प्रशिक्षण साझेदार (ईटीपी) के रूप में 247 एनजीओ शामिल हैं, जो देश भर में फैले हुए हैं। चूँकि नामिकरण की वैधता तीन वर्षों की अवधि के लिए है, अब तक टीपीएसके रूप में नामित की 275 में से 105 संगठनों की (13 सरकारी और 92 गैर–सरकारी) अर्थात चयन समिति की 15 वीं बैठक दिनांक 20.08.2019 तक पैनलबद्ध होने की वैधता है।

इटीपी के अतिरिक्त विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन विविध संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) एवं विभिन्न राज्यों में स्थापित उनके समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय से 24 वी आरसी का हस्तांतरण अभी प्रक्रियाधीन है जो क्वालिटी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए विभाग की क्षमता को बढ़ाएगा।

8.3.2.6 दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद् (एससीपीडब्ल्यूडी)

दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक अलग क्रॉस कटिंग सेक्टर कौशल परिषद बनाया गया है जिसका निजी क्षेत्र से एक अध्यक्ष एवं एक पूर्णकालिक सीईओ है। परिषद में दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले सरकारी, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संगठन के हितधारकों स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध सदस्य हैं। विभाग, क्षेत्रक कौशल परिषद तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों से परामर्श से समरूप पाठ्यक्रम, प्रमाणीकरण तन्त्र, दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रोजगार की पहचान, अतिरिक्त प्रशिक्षण घण्टों की अपेक्षा आदि के सृजन के लिए कार्य कर रहा है।

8.3.2.7 रोजगार सम्बद्ध गतिविधियांः

विभाग, रोजगार सम्बद्ध उपलब्ध कराने तथा सीएसआर सहायता प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के विविध संगठनों तथा पीएसयू के साथ उनसे सम्बंध स्थापित करके प्रशिक्षण प्रदाताओं की सहायता भी करता है। विभाग स्वयं अथवा एनएचएफडीसी अथवा इसके प्रशानिक नियन्त्रण में अन्य अधीनस्थ संगठनों के माध्यम से नियमित रूप से कार्यशालाओं, सम्मेलनों तथा रोजगार मेलों का आयोजन करता है।

8.3.3 सुगम्य भारत अभियान

निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ निर्मित पर्यावरण (भवन), परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र में दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के लिए 3 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। : -

(ए) सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाना।

(बी) सुगम्य परिवहन तंत्र [एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन वाहक (बस)] के अनुपात को बढ़ाना।

(ग) सुलभ सरकारी वेबसाइटों; सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का पूल; सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या के अंश को बढ़ाना ।

विभिन्न संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा इस विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर प्राप्त जानकारी के आधार पर, दिनांक 31.12.2019 तक सुगम्य भारत अभियान के तहत ब्यौरे निम्नानुसार है:

(क) सुलभ सरकार भवन:

सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाना

लक्ष्य: 50 शहरों में कम से कम 25-50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना और उन्हें मार्च, 2020 तक पूरी तरह सुलभ बनाना; (ii) मार्च, 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी भवनों और सभी राज्यों की राजधानियों के 50% को पूरी तरह से सुलभ बनाना; (iii) 50% सरकारी भवनों की सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना और मार्च, 2020 तक लक्ष्य (i) और (ii) के तहत शामिल न किए गए राज्यों के 10 सबसे महत्वपूर्ण शहरों/ कस्बों में उन्हें पूरी तरह से सुलभ बनाना। मार्च, 2020 का लक्ष्य 19 सितंबर, 2019 को माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक के अनुसार निर्धारित किया गया।

स्थिति

(i) राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार

(क) राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों में, ऑडिटर्स द्वारा 48 शहरों में 1662 भवनों का सुगम्य ऑडिट पूरा किया गया। राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों को 1662 एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

(ख) अब तक 1391 भवनों के रेट्रोफिटिंग के वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, विभाग द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक 1058 भवनों के संबंध में 354.45 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी जारी की गई है,

जिसमें से वित्त वर्ष 2019-20 में 148 इमारतों के लिए 89.54 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसमें ओडिशा राज्य में 21 भवनों को पूरा करने के लिए जारी की गई दूसरी किस्त भी शामिल है।

(ग) आगे, वित्त वर्ष 2019-20 में, 6 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने 251 भवनों में रेट्रोफिटिंग कार्य पूरा करने की सूचना दी।

(घ) कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि लक्ष्य / चरण (i) और (ii) के लिए अपने स्वयं के धन से काम शुरू कर दिया गया है।

(ii) केंद्र सरकार

(क) सीपीडब्ल्यूडी ने सुगम्य भारत अभियान के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में लक्षित सभी 211 भवनों में रेट्रोफिटिंग के पूरा होने की सूचना दी।

(ख) इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रेट्रोफिटिंग के लिए अन्य मंत्रालयों की 889 इमारतों की पहचान की गई थी, जिनमें से अब तक 787 भवनों में रेट्रोफिटिंग पूरी हो चुकी है।

(ख) परिवहन तंत्र सुगम्यता:

सुगम्य परिवहन तंत्र (हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन) का अनुपात बढ़ाना

(I) **हवाई अड्डा**

लक्ष्य: सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाए।

स्थिति

(क) सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 में सुलभता सुविधाएँ (रैंप, सुलभ शौचालय, हेल्पडेस्क तथा ब्रेल और श्रवण सूचना प्रणाली वाली लिफ्ट) प्रदान की गई हैं, जिनमें से वित्त वर्ष 2019-20 में 1 अंतरराष्ट्रीय और 7 घरेलू हवाई अड्डों में काम पूरा हुआ। इसके अलावा, सूचना है कि वित्त वर्ष 2019-20 में, सभी अंतरराष्ट्रीय/ कस्टम हवाई अड्डों को एरोब्रिजेज़ उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) दिव्यांगजनों के लिए निर्बाध सुरक्षा जांच के लिए, सीआईएसएफ द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं परिचालित की गई है।

(ii) रेल

लक्ष्य: ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुलभ बनाया जाना; सभी रेलवे स्टेशनों का 50% को पूरी तरह से सुलभ बनाया जाना;

स्थिति

(क) वित्त वर्ष 2019-20 में, 39 अतिरिक्त ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को रेल मंत्रालय द्वारा चिन्हित सात (07) अल्पकालिक सुविधाएं अर्थात्, रैंप, दिव्यांगजन के लिए दो पार्किंग स्थल, पार्किंग से स्टेशन बिल्डिंग तक फिसलन रहित पैदल पथ, साइनेज, कम से कम एक पीने का पानी का नल, एक सुलभ शौचालय और 'क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं' बूथ उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे सभी 709, ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशन आंशिक रूप से सुलभ बन जाते हैं।

(ख) 603 रेलवे स्टेशनों को अतिरिक्त दो (02) दीर्घकालिक सुविधाएं नामतः एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर अंतरण तथा प्लेटफॉर्म के किनारों पर एनग्रेविंग (स्पर्श संकेतक) की सुविधा का प्रावधान दिया गया है।

(ग) अब तक, 4236 में से 1391 रेलवे स्टेशनों (सभी का 50%) पर उपर्युक्त 7 अल्पावधि सुगम्यता सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

(घ) एक सदस्य के रूप में संयुक्त सचिव, सुश्री तारिका रॉय, दिव्यांजन सशक्तिकरण विभाग के साथ गठित समिति, सुगम्य रेल यात्रा जिसमें बाधा मुक्त आईसीटी सेवाएं, स्टेशनों की इमारतें, कोच के साथ-साथ यात्रा सेवाएं शामिल हैं, के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

(ङ) इस संबंध में 18.10.2019 को और 21.12.2019 को रेलवे अधिकारियों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया गया, ताकि परिसर में सुगम्यता की जांच और इसकी आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके।

(iii) बसें

लक्ष्य: सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन वाहक का 25% पूरी तरह से सुलभ बनाया जाना है:

स्थिति

(ए) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में 1,45,287 बसों में से, 30,476 (20.98%) बसें आंशिक रूप से सुलभ हैं और 5244 (3.6%) बसें पूरी तरह से सुलभ हैं।

(ख) बस बॉडी कोड को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाया गया है कि सभी नई सिटी बसें दिव्यांगजनों के अनुकूल हों।

(ग) ज्ञान और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र की सुगम्यता:

सुलभ सरकारी वेबसाइटों; सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का पूल; सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या के अंश को बढ़ाना।

(i) वेबसाइटें

लक्ष्य: केंद्र और राज्य सरकार की कम से कम 50% वेबसाइटें सुगम्यता मानकों को पूरा करती हों:

स्थिति

(क) विभाग ने 917 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों की वेबसाइटों को सुलभ बनाने के लिए ईआरनेट इंडिया को 26.19 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं, जिनमें से 10.48 करोड़ रूपए संवितरित कर दिए गए हैं। 354 राज्य सरकारों की वेबसाइटों को सुलभ बनाया गया है, जिसमें से 85 वेबसाइटों को वित वर्ष 2019-20 में चालू कर दिया गया है।

(ख) सामग्री प्रबंधन ढांचे के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों की 95 वेबसाइटें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुलभ बनाई गई हैं।

(ii) टीवी देखना

लक्ष्य: (i) सार्वजनिक टेलीविजन समाचार - कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या संबंधी राष्ट्रीय मानकों को बनाया और अपनाया जाना है; (ii) सरकारी चैनलों पर कम से कम 25% सार्वजनिक टेलीविजन कार्यक्रम निर्धारित मानकों का पालन करने वाले होने चाहिए।

स्थिति

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने 11.09.2019 को दिव्यांगजनों के लिए टीवी कार्यक्रमों के मानदंडों को निर्दिष्ट करते हुए सुगम्यता मानक जारी किए हैं।

(iii) सांकेतिक भाषा दुभाषिया

लक्ष्य: 200 अतिरिक्त सांकेतिक भाषा दुभाषियों का प्रशिक्षण और विकास

स्थिति

सरकार ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सितंबर 2015 में एक सोसायटी के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) स्थापित किया है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग, शिक्षण और अनुसंधान के संचालन के लिए जनशक्ति विकसित करना करना है।

(क) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) ने सूचित किया है कि आईएसएलआरटीसी के डिप्लोमा और अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1000 से अधिक सांकेतिक भाषा दुभाषियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) वित्त वर्ष 2019-21 के वर्तमान सत्र में साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के डिप्लोमा कोर्स के तहत 19 छात्रों को दाखिला दिया गया है और वित्त वर्ष 2019-20 में 5 करोड़ रूपए की अनुदान सहायता राशि जारी की गई है।

(ग) शैक्षणिक वर्ष 2019-21 के लिए एक नया पाठ्यक्रम, भारतीय सांकेतिक भाषा में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज) सितंबर, 2019 (20 छात्र भर्ती) से शुरू हुआ।

3. उपर्युक्त के अलावा, सुगम्य भारत अभियान के तहत संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के सहयोग से इस विभाग द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(i) दूरसंचार विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए आईसीटी की बेहतर पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे कि आईटीयू, ईएसटीआई, यूनिकोड, डब्ल्यू3सी और डीएआईएसवाई) द्वारा अनुपालन किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों को स्वीकार करने और बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

(ii) दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूलों को सुलभ बनाने के लिए, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में रैम्प और हैंडरेल (बाधा रहित सुगम्यता) तथा दिव्यांग अनुकूल शौचालय उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक, 2,45,921 (61%) स्कूलों में रैंप और 1,21,857 (21%) में सुलभ शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 12 और बीएड पाठ्यक्रम के साथ-साथ राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम में सुगम्यता संबंधी पाठ्य सामग्री शामिल की गई है। एनसीईआरटी ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए ऑडियो और ब्रेल कहानी की किताबें तथा स्पर्श नक्शे प्रकाशित किए हैं।

(iii) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर सी आई) के माध्यम से विभाग पाठ्यक्रम के लिए सामग्री तैयार कर रहा है और सभी शिक्षकों को सेवा प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

4. **निगरानी** -

इस अभियान की निगरानी प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्रगति के माध्यम से, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और सचिवों की समिति के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने स्तर पर सुगम्य भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हैं। इन बैठकों के निर्देशों के आधार पर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अभियान के तहत कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) **प्रगति**: प्रगति की बैठक माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 31.07.2019 को आयोजित की गई, जिस दौरान सुगम्य भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित और सुगम्य बनाने के लिए सुसंगत दिशा निर्देशों (हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन्स) तथा स्थान मानकों (स्पेस स्टैंडर्ड्स) और आदर्श भवन उपनियमों (मॉडल बिल्डिंग बाईलॉ) को लागू करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे और सरकार की सार्वजनिक इमारतों और सेवाओं का उपयोग करने के बारे में आम जनता से जानकारी लेने के लिए क्राउड सोर्सिंग एप्लीकेशन तैयार किया गया था। दिनांक 24.12.2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय में अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार की इमारतों और वेबसाइटों के सूची विकसित करने और अभियान की पहुंच को बढ़ाने और इसका विस्तार करने के लिए और सुझाव दिए गए।

(ii) **नियमित निगरानी** - केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/ विभागों आदि में प्रगति की निगरानी के लिए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा 18.09.2019 और 19.12.2019 को तिमाही आधार पर निगरानी बैठक आयोजित की जा रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य, रेलवे, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, सूचना और प्रसारण के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने उन बैठकों में भाग लिया जहां अभियान लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपनी परियोजना निगरानी एकक के माध्यम से नियमित रूप से सहभागी केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी जानकारी लेता है। आयोजन बैठकों, पत्रों, टेलीफोन द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस और एमआईएस पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाती है।

(iii) **सचिव समिति की बैठक**: कैबिनेट सचिव ने 04.10.2019 को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे कि केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों की सभी नई इमारतों को पूरी तरह सुगम्य हो तथा केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा इमारतें, विशेष रूप से बड़े सार्वजनिक संस्थानों जैसे कि अस्पतालों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, न्यायालयों, कलेक्ट्रेटों आदि की रेट्रोफिटिंग की निगरानी, ताकि उन्हें पूरी तरह से सुलभ बनाया जा सके।

5. नई पहल -

(i) **हैकथॉन**: ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं में पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीओडीडब्ल्यूएस) के साथ, 14 और 15 सितंबर, 2019 को हैकथॉन का आयोजन किया, जिसमें 17 सितंबर, 2019 को विजेता प्रविष्टियों को सम्मानित किया गया।

(ii) **इमारतों में सुगमता के लिए आसान संगणक**: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी सुसंगत दिशा निर्देशों और स्थान मानक के आधार पर 10 प्रमुख सुगम्यता विशेषताओं का संक्षेप संकलन तैयार किया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उन इमारतों को सुगम्यता प्रमाण-पत्र देने का विचार करता है जो इन 10 सुगम्यता विशेषताओं, जिसमें 3 आउटडोर और 7 इनडोर विशेषताएं शामिल हैं, का अनुपालन करते हुए पहले ही बाधा मुक्त बन चुके हैं।

(iii) **छात्र को संलग्न करने का कार्यक्रम**: यह देखने के प्रयास किए जा रहे हैं कि रेट्रोफिटिंग कार्य की जांच कैसे की जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ वर्तमान में, छात्र को संलग्न करने का कार्यक्रम चंडीगढ़ के साथ एक प्रायोगिक परियोजना द्वारा शुरु किया गया है, जहां 43 सुगम्य भारत अभियान वित्त पोषित इमारतों में से 39 को पूरा करने की सूचना है।

(iv) **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) पोर्टल**: 18.09.2019 को, माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) ने सुगम्य भारत अभियान के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया, जो सुगम्य भारत अभियान के तहत लक्ष्यों की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी के लिए विकसित किया गया था। यह निर्मित वातावरण, परिवहन और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में सुगम्यता से संबंधित केंद्रीकृत डेटा स्रोत तैयार करने की परिकल्पना करता है। स्थल पर किए जा रहे रेट्रोफिटिंग कार्य की तस्वीरों के साथ निष्पादित कार्य का रियल टाइम डेटा अपलोड करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इसके लॉन्च के पहले 4 महीनों के भीतर, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला के आयोजन के बाद, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और सीपीडब्ल्यूडी के 743 भवनों का विवरण, 330 इमारतों की 504 तस्वीरों के साथ एम आई एस पोर्टल (23.1.2020 तक) पर अपलोड किया गया है।

(v) क्राउड सोर्सिंग ऐप: दिव्यांगजन की शिकायतों को सार्वजनिक केंद्रित सुविधाओं के उपयोग और संबंधित स्वामित्व को सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक क्राउड सोर्सिंग एप्लिकेशन विकसित की जा रही है। वेंडर तय कर लिया गया है और एप्लीकेशन मार्च 2020 तक बनकर चालू हो जाएगी।

(vi) **आदर्श सुगम्य पुलिस स्टेशन:** पुलिस स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दैनिक आधार पर दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं उपलब्ध करने के लिए भी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की इच्छा रखता है। इस प्रयोजनार्थ 2 पुलिस स्टेशन नामत: संसद मार्ग पुलिस स्टेशन और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन को ऑडिट जांच के लिए लिया गया है और भावी प्रतिरूप के लिए आदर्श सुगम्य पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है।

(vii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के साथ आधुनिकीकरण परियोजना: चूंकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अपने कार्यालय को सुगम्यता के लिए एक आदर्श कार्यालय बनाने के लिए सुगम्य भारत अभियान की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया है, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अपर सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सुगम्य भारत अभियान की सर्वोत्तम प्रथाओं को सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए तैयार करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

फोटो

11.09.2019 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा सुगम्य भारत अभियान के तहत क्राउडसोर्सिंग एप्लीकेशन की समीक्षा

30.11.2019 को रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार की गई सुगम्यता दिशानिर्देशों पर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक बैठक आयोजित की

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने **19.12.2019** को सुगम्य भारत अभियान के तहत सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा प्राप्त प्रगति की समीक्षा की।

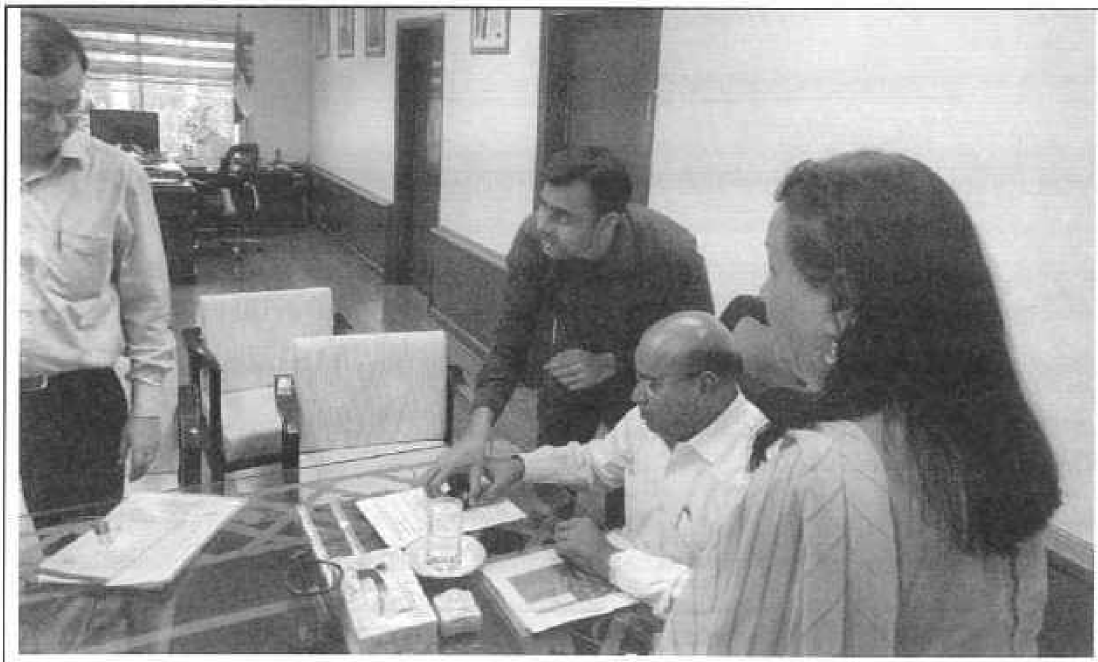

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने **18.09.2019** को एम आई एस पोर्टल सुगम्य भारत अभियान शुरू किया

सितंबर 2019 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पेयजल और स्वच्छता तथा नीति आयोग के साथ आयोजित सं-साधन - हैकथॉन के दौरान प्रतिभागियों के साथ सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सितंबर 2019 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पेयजल और स्वच्छता तथा नीति आयोग के साथ आयोजित सं-साधन - हैकथॉन के विजेताओं को राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के साथ माननीय मंत्री, जल शक्ति पुरस्कृत करते हुए

8.3.4 पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

8.3.4.1 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र और इसके उद्देश्य

(i) प्रारंभिक पहचान और उपाय.

(ii) जागरूकता पैदा करना

(iii)सहायक उपकरणों की आवश्यकता/प्रावधान/निर्धारण का आकलन

(iv)चिकित्सीय सेवाएं जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि

(v) सर्जिकल सुधार का परामर्श और प्रबंध

(vi)छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता

(vii) कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ऋण

(viii) शिविर पहुंच के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण और पहचान

(ix)विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी करने में सहायता करना

(x) स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था

(xi)राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करना

(xii) बाधा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना

8.3.4.2 डीडीआरसी की स्थिति

(i) डीडीआरसी की स्थापना के लिए अनुमोदित जिलों की संख्या - 310

(ii) स्थापित डीडीआरसी की संख्या - 264

(iii) नियमित रूप से कार्यरत डीडीआरसी की संख्या - 55-60

(iv) डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसियां रेड क्रास सोसाइटी या राज्य सरकार के स्वायत्त/अर्धस्वायत्त निकाय या अच्छे ट्रैक रिकार्ड के साथ प्रतिष्ठित एनजीओ हैं।

मद	पूर्व-संशोधित दरें	संशोधित दरें (*)
कुल मानदेय	8.10	23.40
कार्यालय व्यय / आकस्मिक व्यय	2.10	5.25
उपकरण (केवल स्थापना के लिए 1 वर्ष के लिए)	7.00	20.00

[* विशेष क्षेत्रों/ राज्यों में स्थित डीडीआरसी के लिए 20 प्रतिशतः अधिक मानदेय स्वीकार्य होगा]:

- 8 उत्तर-पूर्वी राज्य,
- हिमालय क्षेत्र में राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश),
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) - 106 जिले, और
- अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिले- 34 जिले।

(v) डीडीआरसी के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य पद अनुबंध -14 A (पृष्ठ संख्या 198)

8.3.4.4 डीडीआरसी की स्थापना

(i) जिला प्रबंधन दल (डीएमटी) का गठन।

(ii) जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर डीएमटी के अध्यक्ष होते हैं।

(iii) सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा इत्यादि से अधिकारियों को शामिल किया जाता है।

(iv) डीएमटी के कार्य

(क) पंजीकृत कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन।

(ख) जनशक्ति का चयन/तैनाती और उनके संलग्नता शर्तों को अंतिम रूप देना।

(ग) डीडीआरसी की गतिविधियों की मानीटरिंग और समन्वयन।

(घ) दिव्यांगजन के पुनर्वास से संबंधित जिले में अन्य गतिविधियों के साथ संमिलन।

(ड) डीडीआरसी की संपत्तियों और विभाग की एडिप योजना के तहत प्राप्त सामग्री, यदि कोई हो, की सुरक्षा।

(च) वर्ष में कम से कम 4 बैठकें।

8.3.4.5 डीडीआरसी की कार्यान्वयन एजेंसियां

कार्यान्वयन एजेंसी हो सकती है

(क) एक रेड क्रॉस सोसायटी

(ख) राज्य सरकार का ऐसा कोई स्वायत्त/ अर्ध-स्वायत्त निकाय।

(ग) एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाला प्रतिष्ठित एनजीओ

8.3.4.6 डीडीआरसी की संशोधित योजना के प्रावधान

(i) संशोधित डीडीआरसी योजना 1 अप्रैल, 2018 से लागू।

(ii) योजना के तहत कर्मचारियों का मानदेय में 2.5 गुना वृद्धि।

(iii) उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान पहले वर्ष अर्थात डीडीआरसी की स्थापना के दौरान 7 लाख रुपये से बढ़कर 20 लाख रूपए।

(iv) नई योजना में दो अतिरिक्त पदों का सृजन।

(v) अनुदान सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।

(vi) राज्य सरकार द्वारा स्थान उपलब्ध नहीं कराए जाने पर डीडीआरसी स्थान किराए पर ले सकता है।

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में सहायता प्रदत्त डीडीआरसी की राज्य-वार संख्या और जारी राशि अनुबंध -14 ख पृष्ठ संख्या 199 पर है।

8.3.5 जागरूकता सृजन और प्रचार योजना (एजी एंड पी स्कीम)

सिंहालोकन

यह योजना, सितंबर, 2014 में शुरू की गई और वित्तीय वर्ष 2014-15 से चालू है। बेहतर और कारगर परिणामों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन का आधार व्यापक बनाने के लिए तथा इसके कार्यक्षेत्र उद्देश्य, पात्रता आदि को सरल बनाने तथा बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में इसे संशोधित किया गया।

योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटक में दिव्यांजनों के ऑनलाइन परामर्श के लिए एक हेल्प लाइन की स्थापना; सामग्री विकास; प्रकाशन और समाचार मीडिया; राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन; अंतरराष्ट्रीय पहल में भाग लेना अथवा गैर-सरकारी संगठनों या स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन करना; वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए स्वयंसेवक सेवा / आउटरीच कार्यक्रम; मनोरंजन और पर्यटन; सामुदायिक रेडियो में भागीदारी; मीडिया की गतिविधियाँ; रोजगार मेलों सहित दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए जागरूकता अभियान का समर्थन; एक सक्षम और अवरोध मुक्त वातावरण बनाकर सार्वभौमिक सुगम्यता के बारे में जागरूकता फैलाने का समर्थन करना जिसमें सुगम्य भवन, सुगम्य परिवहन, सुगम्य वेबसाइट और सुगम्य ऑडिट करना शामिल हैं; दिव्यांगता के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना; दिव्यांगजनों के बीच स्पर्धाओं, जागरूकता अभियान, इत्यादि के माध्यम से उनकी प्रतिभा और कौशल को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद और एबिलीम्पिक क्रियाकलाप, शामिल है।

8.3.5.1 योजना के तहत उपलब्ध सहायता

(i) अल्पावधि परियोजनाएं (6 माह की अवधि तक के एक बार के कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं); वितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) 75 प्रतिशत - अनुमोदन, स्वीकृति पर, आवश्यक बांड आदि के निष्पादन पर।

(ख) 25 प्रतिशत - मदवार व्यय के साथ लेखा का लेखापरीक्षा विवरण, प्रथम किस्त के लिए अंतिम रिपोर्ट और यूसी की प्राप्ति पर।

(ii) दीर्घावधि परियोजनाएं (6 माह तथा अधिक अवधि की परियोजनाएं); वितरण तीन किस्तों में निम्नानुसार किया जाता है:

(क) 40 प्रतिशत - परियोजना के अनुमोदन, स्वीकृति तथा बैंक गारंटी/बांड भरे जाने पर।
(ख) 40 प्रतिशत - प्रगति समीक्षा, प्रथम किस्त के उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद।
(ग) 20 प्रतिशत- अंतिम रिपोर्ट, पूर्ण राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र; तथा मदवार व्यय के साथ लेखा के लेखापरीक्षित विवरण की प्राप्ति पर
(घ) जब योजना के अंतर्गत कोई कार्य केंद्र/राज्य सरकार के अधीन संस्थाओं द्वारा सीधे ही शुरू किया जाता है, निधि वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार संस्वीकृत तथा जारी की जाएगी।

8.3.3.2 अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन

(i) स्वयं-सहायता समूह
(ii) पक्षपोषण तथा स्व-पक्षपोषण संगठन
(iii) माता-पिता एवं समाज के रवैये में परिवर्तन लाने तथा उसके संघटन हेतु कार्यरत समुदायिक संगठन
(iv) मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक सहायता सेवा
(v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन
(vi) दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन जिनमें श्रम बाजार कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले, तनाव प्रबंधन और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अलगाव उन्मूलन शामिल हैं।
(vi) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों आदि सहित केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठन।

8.3.5.3 पात्रता मानदंड: -

i) इस योजना के 4 (क) के तहत ये संगठन न्यूनतम तीन वर्ष तक पंजीकृत संगठन हो, जिसमें सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत संगठन, अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट या चैरिटेबल एंड रिलिजियस एंडोमेंट एक्ट, 1920 अथवा धारा 8 कंपनी अधिनियम, आदि के तहत पंजीकृत एक निगम या केंद्र / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

ii) संगठन गैर-लाभकारी होना चाहिए और लाभार्थ संगठन अथवा अपने लाभ, यदि कोई हो, या धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देने में अपने आय का उपयोग करने वाला नहीं होना चाहिए।

iii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों आदि सहित केंद्र/ राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन अथवा धारा 8 कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत अथवा केंद्र / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकृत निगम को दिव्यांगजन अधिनियम के तहत पंजीकरण की शर्तों से छूट दी गई है।

iv) गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार से अनुशंसित करने की आवश्यकता है। जी ओ के पास विशिष्ट पहचानपत्र विवरण के साथ नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।

v) संगठन को यह प्रमाणित करना होगा कि वह पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस के व्यय अग्रिम और हस्तांतरण मॉड्यूल का उपयोग करेगा।

8.3.5.4 वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान अनुमान और व्यय का ब्योरा दर्शाता विवरण।

2015-16 (करोड़ रूपए म)			2016-17 (करोड़ रूपए म)			2017-18 (करोड़ रूपए म)			2018-19 (करोड़ रूपए म)			2019-20 (करोड़ रूपए म) (23.01.2020 तक)		
बजट अनमान	सशोधित अनमान	व्यय	बजट अनमान	सशोधित अुनमान	व्यय	बजट अनमान	सशोधित अनमान	व्यय	बजट अनमान	सशोधित अनमान	व्यय	बजट अनमान	सशोधित अनमान	व्यय
5.00	4.00	2.61	3.00	3.00	2.70	3.00	3.00	1.74	3.00	2.00	1.15	3.00	2.00	1.24

8.3.6 **दिव्यांगजन संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दों पर अनुसंधान**

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जनवरी, 2015 में "दिव्यांगजन संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों और मुद्दों पर अनुसंधान" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की।

उद्देश्य

(i) व्यक्तियों के जीवन चक्र की जरूरतों और समग्र विकास के आधार पर सेवा मॉडल और कार्यक्रमों के अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(ii) जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अनुप्रयुक्त और कार्यात्मक अनुसंधान शूरू करना और इसे बनाए रखना

(iii) दिव्यांगता की रोकथाम और प्रबलता तथा स्वदेशी, उपयुक्त यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसंधान निष्कर्षों और नीति और नियोजन तथा अमल के बीच मजबूत संबंध विकसित करना

(v) दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और उत्पाद विकास परियोजनाओं में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना

इस योजना के दो घटक हैं:

I) दिव्यांगजनों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए सहायक प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास उपकरणों का अनुसंधान और विकास।

(ii) दिव्यांग क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन / सर्वेक्षण। राज्य सरकारों और विभाग के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों से योजना को लोकप्रिय बनाने और योजना के अनुसार अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, संबंधित संगठनों द्वारा 4 मसौदा अंतिम रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, जो कि निम्नलिखित विवरणों (31.01.2020 के अनुसार) के अनुसार अनुदान की अंतिम किस्त जारी करने के लिए विचाराधीन हैं:

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	परियोजना शीर्षक
1	निमहांस, बंगलौर	मानसिक रूग्णता वाले व्यक्तियों के कार्य प्रदर्शन पर रोजगार कार्यक्रम की व्यवहार्यता परीक्षण।
2	तमन्ना, नई दिल्ली	बौद्धिक रूप से दिव्यांग और ऑटिस्टिक व्यक्तियों की शक्ति को सुदृढ़ करने और कमजोरी को कम करने के लिए आभासी प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम की भूमिका
3	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	दिव्यांगजनों में सोमाटोटाइप, शारीरिक प्रयासों और शारीरिक गतिविधि की धारणा पर अध्ययन
4	अमलज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज, केरल	निचले अंगों के पक्षाघात वाले लोगों के लिए रोबोट मोबिलाइज़र का विकास।

8.3.7 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) परियोजना

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार करने के विचार से यूडीआईडी परियोजना को लागू करने और उनमें से प्रत्येक को यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में है। सॉफ्टवेयर पहले से ही विकसित कर लिया गया है और एनआईसी क्लाउड पर उपलब्ध है।

(ii) यूडीआईडी परियोजना दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करती है। भारत में किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है। यूडीआईडी परियोजना यह सुनिश्चित करती है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र सभी दिव्यांगजनों को जारी किए जाएंगे। यह बाद में कार्यान्वयन के पदानुक्रम के सभी स्तरों - ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लाभ वितरण की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नज़र रखने में मदद करेगा। यह दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम्यता को प्रोत्साहित करेगा

(iii) इस परियोजना के अतिरिक्त लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

क) सुशासन: - दिव्यांगजन डेटा का गैर-दोहराव और लाभ / योजनाओं की पारस्परिकता।

ख) नागरिक हितैषी: - कई दस्तावेजों की आवश्यकता के साथ वितरण क्योंकि कार्ड सभी आवश्यक विवरणों और देश भर में डेटा की ऑनलाइन उपलब्धता को दर्शाता है।

ग) ऑनलाइन प्रोसेसिंग

घ) जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर डेस्कटॉप जो जारी करने वाले प्राधिकारी स्तर पर लंबन का स्तर दर्शाएगा

ङ) व्यक्ति द्वारा स्थिति की ट्रैकिंग

च) प्रोसैसिंग के प्रत्येक चरण में एसएमएस अलर्ट (4) अर्थात् (पंजीकरण, मूल्यांकन के लिए कॉल करना, यूडीआईडी कार्ड का सृजन और प्रेषण)

छ) नकली आवेदनों का छंटाई

ज) एक राज्य द्वारा अन्य राज्य से एक दिव्यांगजन के लिए जांच पड़ताल को तेज करना

झ) दिव्यांगजनों की कल्याणकारी योजनाओं का तीव्र और प्रामाणिक तरीका सुनिश्चित करता है

ञ) शिक्षा की स्थिति का पता लगाने के लिए शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए यूडीआईडी सं. को जोड़ना।

ट) स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के साथ टैगिंग दिव्यांगजनों द्वारा प्राप्त सेवाओं के स्तर को रिकॉर्ड करती है।

ठ) गरीबी उन्मूलन योजनाओं के साथ जोड़ना उनकी सामाजिक/ आर्थिक प्रगति का पता लगाएगा।

(iv) यह डेटा बेस व्यक्तिगत विवरण, पहचान विवरण, दिव्यांगता विवरण (दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का क्षेत्र, दिव्यांगता का% आदि), शिक्षा विवरण, रोजगार विवरण (स्थिति, व्यवसाय, बीपीएल/ एपीएल, आय आदि), दिव्यांगता प्रमाण पत्र विवरण, योजना से संबंधित विवरण, मतदाता पहचान पत्र और व्यक्ति / माता-पिता / अभिभावक आदि के अन्य आईडी प्रमाण, और यूडीआईडी नवीकरण / पुनः जारी / कार्ड सरेंडर विवरण को इक्ट्ठा करता है।

(v) इस परियोजना के तहत, केंद्र सरकार राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करती है: -

• प्रचार और जागरूकता के लिए समर्थन

- > 20 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के लिए 2.5 लाख रुपये।
- >10 लाख और <20 लाख की आबादी वाले प्रत्येक जिले के लिए 2.0 लाख रुपये।
- <10 लाख की आबादी वाले प्रत्येक जिले के लिए 1.5 लाख रुपये।

• तकनीकी सहायता-आई टी संरचना

- निम्नलिखित की खरीद के लिए 1.00 लाख रुपए तक की राशि:
- कंप्यूटर डेस्कटॉप (1 सं.)
- आधार प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक एक उंगली स्कैनर (4 सं.)
- स्कैनर के साथ साधारण प्रिंटर (1 सं.)
- वेब कैमरा ओ (1 सं.)

• जनशक्ति समर्थन

- यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य समन्वयक की नियुक्ति के लिए प्रति माह 50,000 रुपये की राशि

• पुराने मैनुअल प्रमाण पत्र का डिजिटलीकरण

- यूडीआईडी पोर्टल पर डिजीटल मैनुअल प्रमाण पत्र के लिए प्रति प्रमाण पत्र 3.61 रुपये की राशि प्रदान करता है।

(vi) सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। 24.01.2020 तक सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 721 जिलों में से 667 में 28 लाख ई-यूडीआईडी कार्ड बनाए गए हैं। 2019 -20 में, लगभग 14 लाख यूडीआईडी कार्ड तैयार किए गए। 2019-20 में, 180 नए जिलों और 8 नए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् **आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, उत्तराखंड, पुदुचेरी, नागालैंड, मणिपुर और लक्षद्वीप** ने यूडीआईडी कार्ड तैयार करने शुरू किए।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तुलनात्मक राज्यवार स्थिति अनुबंध- 16 में है

8.3.8 निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ

(i) निजी क्षेत्र को दिव्यांगजनों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन की एक योजना दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष **2008-09** में शुरू की गई थी और **1** अप्रैल, **2016** को इसे संशोधित किया गया था।

(ii) इस योजना के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 10 वर्षों के लिए इपीएफ और ईएसआई में नियोक्ताओं के योगदान का भुगतान करेगा।

(iii) इसके अलावा, दिव्यांगजनों कर्मचारियों के लिए कोई वेतन सीमा नहीं होगी।

(iv) साथ ही, दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के लिए देय और स्वीकार्य अनुदान राशि का एक तिहाई वहन करेगा।

(v) ईपीएफ / ईएसआई अंशदान (मौजूदा दरों पर) पर लागू होने वाले प्रशासनिक शुल्क वर्तमान में नियोक्ताओं द्वारा जमा किए जाएंगे जो दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे।

(vi) इस योजना में एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया है कि यदि कोई निजी नियोक्ता किसी विशेष व्यापार में प्रशिक्षुओं के रूप में दिव्यांगजनों को संलग्न करता है और उन्हें शिक्षुता अवधि के पूरा होने पर रोजगार प्रदान करता है, तो शिक्षु अवधि के दौरान दिव्यांगजनों को देय वजीफा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

8.3.9 केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख अधिकारियों का सेवा-प्रशिक्षण और संवेदीकरण

उद्देश्य:

(i) इस योजना का उद्देश्य राज्य/ जिला/ ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता संबंधी मामलों के आधार पर नियमित रूप से केंद्र/ राज्य सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना/ संवेदनशील बनाना है।

(ii) इन कार्यशालाओं का उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और सहकर्मी समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाना है और यह भी कि वे किस प्रकार कार्यस्थल पर सभी समावेशी वातावरण आदि तैयार करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं।

(iii) यह प्रशिक्षण पंचायत स्तर / ब्लॉक स्तर और दिव्यांगता क्षेत्र से निपटने वाले जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत भारत का पुनर्वास परिषद इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल एजेंसी है।

योजना के तहत अब तक 10716 प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

वित्तीय / वास्तविक प्रगति:

वर्ष	वित्तीय/ वास्तविक (Indicate Unit)			
	संशो अनु (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)	वित्तीय/ वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	2.00	2.00	पूर्ण बजटीय आवंटन का	3736 प्रमुख

			उपयोग कर लिया गया है	पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है
2016-17	2.00	1.26	पूर्ण बजटीय आवंटन का उपयोग नही किया गया है	2500 प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है
2017-18	2.00	1.46	पूर्ण बजटीय आवंटन का उपयोग नही किया गया है	2464 प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है
2018-19	2.00	1.67	पूर्ण बजटीय आवंटन का उपयोग नही किया गया है	2016 के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है
2019-20	2.00	शून्य		लगभग 3000 प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है

8.3.10 दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र

विभाग ने राष्ट्रीय संस्थानों के विस्तारक के रूप में 20 समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) स्थापित करने को मंजूरी दी है।

समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) का उद्‌देश्य:

समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) का मूल उद्‌देश्य दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियों की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, पुनर्वास पेशेवरों, श्रमिकों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम शुरू करना तथा माता-पिता और समुदाय के बीच दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

20 समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) का विवरण सिपडा के तहत प्रस्तुत किया गया है (8.3.10)

क्र.सं.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)	राष्ट्रीय संस्थान जिसके अन्तर्गत सीआरसी कामकाज- कर रहे हैं	स्थापना का वर्ष
1.	सीआरसी, श्रीनगर (जे और के)	पीडीयूएनआईपीपीडी	2000
2.	सीआरसी, भोपाल (एमपी)	एवाईजेएनआईपीपीडी	2000
3.	सीआरसी, लखनऊ (यूपी)	पीडीयूएनआईपीपीडी	2000
4.	सीआरसी, गुवाहाटी (असम)	एसवीएनआईआरटीएआर	2001
5.	सीआरसी, सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश)	एनआईईपीवीडी	2001
6.	सीआरसी, पटना (बिहार)	एनआईएलडी	2009
7.	सीआरसी, अहमदाबाद (गुजरात)	एवाईजेएनएसआईएचडी	2011
8.	सीआरसी, कोझीकोड (केरल)	एनआईईपीएमडी	2012
9.	सीआरसी, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)	एसवीएनआईआरटीएआर	2015
10.	सीआरसी, नैल्लोर (एपी)	एनआईईपीआईडी	2015
11.	सीआरसी, दावेंगेरे (कर्नाटक)	एनआईईपीआईडी	2016
12.	सीआरसी, नागपुर (महाराष्ट्र)	एनआईईपीएमडी	2016
13.	सीआरसी, त्रिपुरा (त्रिपुरा)	एनआईएलडी	2017
14.	सीआरसी, नाहरलाघुन (अरुणाचल प्रदेश)	एनआईएलडी	2017
15.	सीआरसी, रांची (झारखंड)	एसवीएनआईआरटीएआर	2017
16.	सीआरसी, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	एनआईईपीएमडी	2018
17.	सीआरसी, बलांगीर (ओडिशा)	एसवीएनआईआरटीएआर	2018
18.	सीआरसी, सिक्किम (सिक्किम)	एनआईईपीएमडी	2018
19.	सीआरसी, अंडमान और निकोबार (अण्डमान और निकोबार)	एनआईईपीएमडी	2019
20.	सीआरसी, शिलांग	एनआईईपीएमडी	2019

8.4. छात्रवृत्ति योजनाएं

8.4.1 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां

8.4.1.1 सिंहावलोकन

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के खंड 31 (1) एवं (2) यह अधिदेशित करता है कि 6 से 18 वर्ष तक के बैंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक विद्यार्थी को इच्छित निकटतम विद्यालय अथवा किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उपयुक्त वातावरण में उनकी निःशुल्क शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

इस अधिदेश को पूरा करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक समग्र योजना 'दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना' लागू कर रहा है जिसके छह घटक हैं नामतः प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क कोचिंग।

(ii) समग्र छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी आजीविका उपार्जन के लिए आगे की पढ़ाई करने हेतु और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि वे अध्ययन कार्य और गरिमापूर्ण जीवन जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करते हैं।

(iii) 2017–18 तक, इन छह छात्रवृत्ति योजनाओं को अलग–अलग बजट वाली स्टैंड–अलोन योजनाओं के रूप में लागू किया गया था। इन योजनाओं को अलग–अलग वर्षों में शुरू किया गया था। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप 1 अप्रैल, 2012 को शुरू किया गया था। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2014 को शुरू की गई थी। उच्च श्रेणी शिक्षा 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग 1 अप्रैल, 2017 को को आरम्भ किया गया था।

(iv) 1 अप्रैल, 2018 से, सभी छह छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग को एक स्कीम 'दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना' नामक एक समग्र योजना में विलय कर दिया गया है। 2018–19 से प्रभावी योजनाओं का विलय/एकीकरण बजट आवंटन की मांग–आपूर्ति असंतुलन को दूर करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए किया गया है। समग्र योजना में, यदि एक खंड में अधिशेष निधि उपलब्ध है, तो उस अधिशेष का उपयोग दूसरे में किया जा सकता है।

(v) प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा में हर वर्ष उपलब्ध कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50% और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्लॉट का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तथापि, यदि योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं या योग्य नहीं हैं, तो उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन करके अनुपयुक्त स्लॉट का उपयोग किया जा रहा है।

8.4.1.2 समग्र छात्रवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

(i) <u>प्री–मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)</u>

(क) माता–पिता/ अभिभवक की आय की अधिकतम सीमाः अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष है।

(ख) रखरखाव भत्ताः रु. 800/– प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए रु. 500/– प्रति माह। रखरखाव भत्ता एक वर्ष में 12 महीने के लिए भुगतान किया जाता है।

(ग) दिव्यांगता भत्ताः दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के भत्तों को एक में विलय कर दिया गया है और दिव्यांगता भत्ते की सीमा रु. 2000/- से रु. 4000/- प्रति वर्ष है।

(घ) पुस्तक भत्ताः उपरोक्त के अलावा, 1000/- प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

(ङ) स्लॉट्स की संख्या: 20,000 + रिन्युअल छात्र

(ii) पोस्ट–मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के लिए)

(क) अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा: अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख प्रति वर्ष है।

(ख) रखरखाव भत्ता: विभिन्न समूहों/समूहों की श्रेणियों के लिए रखरखाव भत्ता नीचे दिया गया है:

○ **समूह I :** (चिकित्सा/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, प्लानिंग/वास्तुकला, फैशन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, बिजनेस वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान में सभी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम)

रखरखाव भत्ते की दर रु. 1100/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 700/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

○ **समूह II :** फार्मेसी (बी फॉर्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा–मेडकिल ब्रांच, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रैवल/पर्यटन/ मेजबान प्रबंधन, आंतरिक साज–सज्जा, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जैसे क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम

रखरखाव भत्ते की दर रु. 1100/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 700/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

○ **समूह III :** स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम जो समूह I तथा II अर्थात बीए/बीएससी/बी.कॉम आदि के अंतर्गत नहीं आते

रखरखाव भत्ते की दर रु. 950/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 650/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

○ **समूह IV :** समस्त पोस्ट–मैट्रिक स्तर गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश अर्हता हाईस्कूल (कक्षा X) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम दोनों, आईटीआई पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि।

रखरखाव भत्ते की दर रु. 900/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 550/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

(ग) दिव्यांगता भत्ता: दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के भत्तों को एक में विलय कर दिया गया है और दिव्यांगता भत्ते की सीमा रु. 2000/– से रु. 4000/– प्रति वर्ष है।

(घ) पुस्तक भत्ता: उपरोक्त के अलावा, 1500/– प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

(ङ) अनिवार्य गैर–वापसी योग्य शुल्क: नामांकन/पंजीकरण, ट्यूशन, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, मेडिकल जाँच और इस तरह के अन्य शुल्क, जो स्कॉलर द्वारा

अनिवार्य रूप से देय हैं, प्रति वर्ष अधिकतम शुल्क रू. 50 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन है।

(च) स्लॉट्स की संख्या : 17,000 + रिन्युअल छात्र

(iii) उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा के लिए)

(क) अभिभावक की आयः अधिकतम सीमा रू. 6 लाख प्रति वर्ष है।

(ख) रखरखाव भत्ताः 3000/– प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए रु. 1500/– प्रति माह की दर से दिया जाता है।

(ग) दिव्यांगता भत्ताः रू. 2000/– प्रति माह।

(घ) पुस्तक अनुदानः रू. 5000/– प्रति वर्ष।
(ङ) ट्यूशन शुल्क और अनिवार्य गैर–वापसी योग्य शुल्क : रू. 2.00 लाख की अधिकतम सीमा तक स्कॉलर द्वारा संस्थान को देय है।
(च) कंप्यूटर, एक्सेसरीज़ यंत्र/सहायक उपकरण और सहायक उपकरणः पूरे पाठ्यक्रम के लिए एक्सेसरीज़ यंत्र/सहायक उपकरण रु. 30,000/– और सहायक उपकरण के साथ कंप्यूटर की खरीद के लिए रु. 30,000/–एकमुश्त अनुदान।
कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर : पूरे पाठ्यक्रम हेतु एकमुश्त अनुदान कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए 60,000/–रुपए की दर से।
(छ) **स्लॉट्स की संख्याः 300 + रिन्युअल छात्र**

(iv) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर उपाधि/पीएचडी के लिए)

(क) आय सीमाः सभी स्रोतों से अधिकतम आय की सीमा रू. 6 लाख प्रति वर्ष है।

(ख) ट्यूशन शुल्कः भुगतान की गई वास्तविक ट्यूशन शुल्क।
(ग) रखरखाव भत्ताः संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों हेतु – 15400/– अमरीकी डालर तथा यू.के. हेतु जीबीपी 9900/–
(घ) वार्षिक आकस्मिक भत्ताः संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों हेतु – 1500/– अमरीकी डालर तथा यू.के. हेतु जीबीपी 1100/–
(ङ) प्रासंगिक यात्रा भत्ता : 20/–अमरीकी डालर या भारतीय रूपये में इसके समान।
(च) उपकरण भत्ता : रू. 1500/–
(छ) वीज़ा शुल्क : वास्तविक वीज़ा शुल्क भारतीय रूपये में।
(ज) चिकित्सा बीमा प्रीमियम : वास्तविक प्रभारित देय।
(झ) वायु मार्ग की लागत : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कैरियर में इकोनोमी क्लास में लघुतम मार्ग के लिए हवाई टिकट की व्यवस्था की जाती है।
(ञ) **स्लॉट्स की संख्याः 20 + रिन्युअल छात्र**

V. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर उपाधि/पीएचडी के लिए)।

(क) माता–पिता / अभिभावक की आयः अभिभावक की कोई आय सीमा नहीं है।

(ख) फेलोशिप की दर : जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के बराबर होंगी। वर्तमान में ये दरें इस प्रकार हैं:

1	फेलोशिप	रू. 31,000/- प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), रु. 35,000/- प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए (सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ)
2	मानविकी और सामाजिक विज्ञान (कला / ललित कला सहित) के लिए आकस्मिकता	रू. 10,000/- प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 20,500/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए
3	विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिकता	रू. 12,000/- प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 25,000/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए
4	विभागीय सहायता (सभी विषय)	रू. 3,000/- प्रति वर्ष प्रति छात्र मेजबान संस्थान को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए
5	एस्कॉर्ट / रीडर सहायता (सभी विषय)	रू. 2,000/- प्रतिमाह शारीरिक और दृष्टि दिव्यांग उम्मीदवारों के मामलों में

(ग) मकान किराया भत्ता (एचआरए) का भुगतान यूजीसी पैटर्न पर किया जाता है और उन छात्रों को देय होता है, जिन्हें हॉस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाता है। यदि विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रस्तावित हॉस्टल आवास नहीं लिया जाता है, तो छात्र का एचआरए का दावा समाप्त हो जाएगा। उनके फेलोशिप कार्यक्रम के मामले में अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश सहित सभी अवकाश यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित होंगे।

(घ) **स्लॉट्स की संख्याः 200 स्लॉट्स प्रतिवर्ष।** विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्लॉट्स का वितरण मुख्य रूप से संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में किया जाता है। किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित फेलोशिप की संख्या पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पूरा उपयोग नहीं होने पर, खाली स्लॉट्स राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं, जहां पात्र उम्मीदवारों की संख्या आवंटित स्लॉट से अधिक है।

VI. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग (सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए)

(क) अभिभावक की आय : 6 लाख से अधिक न हो।

(ख) कोचिंग शुल्क : कोचिंग शुल्क का भुगतान पैनलबद्ध कोचिंग संस्थानों को किया जाता है।

(ग) स्टाईपेंड : कोचिंग कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए स्थानीय छात्रों को 2500 / — रूपये प्रति छात्र की दर से तथा बाहरी छात्रों को 5000 / — रूपये प्रति छात्र की दर से मासिक स्टाईपेंड प्रदान की जायेगी।

(घ) विषेष भत्ता : रीडर भत्ते, एस्कॉर्ट भत्ते, सहायक भत्ते आदि हेतु 2000 / — रूपये प्रतिमाह की दर से प्रति छात्र विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है।

(ङ) स्लॉट्स की संख्या: **2000** प्रति वर्ष

8.4.1.3 दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की शर्तें

(i) केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।

(ii) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग विद्यार्थी (राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित) छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित दिव्यांगता हो।

8.4.1.4 कार्यान्वयन की विधि:

छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन की विधि निम्नलिखित है:

- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पहली तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ, अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और छात्रवृत्ति राशि को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को प्रेषित किया जाता है।
- दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप यूजीसी वेब पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। उम्मीदवारों का चयन यूजीसी द्वारा किया जाता है और चयनित उम्मीदवारों की सूची इस विभाग को भेजी जाती है। यूजीसी द्वारा पहचान किए गए लाभार्थी के बैंक खाते में फैलोशिप राशि के वितरण के लिए विभाग जिम्मेदार है। फेलोशिप राशि केनरा बैंक के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में प्रेषित की जाती है।
- राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ऑफलाइन कार्यान्वित की जा रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति आवेदनों को ऑफलाइन आमंत्रित किया जाता है। इन आवेदनों को एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट (जांच) किया जाता है। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों को राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति पुरस्कार के लिए चयन समिति के समक्ष रखा जाता है। विद्यार्थी को विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिले मिलने के बाद ट्यूशन शुल्क समेत छात्रवृत्ति राशि उम्मीदवार के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की योजना वर्तमान में ऑफलाइन कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और पीएसयू या स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों (केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों के तहत) मानित विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों सहित और पंजीकृत निजी संस्थान एनजीओ द्वारा संचालित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों/केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। संस्थानों को चयन समिति द्वारा प्रदर्शन के उसके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन को सूचीबद्ध संस्थान में ऑफलाइन मोड़ में जमा करना होगा। सीधे इस विभाग द्वारा संस्थानों को कोचिंग शुल्क का भुगतान किया जाता है। उम्मीदवारों को स्वीकार्य स्टाईपेंड और विशेष भत्ता सीधे पीएफएमएस पोर्टल से उम्मीदवार के बैंक खातों में भेज दिया जाता है।

8.4.1.5 प्रचार और जागरूकता

आम जनता के बीच छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए जागरूकता पैदा करने और प्रचारित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय अखबारों (दैनिक समाचार पत्रों) में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन जारी किए जाते हैं। आकाशवाणी और एफएम चैनलों में प्रसारित कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्रसारित किया जाता है।

8.4.1.6 मॉनीटरिंग तंत्र:

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर कार्यान्वित योजना (प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा) का मॉनीटिरिंग तंत्र निम्नलिखित है:–

(i) उम्मीदवार एनएसपी वेब–पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसे राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र द्वारा डिज़ाईन और अनुरक्षित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख कैबिनेट सचिवालय, डीबीटी मिशन द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तय की जाती है।

(ii) संबंधित संस्थानों को राज्य नोडल अधिकारी को आवेदन सत्यापित करने और अग्रेषित करना होता है।

(iii) राज्य नोडल अधिकारी को संबंधित संस्थान की विधिवत सहित आवश्यक जांच करनी अपेक्षित है और राज्य सरकारों की सिफारिश के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवेदन अग्रेषित करना होगा।

(iv) अंतिम चयन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य सरकार की सिफारिशों के अन्य बातों के साथ, उस विशेष राज्य के लिए उपलब्ध स्लॉट के आधार पर किया जाता है,

(v) यदि उम्मीदवार किसी राज्य का स्थायी निवासी है लेकिन किसी अन्य राज्य में पढ़ रहा है, तो उसके आवेदन को उसके गृह राज्य के स्लॉट के तहत माना जाएगा और उसके आवेदन को उस राज्य की सिफारिश की आवश्यकता है जिसका वह स्थायी निवासी है।

(vi) राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है। जूनियर रिसर्च फैलोशिप चरण में उम्मीदवार द्वारा शोध कार्य में प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन के बाद एसआरएफ प्रदान किया जाता है।

(vii) राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति योजना के तहत वार्षिक अनुरक्षण, ट्यूशन शुल्क और अन्य भत्तों को जारी करने से पहले भारतीय दूतावास/उच्चायोग के माध्यम से संबंधित कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय से छात्र की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है ।

(viii) निशुल्क कोचिंग योजना के तहत पैनल के तीसरे वर्ष के अंत में कोचिंग संस्थानों के प्रदर्शन की समीक्षा का प्रावधान है। डीईपीडब्ल्यूडी किसी भी पैनल में शामिल संस्थान के समय-समय पर औचक निरीक्षण/जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.4.1.7 छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों की संख्या उपयोग की गई राशि **अनुबंध-15ए (पृष्ठ संख्या** 199) में है।

8.4.1.8 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत दस लाख रुपये से निजी और स्वयंसेवी संगठनों को आवर्ती/गैर-आवर्ती/एकमुश्त सहायता का विवरण सहायता-अनुदान **अनुबंध 15 बी (पृष्ठ संख्या.** 201) पर है ।

8.5 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, **2016** की धारा **86** के संदर्भ में राष्ट्रीय कोष का गठन किया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, **2017**, केंद्र सरकार ने

सचिव, दिव्यांगजन सशिक्तकरण विभाग की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया है, जो उक्त निधि के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा । 31.12.2019 को राष्ट्रीय कोष के तहत निधि की स्थिति निम्नानुसार है: -

1. फिक्स्ड डिपॉजिट - 251 करोड़ रुपये

2. बचत खाता (शुद्ध राशि) - 15 करोड़ रु

3. 2019-20 के दौरान 31.12.2019 तक व्यय - 25 लाख रु

अब तक, निधि की शासी निकाय की बैठक तीन बार हुई। शासी निकाय ने निधि के संग्रह के रूप में 250 करोड़ रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया। केवल कोष के संग्रह पर उत्पन्न आय का उपयोग निधि के तहत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए किया जाएगा।

शासी निकाय के निर्णय के अनुसार, 09.01.2018 को आयोजित अपनी पहली बैठक में, निधि के तहत नई योजनाओं का सुझाव देने के लिए और साथ ही निवेश के तरीके का सुझाव देने के लिए संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग -सह -सीईओ राष्ट्रीय कोष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । राष्ट्रीय कोष के तहत, दिव्यांगजनों/ संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित घटकों के साथ एक योजना विकसित की गई है: -

• दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियों/ कार्यशालाओं के आयोजन के लिए,

• दिव्यांगजनों का समर्थन करने के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर खेल या ललित कला/ संगीत / नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दिव्यांगजनों को उसी स्पर्धा के लिए निधि में से केवल एक बार सहायता दी जा सकती है।

• मामला दर मामला आधार पर राज्यों द्वारा विशिष्ट अनुशंसा पर मूल्यांकन बोर्डों द्वारा अनुशंसित उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की कुछ विशेष आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए।

12.09.2019 को हुई बैठक में शासी निकाय ने निम्नलिखित दो समितियों का गठन करने का निर्णय लिया: -

(क) योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए नए क्षेत्रों का सुझाव देने के लिए संयुक्त सचिव (नीति) की अध्यक्षता में एक समिति।

(ख) राष्ट्रीय कोष के खातों के प्रबंधन के लिए लेखांकन प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए, मुख्य नियंत्रक लेखा नियंत्रक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति।

दोनों समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

8.6 ब्रेल प्रेसों की स्थापना / आधुनिकीकरण/ क्षमता संवर्धन के लिए समर्थन की योजना

8.6.1 योजना का उद्देश्य

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 2014-15 में इस योजना की शुरुआत की। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले दृष्टि दोष वाले बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तक के मुफ्त वितरण के लिए इसके उत्पादन को सुविधा प्रदान करना है।

8.6.2 योजना का उद्देश्य

(क) 18 नए ब्रेल प्रेस स्थापित करने के लिए

(ख) 12 पुराने ब्रेल प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए और

(ग) 3 ब्रेल मुद्रण क्षमता बढ़ाने के लिए और

(घ) केंद्र शासित प्रदेशों में 3 छोटे पैमाने के ब्रेल प्रेस स्थापित करना

8.6.3 नोडल एजेंसी

यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विज़ुअल डिसएबिलिटीज (**NIEPVD**), देहरादून द्वारा संचालित है। ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) नोडल एजेंसी के लिए सलाहकार निकाय है। इस नोडल एजेंसी को स्थापना/ आधुनिकीकरण/ क्षमता वृद्धि, स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, तकनीकी मूल्यांकन, सुधारों की सिफारिश करने, एप्लीकेशन के सत्यापन की प्रक्रिया में संरक्षक की भूमिका और इसी को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए विचार करने, सिफारिश करने और अनुमोदन प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

8.6.4 कार्यान्वयन एजेंसियां

इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां पांच साल से अधिक समय से ब्रेल प्रेस चला रही राज्य सरकारें, संघ शासित प्रशासन और स्वैच्छिक संगठन अथवा राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन द्वारा ब्रेल प्रेस चलाने के लिए निर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिष्ठान हैं।

8.6.5 सहायता अनुदान संवितरण

इस योजना के माध्यम से, नोडल एजेंसी को कार्यान्वयन एजेंसियां को आगे और संवितरण करने के लिए सहायता अनुदान के दो घटक दिए जा रहे हैं:

(क) नए ब्रेल प्रेस की स्थापना, ब्रेल के आधुनिकीकरण के लिए गैर-आवर्ती सहायता अनुदान

(ख) ब्रेल प्रेस की प्रेस और क्षमता संवर्द्धन।

(ग) ब्रेल में पाठ्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में आवर्ती सहायता अनुदान।

8.6.6 **स्क्रीनिंग कमेटी**

(i) योजना के तहत एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। पाठ पुस्तकों की छपाई पर होने वाले आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति की सिफारिशों को सत्यापित करने के अलावा स्क्रीनिंग कमेटी नई ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए नोडल एजेंसी की सिफारिशों को सत्यापित करके और संघ शासित प्रदेशों में छोटे पैमाने पर ब्रेल प्रिंटिंग इकाइयां स्थापित करने, पुरानी ब्रेल प्रेस के आधुनिकीकरण और ब्रेल प्रिंटिंग के संवर्द्धन के लिए योजना की निगरानी और मूल्यांकन करती है।

(ii) स्क्रीनिंग कमेटी में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (संयुक्त सचिव / डीडीजी) के एक अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नोडल एजेंसी के निदेशक, ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि, निदेशक - आईएफडी (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) और सदस्य सचिव / संयोजक के रूप में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से एक उप सचिव / निदेशक होते हैं।

8.6.7 वर्तमान स्थिति

इस योजना को 2016-17 से आगे जारी रखने के लिए सरकार द्वारा मूल्यांकित और अनुमोदित किया गया है। अब, यह योजना 2017-18 से 2019-20 के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू की जाएगी: -

(क) छह नए ब्रेल प्रेस स्थापित करने के लिए

(ख) एक मौजूदा ब्रेल प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए

(ग) संघ प्रशासित प्रदेश में तीन छोटे पैमाने पर ब्रेल प्रिंटिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए ।

उपरोक्त लक्ष्यों में से, 31.12.2019 तक निम्नलिखित प्राप्त किए गए:

(i) नए ब्रेल प्रेस की स्थापना -13/18

(ii) मौजूदा ब्रेल प्रेस का आधुनिकीकरण -12/12

(iii) ब्रेल प्रेस का क्षमता संवर्द्धन - 3/3

(iv) संघ प्रशासित प्रदेशों में छोटे पैमाने पर ब्रेल प्रिंटिंग इकाइयों की स्थापना -0/3

31.12.2019 तक ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए विभाग द्वारा सहायता अनुदान के लिए आवंटन/ उपयोग निम्नानुसार है: -

वर्ष	बजट आबंटन		जारी सहायता अनुदान
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2019-20	8.00 करोड़ रूपए	3.60 करोड़ रूपए	---

8.7 भारतीय स्पाइनल इंजरी केन्द्र (आईएसआईसी)

(i) स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले गरीब मरीजों के इलाज के लिए भारतीय स्पाइनल इंजरी केन्द्र (आईएसआईसी), नई दिल्ली को सहायता योजना।

(ii) भारतीय स्पाइनल इंजरी केन्द्र (आईएसआईसी), नई दिल्ली एक गैर-सरकारी संगठन है, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और संबंधित बीमारियों के रोगियों को व्यापक पुनर्वास प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है।

(iii) इनमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, स्टेबिलाईजेशन ऑपरेशन, शारीरिक पुनर्वास, मनो-सामाजिक पुनर्वास और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं के रूप में उपाय शामिल है।

(iv) भारत सरकार गरीब रोगियों के इलाज के लिए प्रति दिन 25 मुफ्त बेड उपलब्ध कराने के लिए आईएसआईसी को सहयोग करती है और आईएसआईसी भी गरीब रोगियों के इलाज के लिए प्रतिदिन 5 मुफ्त बेड प्रदान करती है।

(v) प्रतिपूर्ति की दर वास्तविक अधिभोग आधार पर प्रति दिन रु. 7000/- है।

(vi) विभाग भारतीय स्पाइनल इंजरी केन्द्र, वसंत कुंज, नई दिल्ली को ऑपरेशन लागत के रूप में और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्पाइनल इंजरी के रोगियों के इलाज के लिए 25 बिस्तरों के रखरखाव के लिए अधिकतम 4 करोड़ रु की सहायता प्रदान करता है।

8.8 राज्य स्पाइनल इंजरी केन्द्र

(i) विभाग द्वारा 31-03-2015 से राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर स्थापित करने की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना लागू की जा रही है।

(ii) यह योजना 12वें पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में शामिल है, जिसमें 20.00 करोड़ रुपये के परिव्यय इस योजना के लिए निर्धारित हैं।

(iii) राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर मुख्य रूप से स्पाइनल इंजरी के व्यापक प्रबंधन के लिए है, इस योजना के तहत, स्पाइनल इंजरी के इलाज के लिए समर्पित 12 बिस्तरों के साथ एक व्यापक प्रबंधन और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाती है और राज्य राजधानी/केंद्र शासित प्रदेश के जिला अस्पताल से जोड़ दिया जाता है। अभी तक इस

योजना के तहत निम्नलिखित केंद्रों को 13.64 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई है:

क्र.सं.	वर्ष	केंद्र का नाम	राशि (करोड़ में)
1.	2015-16	एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर	2.89
2.	2016-17	राजकीय मेडिकल कॉलेज, जम्मू	2.00
3.	2016-17	राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	1.17
4.	2017-18	सिविल अस्पताल, शिलांग	2.33
5.	2017-18	इंदिरा गांधी राजकीय सामान्य अस्पताल एवं स्नातकोत्तर संस्थान पुडुचेरी	2.43
6.	201718	गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल, भोपाल	2.82
		कुल	**13.64**

8.9 देश के पांच क्षेत्रों में बधिरों के लिए कॉलेज

इस योजना को मूल रूप से 29.01.2015 को मंजूरी दी गई थी और संशोधित योजना को 1 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया गया था।

यह योजना मौजूदा महाविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विस्तार, सहायक यंत्र/ उपकरण, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर, फर्नीचर और फिक्सचर इत्यादि की खरीद के लिए देश के पाँच क्षेत्रों में से प्रत्येक में, यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से संबद्ध, एक कॉलेज को वित्तीय सहायता और कॉलेज के संकाय, कर्मचारियों और साइन लैंग्वेज दुभाषियों के लिए वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए कॉलेज द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता की परिकल्पना करती है।

8.9.1 उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर में एक सहित निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है:

(i) भारत के उत्तरी क्षेत्र में बधिरों के लिए ग्रामीण विकास और प्रबंधन कॉलेज (आरडीएमसी);

(ii) पश्चिम क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;

(iii)दक्षिण क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;

(iv)मध्य क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;

(v) पूर्वी क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज;

यदि योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त कॉलेज नहीं पाए जाते हैं, तो विभाग के पास योजना के तहत सहायता अनुदान जारी करने के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले एक क्षेत्र में दो बधिर कॉलेजों की पहचान करने का लचीलापन होगा।

8.9.2 अभी तक, इस योजना के तहत निम्नलिखित कॉलेजों को सहायता अनुदान जारी किया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	कॉलेज का नाम	राशि (करोड़ में)
1.	2017-18	डॉ शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उप्र) (राज्य सरकार संस्था	0.69
2.	2018-19	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग (एनआईएसएच), तिरुवनंतपुरम (केरल)	1.50

अध्याय-9

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

9.1 सिंहावलोकन

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं/राज्यों/जिलों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और समाज में उनकी मुख्यधारा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। यह पुरस्कार निम्नलिखित 14 श्रेणियों के तहत हर वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' के अवसर पर अर्थात 3 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं:-

I. श्रेष्ठ कर्मचारी/स्वरोजगाररत दिव्यांग;

II. (क) श्रेष्ठ कर्मचारी एवं (ख) श्रेष्ठ नियोजन अधिकारी एवं एजेंसी;

III. (क) श्रेष्ठ व्यक्ति तथा (ख) दिव्यांगजनों हेतु कार्य करने वाला श्रेष्ठ संस्थान;

IV. आदर्श व्यक्तित्व

V. दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ श्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकास

VI. दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण सृजित करने में किया गया उत्कृष्ट कार्य

VII. पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वोत्तम जिला

VIII. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की श्रेष्ठ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी

IX. श्रेष्ठ सृजनशील वयस्क दिव्यांगजन

X. श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बच्चा

XI. श्रेष्ठ ब्रेल प्रेस

XII. सर्वोत्तम "सुगम्य" वैबसाइट

XIII. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का संवर्धन तथा सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु सर्वोत्तम राज्य; तथा

XIV. सर्वोत्तम दिव्यांग खिलाडी

9.2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के दिनांक 19 अप्रैल, 2017 से प्रभाव में आने से नवीन अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गयी। तदनुसार सभी 21 दिव्यांगताओं को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार दिशा-निदेश, 2018 में शामिल कर लिया गया, जिसे भारत के असाधारण राजपत्र में 2 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया गया।

9.3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2019 के लिए, सभी 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने वाले एक विज्ञापन को 5 जुलाई, 2019 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें 30 अगस्त, 2019 को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2019 कर दिया गया। इसके अलावा, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासकों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से भी विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन भेजने के साथ-साथ दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों को व्यापक प्रचार देने का भी अनुरोध किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कारों की विस्तृत योजना के साथ-साथ आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी विज्ञापन को डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में विभाग की वेबसाइट (www.disabilityaffairs.gov.in) पर प्रदर्शित किया गया।

9.4 सभी में 793 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों को इसके लिए गठित चार स्क्रीनिंग कमेटियों द्वारा मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चयन समिति ने दिनांक 6.11.2019 को आयोजित बैठक में स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिश पर विचार किया और 14 श्रेणियों में सभी 65 पुरस्कारों को अनुमोदित किया गया। अनुमोदित व्यक्तियों और संस्थानों को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 3 दिसंबर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

9.5 वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची **अनुबंध 15 (पृष्ठ.201) पर है**

अध्याय-10

विभाग की नई पहल और विशेष उपलब्धियां

10.1 दिव्यांगता खेल केंद्र

10.1.2 मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.02.2019 की बैठक **में ग्वालियर में एक दिव्यांगता खेल केंद्र (मप्र)** की स्थापना को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 5 वर्षों में 170.99 करोड़ रुपये थी:-

(क) गैर-आवर्ती लागत (निर्माण, फर्नीचर, खेल उपकरण-151.16 करोड़

(ख) आवर्ती लागत (वेतन और संचालन और रखरखाव) - 19.83 करोड़ रुपये (निर्माण के बाद 3 वर्षों के लिए)

10.1.3 केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:-

(क) आउटडोर स्पोर्ट्स- बिल्ट अप एरिया-21000 वर्गमीटर, बैठने की क्षमता- 6000; लागत - 9.25 करोड़ रुपये, एथलेटिक ट्रैक 400 मीटर (8 लेन)

(ख) इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स- बिल्ट अप एरिया-16100 वर्गमीटर, बैठने की क्षमता- 1500; लागत- 76.71 करोड़ रुपये।

(ग) एक्वेटिक सेंटर- बिल्ट अप एरिया -3300 वर्गमीटर, पंक्ति- 10, दर्शक बैठने की क्षमता-500 लागत- 9.00 करोड़ रुपये

(घ) छात्रावास- बिल्ट अप एरिया-10850 वर्गमीटर, क्षमता- 200 व्यक्ति, लागत- 35.73 करोड़ रुपये

10.1.4 केंद्र निम्नलिखित खेलों के लिए व्यवस्था करेगा :

(क) आउटडोर- तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, टेनिस

(ख) इनडोर - बैडमिंटन, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सिटिंग वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, व्हीलचेयर फेंसिंग, व्हीलचेयर रग्बी, बोसिया, गोलबॉल, फुटबॉल 5-ए साइड, पैरा डांस स्पोर्ट, पैरा पावरलिफ्टिंग ।

सीपीडब्ल्यूडी को दिनांक 06.05.2019 को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। विनिर्देशों और प्राक्कलन को अंतिम रूप देने के बाद 10 जनवरी, 2020 को सीपीडब्ल्यूडी को

प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। सीपीडब्ल्यूडी ईपीसी मोड/टर्नकी आधार पर काम देने के लिए शीघ्र ही निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस जारी करने जा रहा है। डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना/केंद्र की पूर्ण निगरानी के लिए परियोजना निगरानी समिति और शासी निकाय का गठन किया गया है।

10.1.5 संभावित परिणाम :-

एक बार शुरू होने के बाद 150 दिव्यांग खिलाड़ियों को पहले वर्ष में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसे बाद के वर्षों में और बढ़ाया जाएगा।

संचालन के पहले वर्ष के दौरान एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन और बाद के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा।

10.2 **प्रेपरेटरी स्कूल:** विभाग अपने अकादमिक कार्यक्रमों को सुगम बनाने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए प्रेपरेटरी स्कूलों की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है । यह विभाग द्वारा किए जा रहे पूर्व उपाय और पुनर्वास कार्यक्रम का हिस्सा होगा।

10.3 दिव्या कला शक्ति –दिव्यांगता में क्षमता का दर्शन: विभाग राष्ट्रपति भवन और संसद के बालयोगी सभागार में दृष्टिगत इसकी सफलता को देखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है।

अनुबंध–1

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित कार्य

भारत सरकार नियमावली के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित विषय (कार्य आवंटन), इस प्रकार हैं:–

1. निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–I के अंतर्गत – संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में आते हैः

   दान में दी गई राहत वस्तुओं/आपूर्तियों के कर–मुक्त आयात हेतु भारत–यू.एस., भारत–यू.के., भारत–जर्मन, भारत–स्वीडन तथा भारत–स्वीट्जरलैंड की आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले।

2. निम्नलिखित विषय जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III को समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं (केवल विधायन के संबंध में):

"सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर"

3. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–II समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं–राज्य सूची अथवा सूची–III–जहां तक ऐसे क्षेत्रों के संबंध में वे विद्यमान हैं:

   "दिव्यांगजनों को रोजगार हेतु सहायता; सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर"।

4. दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के संबंध में नोडल विभाग की भांति कार्य करना:

   टिप्पणी: दिव्यांगजनों से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजन तथा समन्वय के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नोडल विभाग होगा। तथापि, इस समूह के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

5. दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लक्षित विशेष योजनाएं, जैसे सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्वरोजगार के लिए सब्सिडी आदि।

6. पुनर्वास व्यावसायिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।

7. विभाग से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और करार, जैसे संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन।

8. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।

9. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में धर्मार्थ अनुदान तथा स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

10. अधिनियम / विधान / नीतियां

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34);
(ii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु–दिव्यांगताग्रस्त जनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44);
(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)।

11. सावंधिक निकाय

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद।
(ii) दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त।
(iii) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एंव बहु–दिव्यांगताग्रस्त जनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास।

12. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / स्वायत निकाय

(i) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम – कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत।
(ii) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर।

13. राष्ट्रीय संस्थान

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली।
(ii) राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता।
(iii) राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संस्थान, देहरादून।
(iv) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान, सिकंदराबाद।
(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई।
(vi) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक।
(vii) राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगताग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान, चैन्नई।
(viii) भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।

अनुबंध–2

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या

क्र.स.	राज्य	वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	1219785
2	अरुणाचल प्रदेश	26,734
3	असम	4,80,065
4	बिहार	23,31,009
5	छत्तीसगढ़	6,24,937
6	दिल्ली	2,34,882
7	गोवा	33,012
8	गुजरात	10,92,302
9	हरियाणा	5,46,374
10	हिमाचल प्रदेश	1,55,316
11	जम्मू और कश्मीर	3,61,153
12	झारखंड	7,69,980
13	कर्नाटक	13,24,205
14	केरल	7,61,843
15	मध्य प्रदेश	15,51,931
16	महाराष्ट्र	29,63,392
17	मणिपुर	58,547
18	मिजोरम	15,160
19	मेघालय	44,317
20	नागालैंड	29,631
21	ओडिशा	12,44,402
22	पंजाब	6,54,063
23	राजस्थान	15,63,694
24	सिक्किम	18,187
25	तमिलनाडु	11,79,963
26	तेलंगाना	10,46,822
27	त्रिपुरा	64,346
28	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29	उत्तराखंड	1,85,272
30	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,660
32	चंडीगढ़	14,796
33	दमन और द्वीप	2,196
34	दादर और नगर हवेली	3,294
35	लक्षद्वीप	1,615
36	पुडुचेरी	30,189
	कुल	**2,68,14,994**

अनुबंध–3

01 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजना की संरचना का विवरण

क्र. सं.	मौजूदा योजना	मौजूदा		संशोधित संरचना	संरचना		
		स्थापित लागत (रू.)	मासिक आवर्ती निधियां (रू.)		स्थापित लागत (रू.)	मासिक आवर्ती निधियां (रू.)	आवश्यक स्टॉफ
1	दिशा (प्रारंभिक उपाय और विद्यालय तैयारी योजना)	1.55 लाख	4,500/-	दिशा–सह विकास योजना	**1.55** लाख	रू. **3500/-तक** (रू.**3000/- +** यात्रा @ रू. **500/-** प्रतिमाह प्रति लाभार्थी) अधिकतम 30 योग्य बीपीएल लाभार्थी के लिए दिषा–निर्देषो के अनुसार शेष के लिए अनुपात स्थिति समान रहेगी।	(1) शीघ्र हस्तक्षेप थेरेपिस्ट / ओटी / पीटी: कोई दो (2) विशेष प्रशिक्षक / व्यावसायिक प्रशिक्षक: कोई एक (3) सलाहकार: सप्ताह में 3 बार (4) देखभालकर्त्ता: 02 (5) आय : 02
2	विकास (10 + वर्षों के लिए दिवस देखभाल योजना)	1.95 लाख	4,850/-	(बैच साइज 40)			
3	समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय)	2.90 लाख	7,000/-	समर्थ–सह घरौंदा (आवासीय देखभाल योजना)	**1.90** लाख	रू. **5,000/-** अधिकतम 20 योग्य बीपीएल लाभार्थी के लिए	(1) ओटी : 01 (2) पीटी: 01 (3) विशेष प्रषिक्षक / व्यावसायिक प्रषिक्षक : कोई एक (4) देखभालकर्त्ता: 03 (5) आय : 02 (6) रसोईया : 01
4	घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)	2.90 लाख	10,000/-	(बैच साइज 30)			
5	'निरमया' (स्वास्थ्य बीमा योजना)					यह बिल्कुल समान है	
6	सहयोगी (देखभाल कर्त्ताओं को प्रषिक्षण योजना)	1.00 लाख	1) प्रषिक्षु लागत: - प्राथमिक - अग्रिम 2) प्रषिक्षु छात्रवृत्ति: - प्राथमिक - अग्रिम		रू. 4200 रू. 8000 रू. 5000 रू. 10000	**50,000/-**	**1)** प्रशिक्षु लागत (प्राथमिक–2000 एवं अग्रिम–रू. 3000) **2)** प्रषिक्षु छात्रवृत्ति (प्राथमिक–3000 एवं अग्रिम–रू. 5000)

7	ज्ञान प्रभा (एजुकेषलन सर्पोट)	योजना बंद है, विभाग द्वारा समान योजना कार्यान्वित की जा रही है
8	प्ररेणा (मार्केटिंग सहायता)	योजना संशोधित होनी है
9	संभव (सहायक यंत्र एवं उपकरण)	योजना संशोधित होनी है
10	बढते कदम (जागरूकता, और सामुदायिक अंतक्रिया योजना)	प्रत्येक पंजीकृत संगठन वित्तीय वर्ष में केवल 1 कार्यक्रम

सफलता की कहानी

एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई

बेबी जैनी मनानी

आवेदन संख्या : सीआई / डब्ल्यूसी / 2017–18 / 487
सर्जरी की तारीख : 30–05–2018
पता : देवजीमनानी, कमरा नंबर– 13, आर. के. प्रसाद चावल नंबर 3,
काजू टेकदीपारसीवदी, बरवे नगर, घाटकोपर पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र– 400048. फोन नं.–09892692665 / 09833243930,
जोन : वेस्ट सेंट्रल

60 वर्षीय, आयु की बेबी जैनी मनानी में द्विपक्षीय गहन संवेद–तंत्रिका बधिरता (बाईलैटरल प्रोफाउंड सेनसोरीनेयूरल डेफनस) के लक्षण पाए गए थे और एडिप सीआई योजना के तहत उसकी 4 वर्ष, 8 महीने की आयु में तंत्रिकीय (न्यूरेलेक) सर्जरी की गई थी। सर्जरी के बाद से वह एवाईजेएनआईएसडी (डी) मुम्बई में स्पीच लैंग्वेज थेरेपी और शिक्षा की पुनर्वास सेवाओं में नियमित रूप से भाग ले रही है। कॉक्लियर इम्प्लांट औन पुनर्वास ने आंगिक अभिनय और उच्चारण के उपयोग में सुधार करके उसके सरल वाक्यों में समझने और व्यक्त करने के लिए लाभान्वित किया। वह अपने परिवार के साथ सामाजिक रूप से स्वयं को शामिल करना पसंद करती है। वह अपने दोस्तों के साथ रहने का आनन्द लेती है और मुम्बई के किंडरगार्डन स्तर 2 में सकूल तत्परता कार्यक्रम में भाग ले रही है। उसको जल्द ही प्राथमिक शिक्षा के लिए मुख्य धारा के स्कूल में शामिल किया जाएगा। उसके माता–पिता को लगता है कॉक्लियर इम्प्लांट और एडवाईजेएनआईएसएचडी (डी), मुम्बई में सर्जरी के बाद दी गई गुणवत्तापरक सेवाओं की वजह ही उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रगति है।

बेबी मोमिन सारा

आवेदन संख्या : सीआई / डब्ल्यूसी / 2017–18 / 881
पता : अतीक अहमद, हाउस नंबर 340, महदा प्लॉट, मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र– 423203. दूरभाष– 09270367970 / 09975357970 |

सर्जरी की तारीख : 09–07–2018
जोन : पश्चिम मध्य

4 साल 10 महीने का बच्ची बेबी मोमिन सारा में द्विपक्षीय गहन तंत्रिका बधिरता (बाईलैटरल प्रोफाउंड सेनसोरीने यूरल डेफनस) के लक्षण देखे गए थे और एडीआईपी सीआई योजना के तहत 3 उसकी साल और 4 महीने की उम्र में 'कोक्लियर न्यूक्लियस' सर्जरी की गई थी। सर्जरी के बाद से वह नियमित रूप से स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी और मैपिंग की पुनर्वास सेवाओं में भाग ले रही हैं। वर्तमान में वह समझने और सरल

वाक्यों में खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम है और सवाल भी पूछती है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करना पसंद करती है। वह किसी अन्य श्रवण–आयु वाले सहकर्मी की तरह टेलीफोनिक वार्तालाप करने में सक्षम है। वह मेनस्ट्रीम स्कूल में जाती है और जलगाँव में किंडरगार्टन (स्तर 2) क्लास में है। उनके माता–पिता को लगता है कि एडिप योजना के तहत कॉक्लियर इम्प्लांट और सर्जरी के बाद एडिप में सूचीबद्ध केन्द्र 'निनाद स्पीच एंड हियरिंग सेंटर', जलगांव में दी गई गुणवत्तापरक सेवाओं की वजह ही उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रगति है।

एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद

सफलता की कहानी:

<u>एम. वामशी कृष्णा कम्प्यूटर वर्कस्टेशन, डीएआईएल, एनआईईपीआईडी</u>

21 वर्ष की आयु में जुलाई, 2017 के महीने में एम. वामशी कृष्णा को उनके पिता द्वारा एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद लाया गया था। उनमें हल्की बौद्धिक दिव्यांगता का पता चला था और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए वयस्क स्वतंत्र जीवन (डीएआईएल) विभाग में भेजा गया था।

उन्हें कंप्यूटर वर्कस्टेशन में रखा गया था। श्री वामशी कृष्णा ने कंप्यूटर डेटा प्रविष्टि, टाइपिंग, एमएस वर्ड, एमएस पावर प्वाईंट, कैलेंडर और एल्बम मेकिंग का प्रशिक्षण लिया था। उन्हें कृषि–आधारित गतिविधियों के लिए एक्सपोजर भी दिया गया था, लेकिन कंप्यूटर कौशल में उनकी गहरी रुचि थी।

प्रारंभिक चरण के दौरान, वह सामाजिक कौशल में पिछड़ा था। कार्य केंद्र और विभाग में निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस कमी पर जीत प्राप्त कर ली। एक वर्ष और 5 महीने के कंप्यूटर प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट, हैदराबाद में एक साक्षात्कार के लिए भेजा गया था। उन्होंने साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन किया और वे नियमित आधार पर स्टोर्स डिपार्टमेंट के तहत नौकरी के लिए चयनित हुए। उन्होंने दिसंबर, 2018 के महीने में नौकरी पर पदभार ग्रहण किया और कंपनी के मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त लाभ के साथ 1,3,000/–रु. प्रति माह के वेतन के साथ नौकरी कर रहे हैं।

वह अपने सहकर्मी समूह और सहकर्मियों के साथ सफलतापूर्वक समाजीकरण करता है। उनके परिवार और एनआईईपीआईडी के व्यावसायिक प्रशिक्षक के निरंतर प्रयास ने उनको आत्मनिर्भर बना दिया और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए कार्यस्थल पर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया।

एनआईईपीएमडी, चेन्नई

2. नाम : मास्टर XXXX

जन्म की तारीख : 27.05.2008

आयु : 11 वर्ष

स्थान : पुंछेरी, मामल्लपुरम, थिरूपेपुर तालुक।

निदान : प्रमस्तिकष्क घात – (स्पास्टिक) डिप्लेजियाविद सीज्यूर

ग्राहक सीपी इकाई में साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त करता है

विगत इतिहास :

उनमें मस्तिष्क घात के लक्षण देखे गए थे। वह 2014 से 6 वर्षों में एनआईईपीएमडी सेवाओं में भाग ले रहा है और विस्तृत मूल्यांकन किया गया था और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए थे।

1. निचले अंगों में कमजोरी
2. दूसरों के साथ बोलने और संवाद करने में कठिनाइयाँ
3. अस्थिर चाल और खराब संतुलन और प्रायः गिर जाना
4. दैनिक जीवन कौशल की गतिविधियों में निर्भरता
5. संज्ञानात्मक कौशल में पिछड़ापन
6. वैचारिक विकास में पिछड़ापन
7. साक्षरता का स्तर खराब होना
8. शैक्षणिक कौशल का विकास न किया जाना
9. व्यवहार समस्यागत का होना
10. अत्यधिक (लार से मुँह भर जाना)
11. स्तर– कार्यात्मक

उपाय :

मूल्यांकन के आधार पर उन्होंने विशेष शिक्षा कार्यक्रम और निम्नलिखित के रूप में प्रदान की गई सेवाओं में प्रवेश किया

प्रोग्रामिंग (एफएसीपी) पाठ्यक्रम के लिए कार्यात्मक मूल्यांकन चेकलिस्ट

- कैरोलिना प्रीस्कूल थेरेपी
- ओरल मोटर थेरेपी
- भाषण उपाय
- फिजियोथेरेपी
- व्यावसायिक थेरेपी
- इलाज
- प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग

सुधार

- ➢ वह बिना किसी सहारे के चलते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं।
- ➢ वह सांकेतिक इशारों के माध्यम से दूसरों के साथ संवाद करता है।
- ➢ उन्होंने एडीएल कौशल हासिल किया, बटन लगाने (ड्रेसिंग) के लिए सहायता की आवश्यकता है।
- ➢ उन्हें समावेशी शिक्षा में 5 वीं कक्षा में प्रवेश दिया गया है।
- ➢ उन्होंने सरल से जटिल स्तर तक वैचारिक कौशल में सुधार किया।
- ➢ वह घरेलू गतिविधियों में माता–पिता की मदद करता है, और गतिविधियों के दौरान कक्षा में अपने दोस्तों की मदद करता है।

3. नामरू मास्टर XXXX
जन्म तिथि : 06.08.2015
उम्र : 4 साल 3 महीने
सुपुत्र : श्री XX
निदान : प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी)

क्लाइंट को व्यावसायिक चिकित्सा विभाग में प्रशिक्षण दिया जाता है

दिव्यांगता का कारण: बच्चे का जन्म सीजेरियन सेक्शन से हुआ था, जन्म के समय रोना सामान्य था। बच्चे का जन्म के समय कम वजन था और नवजात दौरे पड़ते थे। बच्चे को 30 दिनों के लिए एनआईसीयू में रखा गया था।

विगत इतिहास: 3 साल की उम्र में बच्चा एनआईईपीएमडी में आया और विस्तृत फिजियोथेरेपी मूल्यांकन से गुजरा। उसमें बैठने में कठिनाई होने की पहचान की गई थी और वह खड़े होने और चलने में असमर्थ था। वह बिना सहारे के बैठने में और निचले भाग को घसीटकर चलने में सक्षम था। उसके बाद उसका केस विशिष्ट उपचार डिजाइन के साथ नियमित फिजियोथेरेपी उपाय शुरू किया गया।

उपाय : **बच्चा निम्नलिखित रूप में नियमित फिजियोथेरेपी प्राप्त करता है**

- **न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी (एनडीटी)**
- **संतुलन प्रशिक्षण**
- **गति प्रशिक्षण**

एनडीटी इकाई में, उपाय का ध्यान ऊपरी अंग, निचले अंग और कदम नियंत्रण प्रशिक्षण की सुविधा पर था। पूर्व सचन (एम्बूलेटरी) प्रशिक्षण के कारण बच्चा घिसटने (क्रॉल) और घुटने टेकने में सक्षम था। उन्हें न्यूनतम सहायता के साथ बैठने से खड़े होने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बच्चे को खड़े होने में संतुलन बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था और समानांतर बाधा में चलने का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद वे न्यूनतम सहायता के साथ फर्श पर बैठे हुए से खड़े होने में सक्षम थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से खड़े रहने में कुछ सेकंड का समय भी हासिल किया। वह अब रोलटर के साथ कुछ कदम चलने में सक्षम है। बच्चे ने सकल मोटर फंक्शन माप (जीएमएफएम स्केल) में सुधार दिखाया, जिसमें नियमित फिजियोथेरेपी उपचार के कारण 49 .4: से 60.8: तक सुधार हुआ है।

(iii) संस्थान के अनुरूप विषयों के बारे में विवरण :

क. दिव्यांगजन को सशक्त किया गया

श्री जी. गणेश कुमार (33 वर्ष) अपने परिवार के दूसरे सदस्य थे, जो गैर–सजातीय विवाह से पैदा हुए थे। उनमें 90 प्रतिशत बौद्धिक दिव्यांगता सहित प्रमस्तिष्कघात के रूप के लक्षण देखे गए। उन्हें अपनी माँ, और एक बड़ी बहन का सहयोग प्राप्त है। उन्होंने मदुरई के कृष्णा डेवलपमेंट स्पेशल स्कूल में विशेष शिक्षा प्रशिक्षण में अध्ययन किया।

वह 2015 में एनआईईपीएमडी में शामिल हुए और व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाओं में (वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज) में प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्हें वयस्क स्वतंत्र जीवन कौशल (एडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स) में कौशल प्रशिक्षण इकाई में

प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2016 में उन्होंने सिपडा योजना के तहत व्यापार आधारित प्रशिक्षण "सबलीमेशन प्रिंटिंग" में कार्यभार ग्रहण किया। श्री जी. गणेश कुमार बुनियादी कंप्यूटर कौशल जैसे मुद्रण के लिए चित्रों को लोड करना, आकार बदलना, स्थिति को ठीक करना आदि सीखने में बहुत उत्सुक थे। उन्होंने मुद्रण उपकरण जैसे तापमान सेट करना, सामग्रियों को सही स्थिति में ठीक करना आदि कौशल भी सीखा। वह अपनी गतिविधियों में समय के पाबंद हैं और असाइन किए गए कार्य को समय–सीमा के भीतर पूरा करते हैं। वह अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ बहुत दोस्ताना है।

प्रशिक्षण के सफल समापन पर उन्होंने माँ के साथ–साथ **"रम्या गिफ्टस"** के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया। इस पहल को किया गया था, जो थीम **"पैरेंट चाइल्ड सपोर्टेड इम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स"** विषय के तहत समर्थित और वित्त–पोषित एलसी परियोजना नागपट्टनम और यूरोपीय संघ आजीविका परियोजना द्वारा किया गया था।

उसकी साख को देखते हुए उन्हें वर्ष 2019 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 03.12.2019 को **"दिव्यांगताग्रस्त सर्वश्रेष्ठ स्व–रोजगार" (बेस्ट सेल्फ–एम्प्लॉयमेंट विद डिसेबिलिटी)** के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

अपनी दिव्यांगता के अतिरिक्त उन्होंने अपने परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में एक कमाऊ सदस्य होने के नाते, समुदाय में एक अच्छा स्थान हासिल किया है।

वह अपनी सफलता के लिए अपने शिक्षकों, समर्थकों और साथियों को स्वीकार करता है। वह स्व–नियोजन (सेल्फ–एम्प्लॉयमेंट) के लिए एक रोल मॉडल है और "दिव्यांगजनों के लिए अधिकारों को वास्तविक बनाना" इनकॉन स्ट्रैटेजी को साबित करता है।

ख. दिव्यांगजन को सशक्त किया गया

सुश्री **एस श्रावंती** (18 वर्ष), अपने परिवार की पहली सदस्य, जो गैर–सजातीय विवाह से पैदा हुई थी। उसको अपने पिता, माता और छोटी बहन द्वारा सहायता दी जाती है। उसने स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार के रोग–उपचार के माध्यम से अपने जीवन जीने में सीमाओं को पार कर लिया।

उसने पल्यमकोट्टई में चिन्मय विद्यालय में प्रथम क्रक्षा में अध्ययन किया। उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया गया और उसी स्थान पर साराह टेकर प्राइमरी स्कूल में दूसरी से पाँचवीं कक्षा तक शिक्षा जारी रखी। बाद में उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था और उसने अपनी पढ़ाई 6 वीं और 7 वीं कक्षा में पालयमकोट्टई के मैरी आर्डन मिडिल स्कूल से जारी रखी। फिर, उन्होंने नियमित स्कूल संकाय में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षक के सहयोग समर्थन से वेल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 8 वीं कक्षा पूरी की। वह 2008 में एनआईईपीएमडी में आई और मॉडल स्कूल में अपनी प्री–वोकेशनल ट्रेनिंग पूरी की। तब उसे एडल्ट लिविंग स्किल्स इन ड्रॉइंग ऐंड सबलीनेशन प्रिंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान, वह अन्य साथियों के साथ बहुत दोस्ताना थी। वह अपने सहपाठियों और संस्था की बहुत देखभाल करती थी।

सफल प्रशिक्षण के बाद आज वह स्व–नियोजन के तहत **"एसएसए आर्टस–रिवर्स ग्लास पेंटिंग और तंजावुर पेंटिंग"** की मालिक हैं। उसने रिवर्स ग्लास पेंटिंग में महारत हासिल की, यह एक ऐसी कला है जिसमें कांच के एक टुकड़े पर पेंट लगाने और फिर ग्लास को घुमाकर छवि को देखने की कला है। परतों में अलग–अलग पेंट का एक सावधानीपूर्वक प्रयोग एक स्पष्ट ग्लास के पीछे व्यवस्थित रूप से किया गया है और एक आकर्षक चित्र प्राप्त कर रहा है। इस ड्राइंग में सुश्री एस. श्रावंती ने रिवर्स ग्लास पेंटिंग को चित्रित करने के लिए कल्पना और रचनात्मक विचारों के एक महान कौशल में महारत हासिल की। उन्होंने कई कला अवधारणाओं जैसे कि रेखा, आकृति और रंग चयन को भी प्राप्त किया। इसके अलावा उसने योजना, महत्वपूर्ण सोच, समस्या को सुलझाने और एक बड़े धैर्य के चित्रकला कौशल

को विकसित किया। पेंटिंग में कौशल तंजावुर पेंटिंग सीखने का आधार है। । वह अपने परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के विकास में योगदान देने में भागीदार बन गई है।

एक उद्यमी के रूप में उनकी उपलब्धि के आधार पर और उन्हें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए **"दिव्यांगता ग्रस्त सर्वश्रेष्ठ स्व–नियोजन"** – महिला (विकासात्मक दिव्यांगता) श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

वह अपने सहयोगियों के बीच लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण की कसौटी पर खरी उतरीं। वह अपनी सफलता का श्रेय माता–पिता, शिक्षक, शुभचिंतक और साथी समुदाय के निस्वार्थ समर्थन, प्रेरणा और प्रतिबद्धता के वर्षों को देती है।

दृष्टिबाधित मॉडल स्कूल (एनआईईपीवीडी), देहरादून के छात्रों की सफलता की कहानी

क) मास्टर शिवम सिंह नेगी

कठोर काया वाला और वास्तव में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, की जीवन की कहानी से प्रेरित एक लड़का, शिवम देहरादून के दृष्टि बाधित मॉडल स्कूल में 11 वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उन्हें इस स्कूल में जुलाई 2008 में नर्सरी कक्षा में भर्ती कराया गया था। वह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रंसवा गाँव से हैं।

उनके पिता श्री तेजवीर सिंह एक दुकानदार हैं और माँ एक गृहिणी हैं। पहले उन्हें कुछ दिखाई पड़ता था लेकिन जब वह 7 वीं कक्षा में थे तब पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गए। वह पढ़ाई में अच्छे हैं और 6 वीं कक्षा में होने पर उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट खेलना शुरू किया। तथ्य यह है कि एक सर्जरी के दौरान उनकी एक किडनी निकाल दी गई थी, खेल के प्रति उनके जुनून को नहीं रोक पाई। उन्होंने पुर्तगाली महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन की कहानी से प्रेरणा ली, जो उन्होंने तब पढ़ी थी जब वह 8 वीं कक्षा में थे, जिन्होंने दिल की सर्जरी के बावजूद इतनी अच्छी तरह से फुटबॉल खेली थी और खेल में इस तरह की शानदार ऊंचाइयों को हासिल किया था। इसके तुरंत बाद शिवम ने दृष्टिहीन फुटबॉल खेलने का फैसला किया। उन्होंने इस खेल में अपने खेल शिक्षक और कोच श्री नरेश सिंह नयाल से आत्मविश्वास हासिल किया। साथ में उन्होंने कड़ी मेहनत की और अब तक की उपलब्धियों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

–2019 में ब्लाइंड फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

– 30 सितंबर से 7 अक्टूबर, 2019 तक थाईलैंड के पट्टाया में आयोजित भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के लिए चयनित और आईबीएसए एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चौम्पियनशिप, 2019 में भाग लिया और एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चौम्पियनशिप में गोल करने वाला केवल भारतीय ब्लाइंड फुटबॉलर था।

– पैरा एथलेटिक्स में 200 मीटर और लंबी कूद (टी/एफ 11 श्रेणी) में राष्ट्रीय पदक विजेता।

– राष्ट्रीय स्तर पर 2017 और 2018 में ब्लाइंड क्रिकेट में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया

– देहरादून हाफ मैराथन में अपनी आयु श्रेणी में 10 किमी दौड़ में दूसरा स्थान जीता।

ख)　मास्टर सोवेन्द्र सिंह भांडारी

मास्टर सोवेंद्र सिंह भंडारी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कल्याणी गांव के हैं। उनके पिता एक किसान हैं।

वह वर्ष 2007 में मॉडल स्कूल आया और नर्सरी कक्षा में प्रवेश लिया और अब वह 12 वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वह छोटे कद का लड़का है, लेकिन एक मजबूत शरीर और स्वस्थ दिमाग रखता है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खेलों में खुद को साबित किया है। वह संगीत और पढाई में भी अच्छा है। उनकी अब तक की उत्कृष्ट उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:–

– भारत, मलेशिया और कोच्चि में लाओस त्रि–राष्ट्र दृष्टिहीन फुटबॉल श्रृंखला में ब्लाइंड फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

– भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के लिए चयनित और 30 सितम्बर से 7 अक्टूबर, 2019 तक थाईलैंड के पट्टाया में आयोजित आईबीएसए एशिएन ब्लाइंड फुटबॉल चैम्पियनशिप, 2019 में भाग लिया।

– 2019 में भारत–नेपाल सीरीज में ब्लाइंड क्रिकेट में नेपाल के खिलाफ भारत का प्रतिनिधित्व किया।

– दो खेलों में : ब्लाइंड क्रिकेट और ब्लाइंड फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला केवल उत्तराखंड का खिलाड़ी।

– वर्ष 2017 और 2018 में ब्लाइंड फुटबॉल नेशनल टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड प्राप्त किया।

– आईबीएसए राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट, 2018 में उत्ताराखंड का प्रतिनिधित्व किया

– राजभवन उत्तराखंड में आयोजित संगीत वाद्य यंत्र–तबला का, एक कार्यक्रम में प्रस्तुति

ग)   मास्टर मेहराज

मास्टर मेहराज 2006 में मॉडल स्कूल में आए और नर्सरी कक्षा में प्रवेश लिया। वह बिहार के छपरा जिले में हरपुर किशनपुर गाँव से ताल्लुक रखते हैं।

उन्होंने मॉडल स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और सीबीएसई की कक्षा XII वीं की परीक्षा में 94.83 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब वह हिन्दू कॉलेज, दिल्ली से स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनकी उपलब्धियों और उल्लेखनीय प्रस्तुतियों को निम्नानुसार संक्षेप में पेश किया जा सकता है:

– मास्टर मेहराज को भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम के खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। टीम ने 2018 में कोच्चि, केरल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैत्री मैच खेले और 2–0 से जीते।

– आईबीएस नेशनल स्पोर्ट्स मीट में 2018 में एथलेटिक्स में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया।

– 2016 से लगातार चार साल तक ब्लाइंड क्रिकेट में उत्तराखंड का किया।

– 2019 में उन्हें मॉडल स्कूल संस्थान में सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंडर अवार्ड भी मिला।

घ)   मास्टर गोपाल

मॉडल स्कूल के कक्षा ग्यारहवीं के छात्र मास्टर गोपाल ने 26 से 28 नवंबर, 2019 तक बुसान, दक्षिण कोरिया में आयोजित वैश्विक आईटी चुनौती में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने के लिए मॉडल स्कूल से दूसरे छात्र थे। पिछले साल मास्टर

प्रतीक जिंदल ने उसी स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया था। इस स्पर्धा में कुल 20 देशों ने हिस्सा लिया।

एसवीएनआईआरटीएआर, कटक

रोगी का नाम : सनत दंडपाट, (एलटी, ट्रांसस्टिबियल एंप्यूटि)
पिता का नाम– स्वर्गीय धुलेश्वर दंडपत,
गाँव – खेत्रपटना, पोस्ट – कांफुलिया,
पीएस– लक्ष्मीपोशी, जिला – बारीपाडा,
दूरभाष संख्या – +91–9040183339, +91–9861158908

54 वर्ष की आयु के श्री सनत दंडपाट बारिपादा के रहने वाले हैं। कॉमर्स, में स्नातक, सीएस (इंटर) और बैचलर इन एस्ट्रोलॉजी (कोलकाता) की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्री दंडपाट का जीवन गंभीर सड़क यातायात दुर्घटना के कारण दहशत बन गया। आवासीय जगह में अपने अभ्यास के दौरान 19 अप्रैल, 1998 की रात ने उसके जीवन के भाग्य को बदल डाला और उसका जीवन अंधकारमय और अधिक अंधकारमय हो गया। उस घबराहट वाली रात में वह बाइक से यात्रा कर रहा था और जसमोला बोर्डर में एक दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में वह घातक स्थिति में था और एससीबी एमसीएच, कटक में इलाज के लिए लाया गया और उपचार के बाद उसमें बहुत कम ट्रांसस्टिबियल एंप्यूटेशन था। वास्तव में आगे के उपचार के लिए एसवीएनआईटीएआर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद उचित पुनर्वास के लिए कृत्रिम अंग (प्रोस्थेसिस) कर फिटिंग की गई।

एसवीएनआईआरटीएआर में हल्के वजन के आरामदायक ट्रांस–टिबियल प्रोस्थेसिस के फिट होने से एक बार फिर उनकी जिंदगी बदल गई। वह फिर से अपने पिछले पेशे में शामिल हो गया और परिणामस्वरूप अपने परिवार के लिए अच्छी खासी कमाई करने लगा। वास्तव में एंप्यूटेशन और उसके बाद हुई दिव्यांगता जीवन चलाने में कोई विशोषण नहीं करती है जो इस तरह की आतंकी घटनाओं के कारण परेशान था। अब वह बहुत खुश है और इस श्रेष्ठ संस्थान से 20 साल के समय में उसने टी/टी कृत्रिम अंग (प्रोस्थेसिस) के पांच नंबर लिए और जीवन का आनंद ले रहा है।

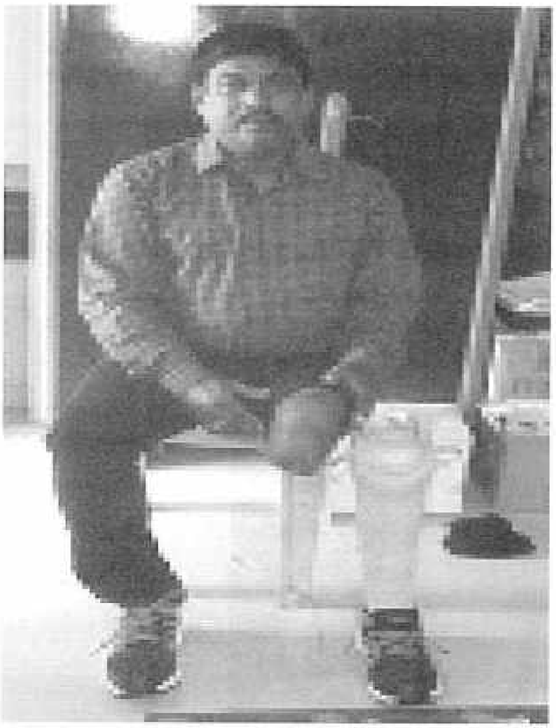

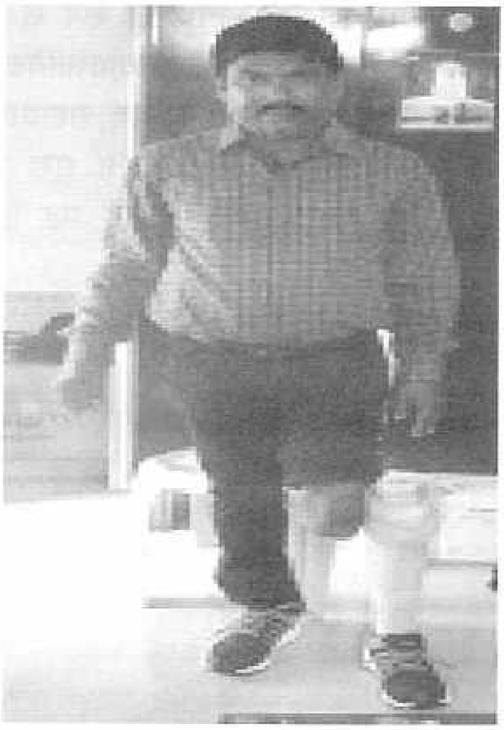

सफलता की कहानी

पीडीयूएनआईपीपीडी

क) डिपार्टमेंट व्यावसायिक थेरेपी विभाग, पीडीयूएनआईपीपीडी (दिव्यांगजन), नई दिल्ली

प्रमस्तिष्क घात ग्रस्त 2 वर्षीय बच्चा रूद्रांश 9 अप्रैल, 2019 को पं. दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान के व्यावसायिक थेरेपी विभाग में आया था। मुख्य रूप से परेशानी बताई गई कि बच्चा न तो बैठने में, न खड़े होने में और न चलने में सक्षम नहीं है।

बच्चे को विस्तारपूर्वक मूल्यांकन किया गया था और विभाग में व्यावसायिक चिकित्सकों द्वारा उपचार योजना बनाई गई थी। बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी उपचार कार्यक्रम के साथ सलाह दी गई जिसमें इंद्रधनुषी सीढ़ी चलना, बहु उद्देशीय पहिया, रोलओटर, घुटना टेकना, आधा घुटना, एक पैर पर भार वहन करना, बैठना, पुल बनाना, खड़े होने के लिए बैठना, बैठने के लिए लापरवाह होना और कई और अधिक विभागीय गतिविधियां शामिल थीं। घर के कार्यक्रम की भी योजना बनाई गई और माता–पिता को समझाया गया। माता–पिता ने सभी निर्देशों का पूरी दृढ़ता के साथ पालन किया और डिजाइन की गई योजना के अनुसार काम किया। बच्चा अभ्यास के लिए नियमित रूप से विभाग में आया और तब से चिकित्सा जारी रखी है। बच्चे के माता–पिता और व्यावसायिक चिकित्सकों ने संयुक्त प्रयासों से बच्चे में जबरदस्त सुधार दिखाया। बच्चे ने अब सहायता के साथ बैठना, रेंगना, सहायता के साथ खड़ा होना और सहायता के साथ चलना शुरू कर दिया है। बच्चे की अभी भी व्यावसायिक चिकित्सा जारी रखे हुए है और मकसद यह है कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से चलने लायक बनाना।

पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली का प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स विभाग

राजेश प्रसाद यादव, 23 वर्षीय पुरूष
आदेश सं. 522/2019–20

23 वर्षीय पुरुष राजेश प्रसाद यादव, पेशे से एक दुकानदार हैं जो आग से झुलस गया था और इसके बाद बाएं निचले अंग में सेप्टिक इन्फेक्शन हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बायाँ घुटना (ट्रांसफेमरल) में विच्छेदन हो गया। राजेश प्रोस्थेसिस (कृत्रिम अंग) के साथ एक बार फिर से चलने, एक्लिसलरी क्रचेज का उपयोग करके एक पैर पर चलने की उम्मीद से पीडीयूएनआईपीपीडी, में दिल्ली के प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स विभाग में आए।

एक पूर्ण निर्धारण और मूल्यांकन किया गया था और उम्र और अन्य जनसांख्यिकीय कारकों को देखते हुए एसएसीएच पैर के सहित पॉलीकेन्द्रिक घुटने के जोड़ के साथ मॉड्यूलर लेफ्ट एंडोस्केलेटल ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस निर्धारित किया गया था। आदेश संख्या 522/2019–20, प्रोस्थेसिस के साथ सफल फिटमेंट और गति प्रशिक्षण के बाद, राजेश अब बिना किसी सहायक उपकरण (क्रच) का उपयोग किए बिना अपने दोनों पैरों पर चल रहा है, अपनी एडीएल गतिविधियों का प्रदर्शन कर रहा है और खुशी–खुशी अपनी दुकानदार की नौकरी पर वापस लौट आया है, जो वह अपने जीवन में अपने जीवन में इस घटना से पहले करता था।

राजेश इस संस्थान के अन्य रोगियों के लिए एक रोल मॉडल है। वह कृत्रिम अंग (प्रोस्थोसिस) के पालन के लिए नियमित रूप से पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली का दौरा करता है और इन पुनर्वास सेवाओं के लिए इस संस्थान के प्रति बहुत खुश और आभारी है।

2019–20 के दौरान राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण

1.पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	बैचलर ऑफ फिजिकल थेरेपी	4 ½ वर्ष	59
2.	बैचलर ऑफ आक्यूपेशनल थेरेपी	4 ½ वर्ष	59
3.	बैचलर ऑफ प्रोथेस्टिक एंड आर्थोटिक्स	4 ½ वर्ष	34
4.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स	02 वर्ष	10

2. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	बैचलर इन फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4 ½ वर्ष	62
2	बैचलर इन आक्यूपेशनल थेरेपी (बीओटी)	4 ½ वर्ष	62
3	बैचलर ऑफ प्रोथेस्टिक एंड आर्थोटिक्स (बीपीओ)	4 ½ वर्ष	46
4	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (एमपीटी)	02 वर्ष	15
5	मास्टर इन आक्यूपेशनल थेरेपी (एमओटी)	02 वर्ष	15
6	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स (एमपीओ)	02 वर्ष	10
7	डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड (डीएनबी) (पीएमआर)	03 वर्ष	06

3. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड (पीएमआर)	3 वर्ष	4
2.	डिप्लोमा नेशनल बोर्ड (पीएमआर)	2 वर्ष	4
3.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी	2 वर्ष	6
4.	मास्टर इन आक्यूपेशनल थेरेपी	2 वर्ष	6
5.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स	2 वर्ष	6
6.	एम.एस.सी इन नर्सिंग (आर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग)	2 वर्ष	10
7.	पोस्ट ग्रेजुवेशन डिप्लोमा इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट	1 वर्ष	15
8.	बैचलर इन फिजियोथेरेपी	4 ½ वर्ष	52
9.	बैचलर इन ओक्यूपेशनल थेरेपी	4 ½ वर्ष	51
10.	बैचलर इन प्रोथेस्टिक एंड आर्थोटिक्स	4 ½ वर्ष	34

4. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
	एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम – वित्त पोषित कार्यक्रम		
1.	एम.एड स्पेशल एजुकेशन (V.I)-1 केन्द्र	2 वर्ष	20
2	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (V.I)-4 केन्द्र	2 वर्ष	230
3	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशनल (V.I)-12 केन्द्र	2 वर्ष	630
4.	पोस्ट ग्रेजुवेशन डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी -1 केन्द्र	I वर्ष	15
5	**डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (VI & DB) – गैर वित्त पोषित (96- केन्द्र)**	2 वर्ष	4800
	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1.	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	1 वर्ष	21
2.	प्रेक्टिशनल कोर्स इन जापानी मेडिकल मैनुवल थेरेपी	2 वर्ष	15 प्रतिवर्ष
3	ब्रेल शार्टहैंड (हिंदी)	1 वर्ष	16
4.	ट्रेनिंग कोर्स इन ब्रेल स्टेनोग्राफर एंड सैक्रेट्रियल असिस्टेंट	1 वर्ष	15

5. अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगता संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई

5.क. एजेवाईएनआईएसएचडी, मुंबई में पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
01	पीएच.डी. (एसपी एंड एचजी)	3 + वर्ष	20
02	पीएच.डी. (स्पेशल एजुकेशनल)	3 + वर्ष	20
03	मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच–लैंग्वेज पैथोलॉजी	2 वर्ष	19
04	मास्टर ऑफ एजुकेशनल (श्रवण बाधित)	1 वर्ष	23
05	बैचलर ऑफ ऑडियालॉजी एंड स्पीच–लैंग्वेज पैथलॉजी	4 वर्ष	43
06	बैचलर ऑफ एजुकेशनल (श्रवण बाधित)	1 वर्ष	39
07	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडियोरी वेरबल थेरेपी	1 वर्ष	20
08	डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटर कोर्स	1 वर्ष	15
09	सार्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए)	1 वर्ष	25

5.ख. आरसी, पाठ्यक्रम कोलकाता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
01	ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी निष्णात	2 वर्ष	15
02	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी	4 वर्ष	31
03	बैचलर ऑफ एजुकेशन (श्रवण बाधित)	2 वर्ष	23
04	बैचलर ऑफ एजुकेशन (श्रवण बाधित) डिस्टेंस मोड	2 वर्ष	40
05	शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा – डीएचएच)	2 वर्ष	30
06	डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स	1 वर्ष	15
07	कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा	1 वर्ष	20

5.ग.आरसी, पाठ्यक्रम सिकंदराबाद

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
01	विज्ञान परास्नातक (ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी)	2 वर्ष	12
02	विज्ञान स्नातक (ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी)	4 वर्ष	31
03	शिक्षा स्नातक (श्रवण बाधित)	2 वर्ष	31
04	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (डीएचएच)	2 वर्ष	31

5.घ.आरसी, पाठ्यक्रम, नोएडा

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
01	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, वाक– भाषा पैथोलॉजी	4 वर्ष	25
02	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (डीएचएच)	2 वर्ष	30
03	डिप्लोमा इन हेयरिंग, लैंग्वेज एंड स्पीच	1 वर्ष	20
04	श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर एप्ली केशन में सर्टिफिकेट कोर्स	1 वर्ष	20

5. ङ.आरसी, पाठ्यक्रम, ओडिशा

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	सीटों की संख्या
01	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (डीएचएच)	2 वर्ष	31
02	श्रवण, वाक और भाषा में डिप्लोमा	1 वर्ष	30
03	शिक्षा स्नातक – विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित)	2 वर्ष	30

6. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद

6.क एनआईईपीआईडी मुख्यालय

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल (एमआर)	2	15
2	विशेष शिक्षा (एमआर) में एमएड	2	28
3	प्रारंभिक उपाय (इंटरवेंशन) में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा	1	22
4	विशेष शिक्षा (एमआर) में बी.एड.	2	33
5	बचपन विशेष शिक्षा (एमआर) में डिप्लोमा	1	28
6	विशेष शिक्षा (एमआर) में डी. एड	2	28
7	व्यावसायिक पुनर्वास (एमआर) में डिप्लोमा	1	28

6. ख. क्षेत्रीय केन्द्र, नोएडा

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	विशेष शिक्षा (एमआर) में बी.एड.	2	33
2	विशेष शिक्षा (एमआर) में डी. एड.	2	33

6. ग. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुंबई

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	विशेष शिक्षा (एमआर) में बी.एड.	2	28
2	अरली चाइल्डहुड स्पेशल एजूकेशन (एमआर) में डिप्लोमा	1	28
3	व्यावसायिक पुनर्वास (एमआर) में डिप्लोमा	1	28

6. घ. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	विशेष शिक्षा (एमआर) में बी.एड.	2	33
2	विशेष शिक्षा (एमआर) में डी.एड.	2	28
3	व्यावसायिक पुनर्वास (एमआर) में डिप्लोमा	1	28
4	बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एमआर) – ओडीएल मोड	2	40

7. राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	एम.फिल. (क्लिनीकल फिजियोथेरेपी)	2 वर्ष	12
2	एम.एड स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	20
3	एम.एड स्पेशल एजुकेशन (स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार)	2 वर्ष	20
4	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	20
5	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार)	2 वर्ष	30
6	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (बधिर अंधता)	2 वर्ष	30
7	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार)	2 वर्ष	25
8	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 वर्ष	25
9	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (बधिर अंधता)	2 वर्ष	30
10	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (प्रमस्तिष्क घात)	2 वर्ष	25
11	शीघ्र हस्तक्षेप में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष	15
12	फिजियोथेरेपी में स्नातक	4 ½ वर्ष	25
13	बैचलर ऑफ ए ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथलॉजी	4 वर्ष	20
14	बैचलर ऑफ आक्यूपेशनल थेरेपी	4 ½ वर्ष	25
15	बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स	4 ½ वर्ष	20
16	सार्टिफिकेट कोर्स इन केयर गिविंग – आरसीआई	1 वर्ष	25

8. भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 वर्ष	51
2.	डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज (डीटीआईएसएल)	2 वर्ष	22

9. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
1	सार्टिफिकेट कोर्स इन केयर–गिविंग	10 माह	30

अनुबंध – 7

एडिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 (10.01.2020 की स्थिति के अनुसार) विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एलिम्को/राज्य निगम/डीडीआरसी/एनजीओ/डीडीआरसी आदि) को जारी की गई निधियां

क्र. सं.	संगठन का नाम	जारी की गई निधियां (रू. लाख में)					जिन राज्यों में शिविर गतिविधियों के लिए निधि जारी की गयी
		शिविर गतिविधि	मुख्यालय गतिविधि	एडिप–एस एसए	कोकलियर इंप्लांट	कुल	
1.	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, (एलिम्को), कानपुर, उत्तर प्रदेश	6335.00	1035.00	2308.00	2000.00	11678.00	संपूर्ण भारत
		-	100.00	-	-	100.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र
2.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संस्थान, देहरादून, 116, रायपुर रोड, देहरादून–248001	250.00	200.00	-	-	450.00	संपूर्ण भारत
		50.00	-	-	-	50.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र
3.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	150.00	100.00	-	-	250.00	संपूर्ण भारत
4.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित संस्थान, मुंबई, के.सी. मार्ग, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा, मुंबई–400050	200.00	100.00	-	500.00	800.00	संपूर्ण भारत
5.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा	-	300.00	-	-	300.00	संपूर्ण भारत
6.	राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता, बी.टी. रोड, बान–हुगली, कोलकाता–700090 (एनआईएलडी)	150.00	-	-	-	150.00	संपूर्ण भारत
7.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली	160.00	60.00	-	-	220.00	संपूर्ण भारत
8.	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई, तमिलनाडु	200	75.00	-	-	275.00	संपूर्ण भारत
		75.00	-	-	-	75.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र
8.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी), गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	18.30	12.22	-	-	30.52	उत्तर प्रदेश
9.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी), नागपुर, महाराष्ट्र	31.56	-	-	-	31.56	महाराष्ट्र

10.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश	36.00	15.00	-	-	51.00	उत्तर प्रदेश
11.	संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी), इलाहबाद	25.00	15.00	-	-	40.00	गुजरात
12.	उमा एजुकेशन ट्रस्ट, कालिदा	7.50	3.00	-	-	10.30	आंध्र प्रदेश
13.	सेवाओं और अनुसंधान पर पुनर्वास के लिए केन्द्र (सीआरएसआर), भद्रक, ओडिशा	37.50	7.50	-	-	45.00	ओडिशा
14	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर, 483, सेक्टर 4, हिरन मार्ग, उदयपुर, राजस्थान	-	450.00	-	-	450.00	राजस्थान
15.	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), गगटोक, सिक्किम	11.25				11.25	सिक्किम
	कुल	**7687.11**	**2472.72**	**2308**	**2500.00**	**14967.83**	

अनुबंध–8

माननीय सांसद और अन्य विशिष्ट नागरिकों से एडिप योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 2019–20 (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार) के दौरान आयोजित विशेष शिविरों का विवरण।

क्र.सं.	शिविर का स्थान	लाभार्थियों की संख्या	सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की लागत (रू. लाख में)	शिविर की तारीख
1	मेरठ, उत्तर प्रदेश	188	61.07	12.06.2019
2	तिरूनाथपुरम, केरल	581	50.9	22, 23 & 26.06.2019
3	सुनम, पंजाब	532	55.86	21.06.2019
4	शिवमोगा, कर्नाटक	188	16.4	27.06.2019
5	इलाहबाद (प्रयागराज), उत्तर प्रदेश	97	35.89	30.06.2019
6	चित्रकूट, उत्तर प्रदेश	365	23.21	07-06-2019
7	आदिलाबाद, तेलंगाना	280	21.08	18 to 20.07.2019
8	बिजनौर, उत्तर प्रदेश	535	49.26	10.07.2019
9	कन्नौज, उत्तर प्रदेश	126	11.43	07-12-2019
10	जींद, हरियाणा	550	49.07	18-07-2019
11	दादर और नागर हवेली	9	0.46	30.07.2019
12	मलकापुर, बुलधाना, महाराष्ट्र	284	21.59	31.07.2019
13	परभनी, महाराष्ट्र	530	50.98	03.08.2019
14	रायसेन, मध्य प्रदेश	336	40.66	03.08.2019
15	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	116	42.92	09.08.2019
16	अनूपुर, मध्य प्रदेश	69	4.41	09.08.2019
17	हिसार, हरियाणा	1347	106.68	13.08.2019
18	सिरसा, हरियाणा	1389	121.45	13.08.2019
19	बदांयु, उत्तर प्रदेश	923	84.69	18.08.2019
20	मधुगिरी, कर्नाटक	966	79	14.08.2019
21	करीमगंज, असम	1248	83.4	21.08.2019
22	घटमपुर, उत्तर प्रदेश	770	67.09	22.08.2019
23	समस्तीपुर, बिहार	500	32.06	26.08.2019

24	अंनतपुर, आंध्र प्रदेश	1028	89.68	29.08.2019
25	यमुनानगर, हरियाणा	244	20.94	31.08.2019
26	ललीतपुर, उत्तर प्रदेश	960	91.55	05.09.2019
27	फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	1059	103.77	06.09.2019
28	भिवानी, हरियाणा	134	49.58	09.09.2019
29	टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	80	7.16	09.09.2019
30	अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	2193	208	12.09.2019
31	हरदोई, उत्तर प्रदेश	1074	100.1	13.09.2019
32	सिकंदरा, उत्तर प्रदेश	573	48.07	13.09.2019
33	जयपुर, राजस्थान	619	66.83	17.09.2019
34	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	1119	141.66	20.09.2019
35	बागपत, उत्तर प्रदेश	788	143.77	27.09.2019
36	जहीराबाद, तेलंगाना	179	66.23	27.09.2019
37.	सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	576	42.83	30.09.2019
38	कोरबा, छत्तीसगढ	98	13.51	12.10.2019
39	संगम, विहार, दिल्ली	92	7.64	13.10.2019
40	विरूधनगर, तमिलनाडु	302	26.58	17.10.2019
41	गांधी नगर, गुजरात	3620	453	25.10.2019
42	छवीला, तेलंगाना	757	23.71	25.10.2019
43	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	464	35.25	04.11.2019
44	नजीमाबाद और जगताल, तेलंगाना	375	13.87	05.11.2019
45	बीजापुर, छत्तीसगढ	77	6.38	06 &07.11.2019
46	धौराहर पार्लियामेंट्री लखीमपुर खीरी और सीतापुर	911	86.36	07.11.2019
47	सिद्धि, मध्य प्रदेश	602	78.32	06.11.2019 to 15.11.2019
48	रूपनगर, पंजाब	197	17.1	11.11.2019

49	विल्लापुरम और कल्लाकर्ची, तमिलनाडु	2416	175	14.11.2019
50	वेस्ट सिक्किम	197	15.09	15.11.2019
51	जहीराबाद, तेलंगाना	480	177.6	16.11.2019
52	मैनपुरी, उत्तर प्रदेश	77	6.89	16.11.2019
53	हैलाखंडी, असम	387	29.58	18.11.2019
54	सिंगरौली, मध्य प्रदेश	613	56.02	18.11.2019 to 25.11.2019
55	लखनऊ और मोहनगंज, उत्तर प्रदेश	857	114.42	24.11.2019
56	बेगुसराय, बिहार	718	69.81	25.11.2019 to 29.11.2019
57	महासुमंद, छत्तीसगढ़	121	23.39	25&26.11.2019
58	फतेहगढ़ साहिब, पंजाब	157	13.96	29.11.2019
59	सुकमा, छत्तीसगढ़	217	18.98	30.11.2019
60	फिरोजपुर, पंजाब	962	148.12	30.11.2019
61	सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	1022	89.25	01.12.2019
62	मुज्जफरपुर, बिहार,	20	1.48	03.12.2019
63	बहरीच, उत्तर प्रदेश	159	12.81	03.12.2019
64	कुंदनगांव, छत्तीसगढ़	189	17.21	03.12.2019
65	नरायणपुर, छत्तीसगढ़	60	6.19	03.12.2019
66	अमरोह, उत्तर प्रदेश	402	36.24	07.12.2019
67	भुवनेश्वर, ओडिशा	165	12.61	15.12.2019
68	पुडुचेरी	370	32.71	16.12.2019
69	बस्तर, छत्तीसगढ़	736	68.39	17.12.2019 से 20.12.2019
70	बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	624	62.75	18.12.2019
71	श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश	593	45.89	19.12.2019

72	कनकेर, छत्तीसगढ़	350	32.37	20.12.2019
73	धार, मध्य प्रदेश	62	22.94	22.12.2019
74	झुंझुनू, राजस्थान	284	43.51	24.12.2019
	कुल	**42288**	**4384.66**	

एडिप योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार) के दौरान दिव्यांगजनों यंत्र एवं उपकरण वितरित करने के लिए एनजीओ/वीओ/डीडीआरसी एवं राज्य निगम को जारी निधियां

रू. लाख में

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	वर्ष 2017–18 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रू.में)	वर्ष 2018–19 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रू.में)	वर्ष 2019–20 के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रू.में)
1	आंध्र प्रदेश	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) (उमा एजुकेशन एंड टेक्निकल सोसाइटी ककिंडा), 4–54 उमा मनोविकास नगर, बिहाइंड रायूनदूपलीम विकालपुडी पंचायत, ककिंडा 533005 ईस्ट गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश	7.50	-	10.50
2	दिल्ली	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, एन–192, ग्रेटर कैलाश–1 नई दिल्ली	15.00	-	-
3	दादर और नागर हवेली	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, रेड क्रास हाउस, सिलवासा–396230, दादर एवं नगर हवेली	-	15.00	-
4	गुजरात	ब्लांइड पिपुल्स एसोसिएशन, डॉ. विक्रम साराभाई रोड, बस्तरपुर, अहमदाबाद–380015	20.00	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), ओ ब्लॉक, सिविल अस्पताल, सिविल अस्पताल कैंपस, असरवा, अहमदाबाद, गुजरात	10.00	-	-
		जयश्री मारूति नंदन किसान विकास एजुकेशन ट्रस्ट, सुकसर, स्वामी विवेकानंद सोसाइटी, नियर आश्रम, अपोजिट, यूनिटेड मोटरस, गरीबाडा रोड, दाहोद – 289151	10.00	7.50	-
		श्री ब्रहम समाज सेवा ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेंट, आदर्श हाई स्कूल रोड, एस.टी. स्टेंड के नजदीक, पटन–384265	20.00	30.00	-
		डिसेबिल्ड वेलफेयर ट्रस्ट, गुजरात, श्री साई राम समर्थ रैजिडेंशी के नजदीक, बी/एच सरदयातन स्कूल, लखीविमू गार्डन के सामने, उमरा, सूरत–395007, गुजरात	10.00	10.00	-
5	हरियाणा	आईआरसीएस, जिला शाखा फरीदाबाद, रेड क्रास भवन, सैक्टर–12, फरीदाबाद, हरियाणा	5.00	-	-
6	हिमाचल प्रदेश	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	-	8.00	-
7	कर्नाटक	ऑल इंडिया जैन यूथ फाउंडेशनस (आर), महावीर लिंब सेंटर, किमस प्रिमेसिस विद्यानगर धारवाड हुबली कर्नाटक, पिन कोड–580031	7.50	-	-
		आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग (एआईआईएसएच–एडिप योजना ए/सी), मैसूर, कर्नाटक	25.00	-	-

8	मध्य प्रदेश	दीन दयाल अंत्योदय मिशन फॉर डीडीआरसी बालाघाट, बालाघाट, जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र, जिला पंचायत प्रसार बालाघाट–481001, बालाघाट, मध्य प्रदेश	6.84	5.00	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), (आईआरसीएस) दामोह, पुराना कलेक्ट्रेट कैंपस (सीएमओ कार्यालय के पीछे) दामोह मध्य प्रदेश–470661	7.50	-	-
		इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, (डीडीआरसी), जबलपुर, मध्य प्रदेश	5.00	-	-
		आशा ग्राम ट्रस्ट, बरवानी, आशा ग्राम, भवन, मध्य प्रदेश पिन कोड :– 451551	22.50	-	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र डीडीआरसी, मंदसौर, जिला अस्पताल कैंपस गांधी चौराह, मंदसौर, मध्य प्रदेश	-	13.44	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र डीडीआरसी, पोस्ट बाक्स नं. 36, कल्याणपुरा रोड़ रंगपुरी जिला, झाबुवा, मध्य प्रदेश–457661, झाबुवा, मध्य प्रदेश	10.76	-	-
		जिला निशक्त कलयाण एवं विकास समिति, मोरीना, मध्य प्रदेश	-	7.50	-
		श्री गुरु शंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति, भींड, मध्य प्रदेश	-	3.75	-
		जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र डीडीआरसी, दतिया	5.00	-	-
9	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संस्थान, भूमिपुत्र कालोनी, कांग्रेस नगर, अमरावती, महाराष्ट्र–444601	10.00	-	-
		महात्मा गांधी सेवा संघ, सरकारी पुस्तकालय समर्थ नगर के नजदीक औरंगाबाद पिन कोड–431012	37.50	60.00	-
10	ओडिशा	रिजनल रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, आरआरआरसी, नियर आर.जी.एच. पनपोस रोड़, राउरकेला–769004, ओडिशा	-	19.84	-
11	पंजाब	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, जिला शाखा, संगरूर, संगरूर, पंजाब	-	5.00	-
		भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट, डाकखाना–विकलांग सहायता केन्द्र, सी–ब्लॉक, ऋषि नगर, लुधियाना–पंजाब	20.00	30.00	-
		गुरू नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, मंडी मौलानापुर दिखा जिला, लुधियाना, पंजाब	5.00	5.00	-
12	राजस्थान	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	75.00	-	-
		नारायण सेवा संस्थान, सेवाधाम, 483, हिरन मार्ग, सैक्टर–4, उदयपुर–313002	200.00	550.00	-
		ज्ञानराम जमनालाल जयपुर, राजस्थान	5.00	-	-
		जोधपुर मानव सेवा संस्थान, बी–40, आस्था केसव नगर,	3.75	-	-

		अशोक उद्यान के सामने पल रोड जोधपुर, राजस्थान			
13	त्रिपुरा	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), नार्थ त्रिपुरा	-	30.00	-
14	सिक्किम	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), सिक्किम	-	-	11.25
	कुल		**543.85**	**800.03**	**21.75**

अनुबंध–10

मुख्य शीर्ष "3001"

वर्ष 2019–20 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत बाधामुक्त वातावरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया सहायता अनुदान			
क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (रु. लाख में)
1.	त्रिपुरा सरकार	अगरतल्ला में 06 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	748.64
		अगरतल्ला में 08 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	1876.41
2.	उत्तर प्रदेश सरकार	लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में 24 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	76.04
3.	मध्य प्रदेश सरकार	इंदौर में 05 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	190.03
4.	हिमाचल प्रदेश सरकार	शिमला में 05 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	320.13
5.	जम्मू और कश्मीर सरकार	(10 जम्मू और 1 श्रीनगर) में 11 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	691.99
6.	असम सरकार	गुवाहटी में 24 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन	697.84
7.	मेघालय सरकार	शिलॉंग में 05 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन	77.57
	कुल		**4678.65**

अनुबंध—11

मुख्य शीर्ष "3601"

वर्ष 2019—20 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत बाधामुक्त वातावरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया सहायता अनुदान			
क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (रू. में)
8.	त्रिपुरा सरकार	अगरतल्ला में 06 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	748.64
		अगरतल्ला में 08 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	1876.41
9.	उत्तर प्रदेश सरकार	लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में 24 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	76.04
10.	मध्य प्रदेश सरकार	इंदौर में 05 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	190.03
11.	हिमाचल प्रदेश सरकार	शिमला में 05 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	320.13
12.	जम्मू और कश्मीर सरकार	(10 जम्मू और 1 श्रीनगर) में 11 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए प्रथम किश्त	691.99
13.	असम सरकार	गुवाहटी में 24 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन	697.84
14.	मेघालय सरकार	शिलॉंग में 05 राज्य सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन	77.57
	कुल		**4678.65**

अनुबंध–12

सिपडा योजना

मुख्य शीर्ष "2235" (10.01.2020 की स्थिति के अनुसार)

क. वर्ष 2019–20 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए संस्थानों/संगठनों को जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	कॉलेज डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	शिलौंग, मेघालय में दिव्यांगता केन्द्र की स्थापना के लिए डीपीआर के लिए पहली किश्त	22.83
		शिलौंग, मेघालय में दिव्यांगता केन्द्र की स्थापना के लिए डीपीआर के लिए दूसरी किश्त	15.22
2.	डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी फॉर हैंडीकैप्ड, कानपुर, उत्तर प्रदेश	बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए दूसरी और अंतिम किश्त	26.88
3.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग, केरल	संस्थान के 3 भवनों में बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए पहली किश्त	75.00
4.	अलंकित लिमिटेड, नई दिल्ली	एक डीईओ और एक एमटीएस के लिए जून से सितंबर तक वेतन	1.48
		कुल	**141.41**

ख. वर्ष 2019–20 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	सीईएनडीईसीटी, तमिलनाडु	240 दिव्यांगजनों के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किश्त	9.85
2.	लीडिंग रिफार्म कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़	129 दिव्यांगजनों के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली किश्त	7.42
3.	दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी), नई दिल्ली	17196 दिव्यांगजनों के मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क के लिए	171.93
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा	267 दिव्यांगजनों के लिए पहली किश्त	20.56
5.	साई स्वयं सोसाइटी फॉर दी हेयरिंग इंपेयर्ड, नई दिल्ली	60 दिव्यांगजनों के लिए पहली किश्त	1.74
6.	हिमाचल प्रदेश कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश	115 दिव्यांगजनों के लिए दूसरी किश्त	6.97
7.	सलाहकार के लिए परामर्श शुल्क	मार्च से नवंबर, 2019	18.46
	कुल		**236.93**

ग. वर्ष 2019–20 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत सीआरसी को जारी सहायता अनुदान

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	सीआरसी गुवाहटी, असम	सीआरसी गुवाहटी को पहली किश्त	35.00
		सीआरसी गुवाहटी को दूसरी किश्त	30.00
		सीआरसी गुवाहटी को तीसरी किश्त	148.40
2.	सीआरसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सीआरसी लखनऊ को पहली किश्त	26.46
		सीआरसी लखनऊ को दूसरी किश्त	50.00
		सीआरसी लखनऊ को तीसरी किश्त	87.00
3.	सीआरसी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	सीआरसी गोरखपुर को पहली किश्त	20.00
		सीआरसी गोरखपुर को दूसरी किश्त	110.00
4.	सीआरसी अहमदाबाद, गुजरात	सीआरसी अहमदाबाद को पहली किश्त	17.58
		सीआरसी अहमदाबाद को दूसरी किश्त	35.00
		सीआरसी अहमदाबाद को तीसरी किश्त	30.00
5.	सीआरसी सुंदरनगर, हिमालच प्रदेश	सीआरसी सुंदरनगर को पहली किश्त	9.37
		सीआरसी सुंदरनगर को दूसरी किश्त	70.00
		सीआरसी सुंदरनगर को तीसरी किश्त	74.40
6.	सीआरसी कोझिकोड, केरल	सीआरसी कोझिकोड को पहली किश्त	3.48
		सीआरसी कोझिकोड को दूसरी किश्त	100.00
		सीआरसी कोझिकोड को तीसरी किश्त	61.00
7.	सीआरसी नैल्लोर, आंध्र प्रदेश	सीआरसी नैल्लोर को पहली किश्त	5.56
		सीआरसी नैल्लोर को दूसरी किश्त	29.60
		सीआरसी नैल्लोर को तीसरी किश्त	40.00
		सीआरसी नैल्लोर को नए भवन निर्माण कार्य के लिए तीसरी किश्त	225.00
8.	सीआरसी राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	सीआरसी राजनंदगांव को पहली किश्त	10.65
		सीआरसी राजनंदगांव को दूसरी किश्त	30.00
		सीआरसी राजनंदगांव को तीसरी किश्त	56.21
9.	सीआरसी नागपुर, महाराष्ट्र	सीआरसी नागपुर को पहली किश्त	25.00
		सीआरसी नागपुर को दूसरी किश्त	60.00
		सीआरसी नागपुर को भवन निमार्ण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के लिए पहली किश्त	600.00
		सीआरसी नागपुर को दूसरी किश्त	66.42
10.	सीआरसी रांची, झारखंड	सीआरसी रांची को पहली किश्त	12.50
		सीआरसी रांची को दूसरी किश्त	30.00
11.	सीआरसी देवनगिरी, कर्नाटक	सीआरसी देवनगिरी को पहली किश्त	40.00
		सीआरसी देवनगिरी को दूसरी किश्त	15.00
		सीआरसी देवनगिरी को तीसरी किश्त	48.95
12.	सीआरसी भोपाल, मध्य प्रदेश	सीआरसी भोपाल को पहली किश्त	80.00
		सीआरसी भोपाल को दूसरी किश्त	135.00

13.	सीआरसी पटना, बिहार	सीआरसी पटना को पहली किश्त	50.00
		सीआरसी पटना में छात्रावास भवन निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान	400.00
14.	सीआरसी बलांगीर, ओडिशा	सीआरसी बलांगीर को पहली किश्त	12.50
15.	सीआरसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सीआरसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पहली किश्त	7.50
16.	सीआरसी श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	सीआरसी श्रीनगर को पहली किश्त	50.00
17.	सीआरसी त्रिपुरा	सीआरसी त्रिपुरा को पहली किश्त	50.00
18.	सीआरसी सिक्किम	सीआरसी सिक्किम को पहली किश्त	12.50
	कुल		**3000.08**

घ. वर्ष 2019–20 के दौरान सिपडा योजना के अंतर्गत डीडीआरसी परियोजना के लिए जारी सहायता अनुदान			
क्र. सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (रू. लाख में)
1.	डीडीआरसी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की दूसरी और अंतिम किश्त	0.45
		वर्ष 2019–20 के लिए सहायता अनुदान की पहली किश्त	9.84
2.	डीडीआरसी, मालदा, पश्चिम बंगाल	वर्ष 2017–18 के लिए सहायता अनुदान की पूर्ण और अंतिम किश्त	1.89
		वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पहली किश्त	20.22
3.	डीडीआरसी, कछार, असम	वर्ष 2017–18 के लिए सहायता अनुदान की दूसरी किश्त	4.57
		वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पूर्ण और अंतिम किश्त	24.15
4.	डीडीआरसी, नई टिहरी, उत्तराखंड	वर्ष 2017–18 के लिए सहायता अनुदान की दूसरी और अंतिम किश्त	2.57
		वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पूर्ण और अंतिम किश्त	8.11
5.	डीडीआरसी, जालौर, राजस्थान	वर्ष 2017–18 के लिए सहायता अनुदान की दूसरी और अंतिम किश्त	0.96
6.	डीडीआरसी, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पहली किश्त	12.89
7.	डीडीआरसी, लातुर, महाराष्ट्र	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पहली किश्त	17.47
8.	डीडीआरसी, उदयपुर, राजस्थान	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पहली किश्त	7.11
9.	डीडीआरसी, अमरावती, महाराष्ट्र	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पहली किश्त	21.49
10.	डीडीआरसी, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की दूसरी और अंतिम किश्त	4.53
11.	डीडीआरसी, नौगांव, असम	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की दूसरी और अंतिम किश्त	7.59
12.	डीडीआरसी, अहमदाबाद, गुजरात	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की दूसरी और अंतिम किश्त	6.26
13.	डीडीआरसी, बरेली, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पहली किश्त	14.09
14.	डीडीआरसी, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पहली किश्त	10.06
15.	डीडीआरसी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2018–19 के लिए सहायता अनुदान की पहली किश्त	13.27
	कुल		**187.52**

अनुबंध–13 क) डीडीआरसी के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)	
		प्राप्त	स्वीकृत *	प्राप्त	स्वीकृत *	प्राप्त	स्वीकृत *	प्राप्त	स्वीकृत *
1	आंध्र प्रदेश	73	73	63	72	69	79	31	51
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	0	0	0
3	असम	13	15	16	14	12	11	0	5
4	बिहार	5	6	8	6	1	4	0	0
5	छत्तीसगढ़	3	6	3	5	1	4	0	1
6	दिल्ली	14	14	2	13	10	5	0	3
7	गोवा	0	1	1	0	0	1	0	0
8	गुजरात	28	17	26	16	21	17	19	5
9	हरियाणा	22	18	26	20	23	16	13	7
10	हिमाचल प्रदेश	5	6	5	5	5	4	5	2
11	जम्मू और कश्मीर	1	1	2	1	4	2	0	0
12	झारखंड	0	1	0	0	0	1	0	1
13	कर्नाटक	7	9	4	6	3	5	2	2
14	केरल	60	56	52	51	40	49	0	22
15	मध्य प्रदेश	34	23	28	26	42	21	19	9
16	महाराष्ट्र	31	29	28	29	20	21	0	12
17	मणिपुर	44	37	43	37	26	39	0	22
18	मेघालय	6	7	1	4	6	6	7	2

19	मिजोरम	2	2	2	2	2	2	6	1
20	नागालैंड	0	0	2	0	1	1	2	1
21	ओडिशा	46	49	51	46	51	49	46	21
22	पंजाब	11	11	10	11	10	7	12	3
23	राजस्थान	25	27	27	26	15	19	8	13
24	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	27	22	32	21	14	20	0	11
26	त्रिपुरा	2	4	1	1	1	1	1	0
27	उत्तर प्रदेश	52	52	61	52	52	48	41	34
28	उत्तराखंड	7	0	7	5	8	6	4	1
29	पश्चिम बंगाल	40	37	25	36	28	31	13	12
30	तेलंगाना	64	64	52	55	54	70	37	31
31	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	1	0	1	0
34	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	1	4	4	2	4	4	0	2
	कुल	**623**	**592**	**582**	**562**	**524**	**543**	**267**	**274**

(अनुबंध–13 ख) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीआरसी के तहत जारी राज्यवार निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	763.14	1101.15	1452.75	1569.92
2	अरुणाचल प्रदेश	9.64	1.58	0	0
3	असम	94.01	88.98	90.86	69.06
4	बिहार	25.16	80.58	43.87	0
5	छत्तीसगढ़	17.51	24.30	40.64	49.78
6	दिल्ली	82.16	196.37	29.62	32.65
7	गोवा	4.89	0.00	0.59	0
8	गुजरात	32.2	58.85	97.44	32.2
9	हरियाणा	116.24	119.50	130.74	68.75
10	हिमाचल प्रदेश	24.16	24.84	55.72	22.5
11	जम्मू और कश्मीर	3.25	0.68	5.79	0
12	झारखंड	0.94	0.00	1.59	6.85
13	कर्नाटक	96.73	83.86	86.05	41.31
14	केरल	446.16	574.32	584.86	391.18
15	मध्य प्रदेश	99.75	148.04	162.96	111.24
16	महाराष्ट्र	221.47	321.64	202.21	215.88
17	मणिपुर	270.91	448.30	525.16	475.56
18	मेघालय	65.16	23.21	54.32	21.45
19	मिजोरम	7.38	9.44	19.88	5.03
20	नागालैंड	0	0.00	2.49	2.48
21	ओडिशा	329.31	526.93	732.76	512.62
22	पंजाब	68.95	86.58	45.54	39.17
23	राजस्थान	136.12	188.63	152.21	136.89

24	सिक्किम	0	0.00	0	0
25	तमिलनाडु	98.77	216.42	272.19	117.08
26	त्रिपुरा	12.09	2.84	0.27	0
27	उत्तर प्रदेश	376.19	557.57	760.28	694.9
28	उत्तराखंड	28.01	26.52	28.65	29.5
29	पश्चिम बंगाल	361.66	384.90	365.88	221.92
30	तेलंगाना	700.88	685.37	1014.16	746.99
31	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0
32	चंडीगढ़	0	0.00	0	0
33	दादर और नगर हवेली	0	0.00	0	0
34	दमन और दीव	0	0.00	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0
36	पुदुचेरी	7.16	18.36	40.42	26.6
कुल		**4500.00**	**5999.77**	**6999.9**	**5641.51**

(अनुबंध–13 ग) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में डीडीआरसी के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	5284	5635	7268	6359
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3	असम	206	249	469	179
4	बिहार	521	406	323	0
5	छत्तीसगढ़	372	258	229	368
6	दिल्ली	811	1329	369	402
7	गोवा	86	0	70	0
8	गुजरात	456	680	762	591
9	हरियाणा	824	945	935	259
10	हिमाचल प्रदेश	49	105	100	219
11	जम्मू और कश्मीर	58	28	43	0
12	झारखंड	70	0	0	64
13	कर्नाटक	518	866	675	339
14	केरल	3302	3170	3780	1746
15	मध्य प्रदेश	1016	1320	1389	420
16	महाराष्ट्र	845	1085	836	3111
17	मणिपुर	1287	1992	3209	1868
18	मेघालय	462	485	645	249
19	मिजोरम	221	42	153	0
20	नागालैंड	0	0	30	0
21	ओडिशा	2183	2822	3143	3997
22	पंजाब	976	830	595	289
23	राजस्थान	1051	1353	1780	1071

24	सिक्किम	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	959	1087	1368	1148
26	त्रिपुरा	140	70	70	0
27	उत्तर प्रदेश	4284	3874	4623	3732
28	उत्तराखंड	319	248	320	145
29	पश्चिम बंगाल	2466	1840	2417	3475
30	तेलंगाना	5524	4874	5968	3903
31	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
32	चंडीगढ़	0	0	0	0
33	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0
34	दमन और दीव	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	108	106	234	141
कुल		**34398**	**35699**	**41803**	**34075**

अनुबंध–14

डीडीआरसी के अंतर्गत अनुदान के लिए स्वीकार्य पद अनुबंध–14 क

क्र.सं.	पद और योग्यता	2.50 गुणा कारक का उपयोग करने के बाद मानदेय (रू.) (*)
1	नैदानिक मनोवैज्ञानिक (नैदानिक मनोविज्ञान में एम.फिल / मनोविज्ञान में एमए दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अच्छा होगा कि उनके पास 2 वर्ष का अनुभव हो)	20500
2	सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट / ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातकोत्तर)	20500
3	अस्थि दिव्यांग सीनियर प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट – राष्ट्रीय संस्थान से 5 वर्ष अनुभव और प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक में डिग्री और प्रास्थेटिक और अच्छा होगा कि आर्थोटिक में 6 वर्ष का अनुभव	20500
4	प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट तकनीशियन आईटीआई ट्रेड में 2 से 3 वर्ष का अनुभव	14500
5	सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट / ऑडियोलॉजिस्ट (संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर / बी.एससी (वाक् एवं श्रवण)	20500
6	हेयरिंग असिस्टेंट / जूनियर थेरेपिस्ट – वाक् और श्रवण में डिप्लोमा के साथ श्रवण यंत्र रिपेयर / ईयर मॉलड मेकिंग	14500
7.	गतिशील प्रशिक्षक – मैट्रिक+प्रमाणपत्र / गतिशील में डिप्लोमा	14500
8.	मल्टीपरपज रिहेबिलिटेशन वर्कर (सीबीआर / एमआरडब्ल्यू कोर्स में 10+2 डिप्लोमा और 2 वर्ष के अनुभव के साथ ईयर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन में एक वर्ष का डिप्लोमा)	14500
9.	एकाउंटेंट कम कलर्क कम स्टोरकीपर (बी.काम / दो वर्ष अनुभव के साथ एसएएस)	14500
10	अटेंडेंट कम पीयून कम मैसेनजर (8वीं पास)	9500
11	फील्ड एंड पब्लिसिटी असीसटेंट (स्नातक)	14500
12	वोकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असीसटेंट (स्नातक)	14500

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वित्त पोषित डीडीआरसी, जारी राशि की राज्यवार संख्या
अनुबंध–14 ख

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (31.12.2019)	
		राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या	राशि	डीडीआरसी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	932290	2	423700	1	7310350	1	452586	1
2	अरुणाचल प्रदेश	387190	1	0	0	0	0	0	0
3	असम	3037751	3	1777130	4	7379578	4	3631308	2
4	बिहार	571422	2	0	0	131850	1	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
6	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	207587	1	0	0	2197445	2	625669	1
9	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	3440000	2	0	0	0	0	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	375000	1	0	0	416160	1	0	0
12	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
13	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0
14	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	4465687	13	2245919	7	12827036	14	0	0
16	महाराष्ट्र	1718283	4	3791671	4	3214121	4	3896250	2
17	मणिपुर	530200	1	1237226	2	580200	1	0	0
18	मेघालय	0	0	308488	1	198989	1	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0

21	ओडिशा	902244	3	0	0	0	0	0	0
22	पंजाब	473595	1	779357	1	3602712	2	0	0
23	राजस्थान	591184	2	2231470	3	784016	2	806761	2
24	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	507565	1	0	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	5819588	12	9001166	15	11928064	9	5232986	4
28	उत्तराखंड	423300	1	2317600	2	415475	1	0	0
29	पश्चिम बंगाल	276575	1	0	0	210460	1	2211000	2
30	तेलंगाना	0	0	209326	1	0	0	0	0
31	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	1449000	1	0	0
34	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	107961	1	0	0	0	0	0	0
	कुल	**24767422**	**52**	**24323053**	**41**	**52645456**	**45**	**16856560**	**14**

अनुबंध–15

छात्रवृत्ति योजना के संबंध में लाभार्थियों की संख्या और उपयोग की गई राशि

अनुबंध–15 क (पृष्ठ सं..........) (रू. करोड़ में)

छात्रवृत्ति जना का नाम	वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)
–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	लाभार्थियों की संख्या	-	2368	7927	12593	6767	7938
	राशि	-	1.60	5.54	9.07	6.50	8.70
ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	लाभार्थियों की संख्या	-	3565	6281	7657	22953	5372
	राशि	-	3.21	9.82	14.92	56.39	17.60
च्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजना	लाभार्थियों की संख्या	-	14	42	37	78	8
	राशि	-	0.24	0.86	0.67	1.06	0.20
ांगजनों के र राष्ट्रीय लोशिप	लाभार्थियों की संख्या	306	527	589	666	566	924
	राशि	13.24	19.96	19.25	30.24	19.86	15.96
राष्ट्रीय वरसीज छात्रवृत्ति	लाभार्थियों की संख्या	-	-	2	3	5	5
	राशि	-	-	0.38	0.70	1.08	0.71
नि:शुल्क ंग योजना	लाभार्थियों की संख्या	-	-	-	250	250	-
	राशि	-	-	-	0.87	1.38	-
न	लाभार्थियों की संख्या	306	6474	14841	21206	30619	14247
		[illegible]	[illegible]				

छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निजी और स्वयंसेवी संगठनों जिनको दस लाख रूपए की आवर्ती / गैर–आवर्ती / एकमुश्त सहायता अनुदान सहायता का ब्यौरा

अनुबंध–15 ख (पृष्ठ सं............)

क्र.सं.	निजी और स्वैच्छिक संगठन का नाम	निजी और स्वैच्छिक संगठन का पता	स्वीकृति का वर्ष / दिनांक	आवर्ती / गैर–आवर्ती / एकमुश्त सहायता	जारी की गई राशि (रु. लाख में)	उद्देश्य
1.	कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी	301 / ए–37,38,39 अंसल बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर दिल्ली–110009	2017–18 दिनांक 14 / 03 / 2018	आवर्ती	65.00	दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कोचिंग
2.	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, बांदीपोरा, जम्मू और कश्मीर	हॉस्टल रोड़ नियर फाजिम स्कूल, वार्ड नं. 5, बांदीपोरा जम्मू और कश्मीर–193502	2017–18 दिनांक 20 / 03 / 2018	आवर्ती	22.22	दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कोचिंग
3.	कैरियर प्लस एजुकेशन सोसाइटी	301 / ए–37,38,39 अंसल बिल्डिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर दिल्ली–110009	2018–19 दिनांक 09 / 03 / 2019	आवर्ती	41.60	दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कोचिंग
4.	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, बांदीपोरा, जम्मू और कश्मीर	हॉस्टल रोड़ नियर फाजिम स्कूल, वार्ड नं. 5, बांदीपोरा जम्मू और कश्मीर–193502	2018–19 दिनांक 04 / 05 / 2018	आवर्ती	25.77	दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कोचिंग

अनुबंध–16

यूडीआईडी कार्ड की स्थिति (24.01.2020 की स्थिति के अनुसार)				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या	उन जिलों की संख्या जहां यूडीआईडी कार्ड सृजित किए गए है	अब तक सृजित किए गए यूडीआईडी कार्ड की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	3	3,080
2	आंध्र प्रदेश	13	12	1,04,784
3	अरुणाचल प्रदेश	25	18	507
4	असम	33	27	10,387
5	बिहार	38	36	6,100
6	चंडीगढ़	1	1	4,072
7	छत्तीसगढ	27	27	1,43,308
8	दादर और नागर हवेली	1	1	25
9	दमन और दीयू	2	2	661
10	दिल्ली	11	7	776
11	गोवा	2	2	77
12	गुजरात	33	33	1,87,504
13	हरियाणा	22	22	34,216
14	हिमाचल प्रदेश	12	12	16,291
15	जम्मू और कश्मीर	22	22	17,153
16	झारखंड	24	24	13,996
17	कर्नाटक	30	30	1,05,004
18	केरल	14	14	15,366
19	लक्षद्वीप	1	1	25
20	मध्य प्रदेश	51	51	3,51,667
21	महाराष्ट्र	36	36	2,29,503
22	मणिपुर	16	16	659
23	मेघालय	11	11	8,591
24	मिजोरम	8	8	1,839
25	नागालैंड	11	4	176
26	ओडिशा	30	30	3,02,334
27	पुडुचेरी	4	4	1,032
28	पंजाब	22	22	1,03,167
29	राजस्थान	33	33	3,32,075
30	सिक्किम	4	4	361
31	तमिलनाडु	32	32	82,355
32	तेलंगाना	31	25	4,20,651
33	त्रिपुरा	8	8	2,365
34	उत्तर प्रदेश	75	75	3,20,659
35	उत्तराखंड	13	13	1,742
36	पश्चिम बंगाल	22	1	4
	कुल	721	667	28,22,512

अभिज्ञात पद – 2013 की सूची में उपयोग की गई संक्षिप्त शब्दावली

एस	बैठना
एसटी	खड़ा होना
डब्ल्यू	चलना
बीएन	झुकना
सीआरएल	घिसटना
सीएल	चढ़ना
जेयू	कूदना
एल	उत्थान
केसी	घुटने टेकना और झुकना
आरडब्ल्यू	पढ़ना और लिखना
एमएफ	उंगलियों से हेरफेर
पीपी	खींचना और धक्का देना
एसई	देखना
सी	संचार
एच	सुनना
ओए	एक हाथ
बीए	दोनों हाथ
ओएएल	एक हाथ और एक पैर
बीएलए	दोनों पैर और हाथ
बीएलओए	दोनों पैर और एक हाथ
ओएल	एक पैर
बीएल	दोनों पैर
सीपी	प्रमस्तिष्क घात
एलसी	कुष्ठ उपचारित
ओएच	अस्थि बाधित
वीएच	दृष्टिबाधित
बी	अंधता
एलवी	निम्न दृष्टि
एचएच	श्रवण बाधित

दिव्यांगजनों के साथ बेहतर संवाद हेतु मार्गदर्शिका

जब आप किसी दिव्यांगजन को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप सोचते हैं कि वह क्या नहीं कर सकते बल्कि यह सोचने के बजाय वह क्या कर सकते हैं। क्या विकलांग मनुष्य भगवान के अभागे बच्चे हैं? तो क्यों हम उन्हें भिन्न मानते हैं?

अगली बार जब आप किसी दिव्यांगजन से मिलें तो उनसे समानता का भाव रखें। इसके कुछ तरीके यहां दिए गए हैं:

- यदि आप नहीं जानते कि चुप्पी कैसे तोड़नी है और बातचीत कैसे शुरू करनी है, तो शांत रहें और दिव्यांगजन को यह कार्य करने दें।
- दिव्यांगों के लिए सकारात्मक सोच रखें। उनसे आपसी ताल–मेल बढ़ाएं। आप अवश्य ही कुछ रोचक व्यक्तित्व पाएंगे।
- यदि सहायता की आवश्यकता हो तो ही प्रदान करें, पर अति–उत्साही नहीं बनना चाहिए। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उस व्यक्ति का सम्मान करें।
- व्यक्ति द्वारा दुपहिया कुर्सी (व्हील चेयर) बिना मांगें प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए।
- व्यक्ति को व्हील चेयर या बैसाखी या अन्य प्रकार की सहायता बिना मांगे नहीं दें।
- दिव्यांगता के बारे में चर्चा की शुरूआत ना करें पर स्वतः ही चर्चा हो जाए तो विचार बांट सकते हैं।
- पूर्ण सहयोग करें। दिव्यांगजन को बात करने के लिए ज्यादा समय या स्थान की आवश्यकता हो सकती है।
- दिव्यांगजन जो कार्य कर सकता है, उसकी प्रशंसा करें। उन कष्टों को याद रखें जो व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता से अधिक समाज के व्यवहार के कारण उसके सामने उत्पन्न हो सकते हैं।
- दिव्यांगता के ऊपर उस व्यक्ति से सीधी बात करें। बातचीत करने के लिए किसी मध्य व्यक्ति की सहायता न लें।
- किसी दिव्यांगजन से बात करते समय उसकी बात पर पूरा ध्यान दें। उनके दृष्टिकोण को सम्मान दें। दिव्यांगजन से बात करते समय आपका रवैया उनके दृष्टिकोण में सुधार करने की अपेक्षा उनको प्रोत्साहित करने का होना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति को जिसे बोलने में कठिनाई हो, उससे ऐसे प्रश्न करें जिनके जवाब छोटे रूप में या हाव–भाव के संकेत से दिए जा सकते हैं।
- सुनने की कठिनाई वाले व्यक्ति से आराम से, धीरे और स्पष्ट शब्दों में बात करें।
- दिव्यांगजन के साथ भोजन करते समय, जरूरत होने पर या अनुमति मांगे जाने पर ही भोजन करने में उनकी मदद करें। अनुमति लेना ज्यादा आरामदेय हो सकता है यदि व्यक्ति अपना भोजन स्वयं ही रसोई में करना चाहता है। यदि आप नेत्रहीन व्यक्ति के साथ भोजन कर रहे हैं तो उसे टेबल पर रखें बर्तनों और पकवानों की स्थिति के बारे में बताएं।

*****

सुगम्य भारत अभियान

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सीआरसी, नेल्लोर का उदघाटन समारोह

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पांचवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003
दूरभाष: 011–24369025
www.disabilityaffairs.gov.in